शाला-प्रबन्ध

SCHOOL ORGANISATION

अध्याय–१

अर्थ, महत्व, क्षेत्र, शिक्षा-दर्शन का प्रभाव

Meaning, Importance, Scope, Impact of Philosophy of Education

प्रश्न १

"School organization is the philosophy of education in action." Explain this statement, bringing out clearly that the philosophy of education is a determinant of a particular type of school organization. Illustrate your answer by giving concrete examples.

"विद्यालय संगठन, शिक्षा-दर्शन का क्रियात्मक स्वरूप है।" इस कथन की व्याख्या कीजिये, साथ ही यह भी बताइये कि शिक्षा-दर्शन, विद्यालय-संगठन के विशिष्ट प्रकार का निर्देशक तत्व है। मूर्त उदाहरणों की सहायता से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिये।

[राज० 1965 (7)]

OR

In what essential respect does the organization of education differ under the influence of Naturalism, Idealim and Pragmatism ? Indicate the main philosophic doctrines underbying the organization of our educaton system.

किन प्रमुख बातों में प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और प्रयोजनवाद के प्रभाव से शिक्षा-संगठन भिन्न होता है ? दार्शनिक सिद्धान्तों पर प्रकाश डालिये जिन पर हमारी शिक्षा-व्यवस्था का संगठन आधारित है।

[राज० 1962 प्र० (6)]

OR

"The philosophy of education is the determinant of a particular type of school organization." Explain this statement with reference to the idealism in education. Support your answer by giving concrete examples.

"शिक्षा-दर्शन विद्यालय के विशेष प्रकार संगठन को निश्चित करता है।" इस कथन की व्याख्या शिक्षा में आदर्शवाद के प्रसंग में कीजिये, तथा अपने कथन की पुष्टि उदाहरण देकर कीजिये। [राज० 1966 प्र० (6)]

उत्तर—

शिक्षा-दर्शन और विद्यालय-संगठन
(Philosophy of Education and school organization)

शिक्षा-दर्शन (Philosophy of educaton) और विद्यालय-संगठन (School organization) के अन्तर्सम्बन्धों (Inter-relationship) को समझने के लिये सर्वप्रथम हमें इन दोनों में से प्रत्येक के अर्थ (Meaning) और क्षेत्र (Scope) में अन्तर्दृष्टि (Insight) प्राप्त करनी चाहिए। 'शिक्षा-दर्शन' शिक्षा-प्रक्रिया (Process of education) के लिये सिद्धान्तों (Principles), उद्देश्य और लक्ष्यों (Aims and objectives) तथा आदर्शों और मूल्यों (Ideals and values) का प्रतिपादन करता है। इन सभी आधारभूत तत्वों (Fundamental elements) की जननी प्रचलित सामाजिक दर्शन (Social philosophy) है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा-प्रक्रिया दार्शनिक विचारधाराओं की संचार-व्यवस्था (Communication channel) ही नहीं अपितु सामाजिक संस्कृति की पृष्ठ भूमि में इनके परावर्द्धन (Reformation) एवं रूप भेदन (Modification) का प्रयास भी है।

दूसरी ओर विद्यालय-संगठन की व्याख्या पर विचार करते हैं, तो शब्दों के इस जोड़े में प्रत्येक का अर्थ स्पष्ट होने पर सम्पूर्ण वस्तु-स्थिति स्पष्ट होने में हमें आसानी होती है। विद्यालय स्वयं एक अमूर्त अस्तित्व (Abstract existence) है। फिर भी हम कह सकते हैं कि समुदाय द्वारा निर्मित यह एक संस्था है, और शिक्षा का प्रमुख औपचारिक साधन है (It is formal agency of education)। इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्यालय उन परिस्थितियों (Situations) एवं अवस्थाओं (Conditions) के निर्माण का साधन है जहाँ कि शिक्षा-प्रक्रिया (Education process) अधिक से अधिक प्रभावोत्पादकता (with maximum effectiveness) के साथ सम्भव होती है। अतः विद्यालय में शिक्षा-दर्शन द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों, आदर्शों, मूल्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये व्यावहारिक कार्य (Practical work) किये जाते हैं। संगठन (Organization) विद्यालय की सामग्री (School equipment) एवं उससे सम्बन्धित व्यक्तियों (Related-personnel) की एक ऐसी व्यवस्था (Arrangement) है, जिसमें उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति सबसे अधिक प्रभावशाली ढंग से सम्भव हो सके। इससे यह बात स्पष्ट हो गई है कि 'जहाँ शिक्षा-दर्शन, शिक्षा-सिद्धान्तों तथा उसके लिये उद्देश्य, मूल्यों, और आदर्शों का प्रतिपादन करता है, विद्यालय एक साधन के रूप में संगठित (Orgsalzed) ढंग (Manner) से इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये क्रियाओं का सृजन करता है तथा उनको अधिक से अधिक सार्थक बनाने की दिशा में कार्य करता है।"

ने वाले व्यक्तियों (अध्यापक, विद्यार्थी आदि) प्रति एक विशिष्ट अभिवृत्ति (Attitude) को रूप रेखा है। जैसे कि शिक्षा सिद्धान्तों से पता चलता है कि शिक्षा व्यक्ति के विकास में अभिवृद्धि करने वाली प्रक्रिया है। अतः इसका सम्बन्ध विद्यार्थी तथा उन क्रियाओं से अधिक है, जिनमें कि उसके उच्चतम विकास की कल्पना की गई है। यह बात हमें रायबर्न के कथन से और अधिक स्पष्ट हो जाती है·

"सामान्य रूप में संगठन का अर्थ उन व्यावहारिक प्रयत्नों से है जिनसे यह अपेक्षा की सर्वाधिक सहायक एवं बच्चों के लिये बहुत लाभकारी होगे, (Organization simply means the practical measures wich we take to ensure that the system of work which we use will be of the greatest possible assistance in carrying out our aims, and of the greatest benefit to our children.)।"

विद्यालय को अन्य सामग्री की व्यवस्था, विद्यार्थी और उसके लक्ष्य की प्रकृति तथा इनमें प्रति सामग्री को प्रयोग करने वाले व्यक्ति-अध्यापक, के दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। किन्तु अध्यापक इस कार्य के लिये स्वयं एक स्वतन्त्र सत्ता (Independent Authority) नहीं है। इतना आवश्यक है कि वह इस व्यवस्था (System) का एक प्रमुख अंग वास्तव में वह व्यवस्था अध्यापक, प्रशासन (Administration), माता-पिता, विद्यार्थियों तथा समाज के सहयोग तथा अन्तर्सम्बन्धों का परिणाम है।

"अतः विद्यालय-संगठन वस्तुओं (Matters) और व्यक्तियों की वह क्रियात्मक व्यवस्था है जिसमें शिक्षा-सिद्धान्त द्वारा निर्धारित आदर्शों की संप्राप्ति एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिये व्यावहारिक कार्य किया जाता है।"

यहाँ हम देखते हैं कि विद्यालय-संगठन के निम्नलिखित दो पहलू हैं:—

१. वस्तु-सामग्री की व्यवस्था (Arrangement of material equipment)

२. मानव-शक्ति की व्यवस्था (Arrangement of human energy,)

१. वस्तु-सामग्री की व्यवस्था (Arrangement of material equipment)

इस व्यवस्था के अन्तर्गत वस्तु-सामग्री की व्यवस्था सम्मलित है। इसमे विषय-वस्तु, विधियाँ (Mehods) और प्रविधियाँ (Techniques) तथा अन्य शिक्षण सामग्री (Teaching aids), विद्यालय भवन (School buildings) तथा अन्य सामान, समय सारणी (Time table) इत्यादि सम्मलित है। हम देखेंगे की इन व्यवस्थाओं को भिन्न-भिन्न शिक्षा दर्शनों (Philosophies of education) ने अपने सिद्धान्तों के अनुरूप बनाकर अपनी इन व्यवस्थाओं में भी अपनी सैद्धान्तिक भिन्नताओं को सुन्दर ढंग से प्रतिबिम्बित किया। यहाँ इस दृष्टि से हम प्रकृतिवाद (Naturalism), आदर्शवाद (Idealism) एवं प्रयोजनवाद (Pragmatism) की व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे।

तालिका नं० १

भिन्न शिक्षा-दर्शन के अनुरूप भिन्न वस्तु सामग्री की व्यवस्था

Different material Organization with different philosophy of education.

शैक्षणिक सिद्धान्त (Principles of education)

बिन्दु (Point)	प्रकृतिवाद (Naturalism)	प्रयोजनवाद (Pragmatism)	आदर्शवाद (Idealism)
१— शिक्षा का आधार	मनोविज्ञान (Psychology) और प्रकृति के नियम (Laws of Nature)	वैज्ञानिक दृष्टिकोण (Scientific attitude) और मनोविज्ञान (Psychology)	शिक्षा का आधार आध्यात्मवाद और नैतिकता (Spiritualism and morality as the basis of education)
२— शिक्षा का केन्द्र	बालक (Child)	समाज (Society)	शिक्षक (Teacher)
३— महत्व	व्यक्तित्व (Personality)	व्यक्तित्व (Personality) और समाज शिक्षा (Socialization)	आध्यात्मिक व्यक्तित्व (Spiritual personality)
४— प्रमुख क्रियायें	मूल-प्रवृतियाँ (Instincts) संवेग (Emotions) एवं व्यवहार (Behaviour)		चिन्तन (Thinking) स्मरण (Memory) निर्णय (Judgement).
५— शिक्षा की प्रकृति	निषेधात्मक (Negative)	अनुभव (Experience), प्रयोग (Experiment), परीक्षण (Testing) पर आधारित निश्चयात्मक	निश्चयात्मक (Positive)

१	२		
१—विषय वस्तु (Subject matter)	प्राकृतिक विज्ञान (Natural sciences), भौतिक-शास्त्र (Physics), रसायन-शास्त्र (Chemistry), जीव-विज्ञान (Biology), भूगोल (Geography), भूगर्भ-शास्त्र (Geology', गणित (Mathematics), ज्योतिष-शास्त्र (Astronomy)	विज्ञान (Science) स्वास्थ्य विज्ञान (Hygiene) शारीरिक शिक्षा (phsical education) नागरिक शास्त्र (Civics) तथा व्यावसायिक विषय (Vocational training) गणित (Mathematics)	धर्म (Religion) नैतिकता (Morality) दर्शन (Philosophy) तर्क-शास्त्र (Logic) साहित्य (Literature) संगीत (Music) कला (Art)
२—शिक्षण विधियां	(१) खोज-पद्धति (Henrestic Method) (२) डाल्टन पद्धति (Dalton method) (३) किण्डरगार्टन (Kindergarton)	(१) खोज पद्धति (Henrestic) (२) योजना पद्धति (Project method) (३) प्रदर्शन (Demonstration) (४) प्रयोगशाला विधि (Laboratory method)	(१) व्याख्यान विधि (Lecture method) (२) वाद-विवाद (Discussion) (३) अध्ययन (Study)

१	२	३	४
३—विद्यालय (School)	(१) प्राकृतिक वातावरण (Natural environment) (२) बच्चे के लिये स्वच्छता से विचरण करने का स्थल (Place where the Child moves freely) (३) सामाजिक कृत्रिमता से दूर (Far from social artificiality)	(१) समुदाय का लघु रूप (Miniature society) (२) सामुदायिक योजनाओं का केन्द्र (Center of all community works) (३) अन्वेषणों (Researches) और खोजों (Discoveries) के लिए प्रयोगशाला (Laboratory)	(१) ज्ञान का एकमात्र केन्द्र (Only center for knowledge) (२) मानवीय आदर्शों (Ideals) मूल्यों (Values) एवं क्रियाओं (Activities) का केन्द्र (Center)
४—विद्यालय में अन्य क्रियायें (Activities)	(१) खेलों और क्रीड़ाओं का गठन (२) प्राकृतिक वातावरण को अधिक से अधिक परि-स्थितियाँ उपस्थित करना (३) पर्यटन (Excurson) एवं भ्रमण (Visit) का आयोजन।	(१) सांस्कृतिक कार्यक्रम (२) समाज-सेवा (३) शारीरिक क्रियाओं एवं खेलों का गठन (४) पर्यटन (Excurson) एवं भ्रमण (Visits) का आयोजन	(१) विद्वान, नीतिज्ञ, दार्शनिक एवं धार्मिक आत्माओं के प्रवचन (२) कला, साहित्य एवं संगीत की गोष्ठियाँ (३) वाद-विवाद (४) नवीन विचारों एवं अन्वेषणों पर तर्क।

१. मानव-शक्ति की व्यवस्था

(Arrangement of human energy)

मानव-शक्ति की व्यवस्था के अन्तर्गत विद्यार्थी, अध्यापक, मुख्याध्यापक, समुदाय के नागरिक, अभिभावक आदि सभी सम्बन्धित व्यक्ति आ जाते हैं। इनके कार्यों, अन्तर्सम्बन्धों आदि को इस प्रकार व्यवस्थित तथा परिभाषित (Arranged and defined) किया जाता है कि शिक्षा-प्रक्रिया (Education-process) उच्चतम (Maximum) गति से अधिकतम (Optimum) विकास को प्रभावोत्पादक (Effective) ढंग से प्राप्त कर सके। इससे जीवन-क्रिया (Life-activity) कम मूल्य पर (Economic), अधिक स्थायी (Permanent), प्रभावशाली तथा सन्तुलित विकास (Harmonious) को अधिक सुविधा से सम्पन्न कर सकने में सामर्थ्य प्राप्त कर लेती है।

वस्तु-सामग्री (Material equipment) का उपयोग मनुष्य ही करता है। इसलिये पूर्ण व्यवस्था तभी उपयोगी हो सकती है यदि शिक्षा-प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों को इस प्रकार सुसंगठित किया जाय कि उनके अन्तर्सम्बन्ध (Inter-relationship) एवं अन्तर्क्रियायें (Interaction) उपरोक्त वस्तु-सामग्री का उपयोग (Use) और उपभोग (Consumption) अधिकतम लाभ के साथ कर सकें। इसलिये व्यवस्था सम्बन्धी यह भाग अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण है। मनुष्य ही शिक्षा योजनाओं (Educational planning), प्रशासन (Administration), नियन्त्रण (Control), संगठन (Organization), निर्देशन (Direction), समन्वय और सह-सम्बन्ध (Co-ordination and Co-relation) तथा मूल्यांकन (Evaluation) के लिये उत्तरदायी है। अतः इस महान् कार्य (Great task) में व्यक्ति (Individual) का अधिक से अधिक योगदान सुव्यवस्था (Good organization) में ही निहित है।

तालिका नं० १'२

मिन्न शिक्षा-दर्शन के अनुरूप मानव-शक्ति की भिन्न व्यवस्था

(Different organization of human resources in relation to different philosophy of educaiion)

दर्शन बिन्दु	प्रकृतिवाद (Naturalism)	प्रयोजनवाद (Pragnatism)	आदर्शवाद (Idealism)
१—शिक्षक	(१) शिक्षक का स्थान गौण (Secondary) प्रकृति स्वयं शिक्षक है । (२) प्राकृतिक वातावरण को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने वाला कलाकार (An artist who presents the natural environment in a most effective manner)	(१) बाल-मनोविज्ञान (Child psychology) का ज्ञाता (२) एक सफल मार्ग-दर्शक (Successful guide) (३) एक उत्तम तथा आदर्श नागरिक (४) वैज्ञानिक अभिवृत्ति का पोषक ५) विद्यार्थियों के मित्र का स्वरूप	(१) सन्तुलित (Harmonious) ढंग से विकसितपूर्ण व्यक्तित्व (Perfectly developed personality) का आदर्श (Ideal) (२) एक आदर्श नागरिक (३) पथ-प्रदर्शक (४) सत्य का ज्ञाता (५) प्रभावशाली वक्ता (६) स्वाध्यायी और सफल दार्शनिक

१	२	३	४
	(३) पर्दे के पीछे से निरीक्षण करने वाला व्यक्ति (An of person behind the screen)	(६) जनतान्त्रिक (Democratic) ढंग का विचारक	(७) पाठ्यक्रम का निर्माता
२—विद्यार्थी	(१) शिक्षा प्रक्रिया का प्रमुख तत्व । (२) स्वतन्त्र इकाई (३) एक पवित्र व्यक्तित्व (४) प्रकृति के भेद जानने का जिज्ञासु (५) विकास एवं अभिवृद्धि में प्रकृति के नियमों पर आधारित । (६) पाठ्यक्रम के निर्माण में प्रमुख व्यक्ति	(१) मूल प्रवृतियों (Instincts) रुचियों (Interests) तथा अन्तर्निहित शक्तियों वाली मानवीय इकाई (२) अन्य विद्यार्थियों से भिन्न-स्वतन्त्र (३) कल का नागरिक (४) सन्तुलित शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास में ही व्यक्तित्व की पूर्णता (५) पाठ्यक्रम की प्रकृति का निर्देशक	(१) उत्तम अनुचर (Good followers) (२) अध्ययनशील (Studious) (३) आज्ञाकारी (४) कल का नागरिक (Citizen for tomorrow) (५) आध्यात्मिक विकास में जीवन की सफलता

१	२	३	४
१—सामाजिक समाज, नागरिता	(१) शिक्षा प्रक्रिया में कोई स्थान नहीं।	(१) शिक्षा प्रयासों (Educational endeavours) में सहयोगी। (२) पाठ्यक्रम निर्माण में प्रमुख प्रभावशाली तत्व (३) बाल-विकास को प्रभावित करने वाला प्रभावशाली साधन (४) विद्यालय के क्रिया-कलापों में भाग लेने के लिए स्वतन्त्र (५) विद्यालय की अन्त-क्रियाओं को प्रभावित करने वाला तथा स्वयं उनसे प्रभावित होने वाला प्रमुख तत्व	(१) पाठ्यक्रम के लिए सांस्कृतिक मूल्यों एवं आदर्शों को देने वाला साधन (२) शिक्षा का अनौपचारिक साधन (Informal agency of education) (३) विद्यालय को आर्थिक एवं अन्य सहायता प्रदान करने वाला साधन (४) माता-पिता शिक्षा देने वाले प्रमुख व्यक्ति

		(६) विद्यालय की व्यवस्था में प्रशासन को सहयोग देने वाली आवश्यक संस्था समाज ही है	
४—सार्वजनिक प्रशासन	(१) शिक्षा में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप (Interference) करने का कोई अधिकार नहीं है।	(१) साम्प्रदायिक प्रयासों को पूर्ण सहायता दी जाय (२) विद्यालय भवन तथा वस्तु-सामग्री की व्यवस्था (३) पाठ्यक्रम निर्माण के लिए सामग्री एकत्रित करना (४) प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था	(१) विद्यालय को आर्थिक अनुदान (२) प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था (३) पाठ्यक्रम निर्माण में विद्यालय को सहायता दे तथा उसे सामाजिक मूल्यों और आदर्शों के अनुरूप बनावें।

१	२	३	४
— अध्यापक	(१) शिक्षा में कोई महत्व नहीं।	(१) समाज, सार्वजनिक प्रशासन, स्टाफ एवं विद्यार्थियों के पारस्परिक समन्वय का माध्यम (२) एक सफल, स्वच्छ एव स्वस्थ नेतृत्व प्रदान करने वाला नायक (३) प्रभावोत्पादक सफल नागरिक (४) मनोविज्ञान एवं समाज-शास्त्र का ज्ञाता (५) वैज्ञानिक अभिवृत्ति (Scientific attitude) एवं जनतान्त्रिक (Democratic) गुणों. में विकासमान	(१) पण्डित तथा विद्वान् (२) आदर्श और प्रभावोत्पादक व्यक्तित्व (३) सत्य का ज्ञाता (४) उत्तम वक्ता (५) आत्मानुभूति (Self-realization) एव आत्माभिव्यक्ति (Self-expression) में पण्डित (६) मानवीय गुणों से परिपूर्ण।

Which are the fundamental principles which should be kept in view while organizing a secondary school on democratic pattern ? Discuss the various reforms you would like to make in your school with a view to organize it on democratic lines.

जनतन्त्रीय ढंग पर एक माध्यमिक विद्यालय का संगठन करने के लिये किन मूलभूत सिद्धान्तों को ध्यान में रखना चाहिए ? साथ यह भी लिखिये कि अपने विद्यालय में जनतन्त्रीय ढंग से संगठन करने के लिये क्या-क्या सुधार करेंगे ?

(राज० १९६७ प्र० ६)

OR

One of the important social objectives of education is to equalise opportunity, enabling the backword or underprivileged classes and individuals to use education as a lever for the improvement of their condition." What recommendation have been submitted by the education commission for the organization of schools to ensure the acheivement of this objective ?

"पिछड़े वर्ग के बच्चों तथा व्यक्तियों को अपनी उन्नति के लिये शिक्षा उत्तोलक रूप में प्रयोग कर सकने के लिये शिक्षा में अवसरों की समानता एक प्रमुख उद्देश्य है : विद्यालयों में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये 'शिक्षा आयोग' ने क्या-क्या संगठन सम्बन्धी सुधारात्मक सुझाव दिये हैं ?

उत्तर—

जनतान्त्रिक व्यवस्था में माध्यमिक स्तर पर विद्यालय संगठन के लिये निम्नलिखित आधार भूत सिद्धान्तों को ध्यान में रखना चाहिए—

१. समानता (Equality)
२. स्वतन्त्रता (Freedom)
३. सहयोगिता (Co-operation) एवं निकटता (Nearness)
४. समन्वय (Co-ordination)
५. आत्म-नियन्त्रण (Self control) और आत्मानुशासन (Self-discipline)
६. कुशल और योग्य मार्ग दर्शन (Skillful and able guidance)
७. सुनियोजन (Well planning)
८. मूल्यांकन (Evaluation)
९. अनुगामी सेवायें (Follow up services)

११. समानता (Equality)

शिक्षा एक विकास प्रक्रिया है (Education is a do velopmental process) । प्रत्येक व्यक्ति को विकसित होने का पूरा अधिकार है । अतः शिक्षा व्यवस्था सब के लिये समान रूप में (In equal terms) होनी चाहिए. ई० जे० पावर (E. J. Power) के अनुसार, "शिक्षा सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है, किसी थोड़े से उच्च वर्गीय लोगों का ही विशेषाधिकार नहीं (Educations is the birth night of every human being and not the privilege of the few.)" कभी कभी तो शैक्षणिक समानता (Educational equality) को ही शिक्षा में जनतन्त्र का नाम दिया जाता है । यह बात पावर महोदय के निम्नलिखित कथन से अधिक स्पष्ट हो जाती है ।

Democray in education is sometimes interpreted to mean that all the children of all pepole will have educational opportunity and that they may attend schools without regard for those social distinctions which in some educational system are barries on the ledder of educational opportunity."

आधुनिक शिक्षा में जनतन्त्र के आत्मदाता डीवी महोदय की यह मान्यता कि भौतिक जीवन के लिये जो महत्व भोजन और प्रजनन का है सामाजिक जीवन के लिये वही शिक्षा का है (What nutrition and reproduction are to Physiological life, education is to social life.) । शिक्षा आयोग (Education commission) ने शिक्षा के क्षेत्र में समानता का महत्व बतलाते हुये लिखा कि प्रत्येक बच्चे और व्यक्ति को शिक्षा के माध्यम से उन्नतोन्मुख होने के लिये समान अवसर दिये जाने चाहिए ("One of the important social objectives of education is to equalize opportunity, enabling the back ward or under privileged classes and individuals to use education as a lever for the improvement of their conditions.)

असमानता के कारण
(Causes of Inequalities)

भारत में शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों की असमानता (Inequalities of opportunity) के कारणों पर प्रकाश डालते हुए शिक्षा आयोग (Education commission) ने निम्नलिखित का स्पष्ट उल्लेख किया—

(i) कुछ क्षेत्रों में विद्यालयों का न होना (Absene of schools in areas)

(ii) माता-पिता तथा अभिभावकों की दीनता (Poverty of parents

(iii) विद्यालयों के स्तरों की भिन्नता (Difference in the standards of the school)

(iv) गृह वातावरण में भिन्नता (Differences in home environment.)

(v) बालक और बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्थाओं में अन्तर (Wide disparity beteew the the education of girls & boys at all stages of education) ।

(iv) अग्रणी वर्ग और पिछड़े वर्ग के शैक्षिक विकास में अन्तर (Wider dispaity of education between the advanced classes and backward classes sheduled castes and sheduled tribes.)

शिक्षा आयोग इस धारणा को मान्यता देता है कि शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण समानता (perfect equality) की संप्राप्ति सम्भवतः कठिन है । किन्तु एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था में निरन्तर उपरोक्त कारणों पर दृष्टि रहनी चाहिए तथा हर सम्भव प्रयास किये जायें कि ये कारण प्रभावहीन हो जाय अथवा इनका प्रभाव कम से कम किया जा सके ("In a good system of education, there should be a continuous attempt to identity factors which tend to create significant form of inequality and to adopt measures either to eliminate them or at least to reduce them to the minimum.)"

आयोग ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि आने वाले बीस वर्षों में इस दिशा में निम्नलिखित सुझावों को क्रियान्वित किया जाना चाहिए ।

शुल्क की व्यवस्था (Fees)— (i) अवर माध्यमिक शालाओं (Lower secondary schools) में यथा शीघ्र निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था । (ii) वैयक्तिक संस्थाओं के आवश्यकता के अनुसार आर्थिक अनुदान की व्यवस्था कर उनके द्वारा लिये जाने वाले शुल्क को कम करने का क्रियात्मक प्रयास करना (iii) विद्यालय भवन (Building), तथा अन्य सामग्री और उपकरणों (Aids and equipment) की शिक्षा विभाग द्वारा व्यवस्था ।

पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था (Text bocks)—(i) पुस्तकालयों में अधिक से अधिक पुस्तकों की व्यवस्था के लिये विद्यालयों को अनुदान देना । (ii) पुस्तकें खरीदने के लिये अभावग्रस्त परिवार के छात्रों को आर्थिक सहायता का प्रावधान । (iii) पुस्तकों के बैंकों की स्थापना ।

छात्रवृत्तियों का प्रावधान (Provision for scholarship)—(i) यह प्रत्येक स्तर पर दिया जाना चाहिए । (ii) इसके वितरण की सम्पूर्ण व्यवस्था में अनुकूल परिवर्तन अत्यन्त आवश्यक है । (iii) छात्रवृत्तियों के वितरण की इकाई

विद्यालय नहीं अपितु शिक्षा क्षेत्र माना जाय। इसके लिये नियमों में यथोचित और संशोधन किये जायें।

प्रत्येक विकास खण्ड (Development block) में एक आदर्श उ माध्यमिक शाला की स्थापना।

स्कूल काम्पलेक्स (School complex) के कार्यक्रम को अधिकाधिक क्रियान्वित करना।

छात्रावासों (Hostels) की समान व्यवस्था।

बच्चों के लिये आवागमन में साधनों की उपलब्धि।

दिवा-अध्ययन केन्द्रों (Day study centers) की स्थापना।

कमाओ और सीखो (Earn & learn) कार्यक्रमों को कार्य रूप देना।

अपंग (Handicapped) बच्चों के लिये शिक्षा व्यवस्था।

मेधावी बच्चों (Talents) के लिये अतिरिक्त कक्षा अथवा विद्यालय व्यवस्था।

सभी बच्चों के लिये समान शिक्षा व्यवस्था (Common school system for all)

२. स्वतन्त्रता
(Freedom)

जनतान्त्रिक शिक्षा संगठन में स्वतन्त्रता (Freedom) के सिद्धान्त का प्रमुख स्थान है। यह जनतन्त्र की प्रथम माँग है। शिक्षण संस्थाओं के सन्दर्भ में स्वतन्त्रता का निम्नलिखित रूपों में प्रयोग किया जा सकता है—

१. विद्यालय को अपना पाठ्यक्रम (Curreculum) क्रियान्वित करने की स्वतन्त्रता।

२. विद्यार्थियों को अपने लिये पाठ्य विषय एवं अन्य शैक्षणिक क्रियाएं (Educative acivites) के चयन की पूर्ण स्वतन्त्रता।

३. विद्यार्थियों के सम्मुख चयन के लिये अधिक से अधिक अवसरों (opportunities), अवस्थाओं (Conditions) एवं परिस्थियों (Situations) को प्रस्तुत करना।

४. विद्यालय को सार्वजनिक एवं सामुदायिक (Public and community) उपलब्धियों को शिक्षण के लिये प्रयोग करने की स्वतन्त्रता।

५. छात्रों को माध्यमिक स्तर पर अपने लिये कई व्यवसायों में से एक को चुनने की स्वतन्त्रता।

३ सहयोगिता एवं निकटता
(Cooperation & closeness)

विद्यालय के सभी कार्यों में विद्यार्थी, अध्यापक, समुदाय एवं अन्य सम्बन्धित

यों को पारस्परिक सहयोगिता के सिद्धान्तों पर आचरण करना चाहिए। सिद्धान्त पर कार्य करने की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि पाठ्यक्रम इन-जीवन की आकांक्षाओं, आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जाय। शिक्षा ग ने इस दिशा में कार्य करने के लिये कई ठोस सुझाव दिये और विस्तृत विवे- के लिये शिक्षा सिद्धान्त में प्र० १ से ५ (१९६७) देखें।

४. समन्वय
(Co-ordination)

शिक्षा जैसे सामाजिक कार्यों में समन्वय का बहुत महत्व है। समन्वय का दो चीजों को एक ऐसे सन्तुलित अन्तसम्बन्ध (Harmonions inter relati- ship) में ले आना जिससे कि वे एक साथ लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में प्रभावशाली से कार्य कर सकें। शिक्षा प्रक्रिया में कई व्यक्ति, भिन्न अवस्थायें और परि- नियों, विभिन्न विधियां एवं सामग्रियां कार्य करती हैं। इन सभी की अन्तक्रियायें टल होती हैं। तथा इनके सदुपयोग, दुरुपयोग, पारस्परिक संघर्ष, कार्य का दोह- ग (Duplication) आदि में समय, धन, शक्ति के अपव्यय (Wastage) की न सम्भावनायें बन जाती हैं। अतः शिक्षा के क्षेत्र में सगठन की दृष्टि से समन्वय यन्त आवश्यक है। इस समन्वय को हम निम्नलिखित वर्गों में बांट सकते है।

१. एक शिक्षण साधन का दूसरे से समन्वय।

२. एक विद्यालय का उसी स्तर के अन्य विद्यालयों से।

३ माध्यमिक विद्यालयों का प्राइमरी विद्यालयों एवं कालेजों एवं विश्व द्यालयो से

४. विद्यालय के प्रशासन का अध्यापकों से

५ एक अध्यापक के कार्यों का दूसरे अध्यापक के कार्यों से।

६. एक अध्यापक के भिन्न भिन्न कार्यों का पारस्परिक समन्वय।

७. विद्यालय के कार्य-कलापों का समुदाय से समन्वय।

५. आत्म-नियन्त्रण और आत्मनुशासन
(Self central & self discipline)

नियन्त्रण की प्रकृति विधियों (Methods), लक्ष्यों (Ains), वस्तुओं Materials) में पारस्परिक सम्बन्ध बनाये रखना है। लक्ष्यों की स्पष्टता से अन्य चीजों का चयन आसानी से किया जा सकता है प्रजातान्त्रिक संगठन में सत्ता के बल र (At the presnce of the authority) नियन्त्रण को स्वीकार नहीं किया जाता। इसमें सत्ता और स्वतन्त्रता (Authority & Freedom) को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। व्यक्ति नियमों और सिद्धान्तों की सीमाओं में कार्य करने के लिए स्वतन्त्र रहता है। उसमें इन नियमों तथा सिद्धान्तों के प्रति विश्वास जागृत करना आवश्यक है। व्यक्ति इस स्थिति में ही आत्म नियन्त्रित (Self

कालिनन के अनुसार, "(In a society in which freedom rather than regimentation is to be the rule, it is important that the ci[illegible] govern self in these relationship according to decent standards of honesty and fairness.)" विद्यालय जीवन के लिये यह बात बहुत म[illegible] गत है। तथा इस प्रकार की व्यवस्था में विद्यालय जैसी शिक्षा संस्था[illegible] समाज का नेतृत्व करना चाहिए।

६ कुशल और योग्य मार्ग-दर्शन

(Skillful & Able guidance)

जनतान्त्रिक शिक्षा व्यवस्था में प्रभावोत्पादक मार्ग दर्शन सेवा (G[illegible] service) का होना अत्यन्त आवश्यक है। माध्यमिक शालाओं के स[illegible] निम्नलिखित परिस्थितियों में लाभकारी और आवश्यक है—

१. माध्यमिक शाला में प्रवेश पाने के लिये विद्यालय का उप[illegible] (Selection of school)।

२. प्रवेश के समय नवीन वातावरण में समायोजन (Adju[illegible] करने के लिये।

३. विषयों के चयन के लिये (Selection of subjects)

४. सहगामी क्रियाओं (Co-curricular activities) में क्रियाशी[illegible] लेने के लिये।

५. कक्षा की विशिष्ट समस्याओं के समाधान में सहायता प्राप्त [illegible] लिये।

६. छात्र अध्यापक (Pupil Teacher) सम्बन्धों को सुदृढ़ता के लिये

७. विद्यालय के प्रशासन में सहायता देने के लिये।

८. विशिष्ट छात्रों को मालूम करने के लिये विद्यालय को सहायता दे[illegible]

९. माता-पिता अभिभावकों के सम्बन्धों को विद्यालय से बनाये रखना

१०. अन्य माध्यमिक विद्यालयों, प्राइमरी स्कूलों एवं उच्च शिक्षा सं[illegible] एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों और सामुदायिक संगठनों तथा सार्वजनिक वि[illegible] से विद्यालय के सम्बन्ध बनाये रखना।

११. विद्यालय की अन्य सेवाओं को सहायता प्रदान करना।

१२. कैरियर कान्फ्रेन्स इत्यादि आयोजनों का संगठन करना।

१३. बच्चों के लिये परामर्शदायी सेवा (Counseling service) व्यवस्था करना।

१४. माध्यमिक शाला से निकलने पर छात्रों को भावी कार्यक्रम बना[illegible] सहायता देकर उनको उपयुक्त जगह पर रखना (Proper placement.)।

१५. विद्यालय में अनुगामी सेवा (Follow up service) की व्यवस्था
ना।

७. सुनियोजन
(Will planning)

प्रत्येक कार्य की सफलता उसके नियोजन पर काफी अधिक सीमा तक निर्भर
होती है। कार्य करने से पूर्व उसकी पूर्ण रूप रेखा तैयार कर लेना ही नियोजन
। इससे कार्य सुगम, सस्ता एवं सुन्दर ढंग से पूर्ण हो जाता है। शिक्षा व्यवस्था
लिये हर स्तर पर हर क्रिया के लिये पद-पद और पग-पग पर नियोजन की आव
श्यकताहोती है। शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति बहुत कुछ इस पर निर्भर करती है।
क्षा मे नियोजन की यह विशेषता है कि यह लचीला (Flexible) होता है।

८. मूल्यांकन
(Evalution)

वास्तविक जनतान्त्रिक व्यवस्था वह है, जिसमे प्रत्येक व्यक्ति अथवा संस्था
और संगठन भावी कार्य क्रम को ही नहीं सोचता, एवं पूर्व काल मे किये गये कार्यो
की सफलता और औचित्य (Success and relivece) के विषय में भी सम्माप रूप
से सजग (Conscious) रहता है। निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में प्राप्त सफलता एवं
असफलता के कारणों को ढूढ़ कर प्रयोग की गई सुधारात्मक परिवर्तन एवं परि-
मार्जन करना। जिससे भावी प्रयास अधिक प्रभावशाली बन सकें।

६. अनुगामी सेवायें
(Follow up services)

ये सेवायें मूल्यांकन की उपयोगिता को व्यावहारिक रूप देती हैं। मूल्यांकन
में प्राप्त तथ्यो के अनुसारी अनुगामी सेवाओं के द्वारा भावी कार्यक्रमो को नियोजित
किया जाता है।

इस प्रकार की शिक्षा-व्यवस्था जिसमे उपरोक्त का संगठनात्मक प्रावधान
होता है वास्तव में व्यवहारिक जनतान्त्रिक शिक्षा का स्वरूप है।

विद्यालयो में सुधार के लिये सुझाव
(Reforms in schools at present)

वर्तमान आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक परिस्थियो मे विद्यालयो के
संगठन को अधिक से अधिक जनतान्त्रिक बनाने के लिये निम्नलिखित सुझाव लाभ-
कारी सिद्ध हो सकते हैं।

(कृपया शिक्षा-सिद्धान्त में देखे)।

---

behaviour) की कल्पना करता है। यह अपेक्षा की जाती है कि यह व्यवहार परिवर्तन (Individual) और सामाजिक (Social) जीवन में समायोजन (Adjustment) को सम्भव करने में सहायता करेगा। यह पूर्ण रूप से चेतन क्रिया (Conscious activity) है। तथा पाठ्य-वस्तु (Teaching-subject) पूर्व निश्चित होता है।

शिक्षा
(Education)

शिक्षा (Education) का अर्थ व्यापक है। इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रत्यक्ष (Direct) अथवा परोक्ष (Indirect) रूप में औपचारिक अथवा अनौपचारिक ढंग से प्रभावित करता है। इसे व्यक्तियों की पारस्परिक अन्तर्क्रिया (Interaction) का रूप भी दिया जा सकता है। इसका परिणाम व्यक्तित्व का का विकास (Development of personality) है। शिक्षा प्राप्ति के बाद व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने व्यक्तिगत (Private) एवं सार्वजनिक (Public) कार्य-व्यापारों में अधिक से अधिक (Maximum) प्रभावोत्पादकता से आचरण करे। शिक्षा देने और प्राप्त करने की कई विधियाँ हैं, जिनमें शिक्षण भी एक औपचारिक (Formal) विधि है।

तालिका २'१
शिक्षण और शिक्षा
(Teaching & Education)

शिक्षण (Teaching)	शिक्षा (Education)
प्रकृति	
१. चेतन क्रिया है। (Conscious activity.)	१. इसमें व्यक्ति चेतन (Conscious) अथवा अचेतन (Unconscious) किसी भी रूप मे प्रभावित हो जाता है।
२. यह कार्य प्रत्यक्ष (Direct) विधि से औपचारिक (Formal) अवस्था में ही होता है।	२. यह प्रत्यक्ष (Direct) (Indirect) अप्रत्यक्ष विधियों से किसी भी औपचारिक (Formal) अथवा अनौपचारिक (Informal) किसी भी अवस्था में दी जाती है।
३. शिक्षा देने तथा शिक्षा प्राप्त करने की एक औपचारिक विधि है।	३. यह विकास प्रक्रिया (Developmental process) है।
४. यह क्रिया विशिष्ट काल में किसी विशिष्ट परिस्थिति में ही होती है।	४. यह आजीवन चलने वाली अविरल (Continous) प्रक्रिया है।

उपरोक्त अध्ययन से 'शिक्षण' और शिक्षा के अर्थ और क्षेत्र स्पष्ट हो जाते हैं। किन्तु निम्नलिखित बातों में दोनों की समानता तथा अन्तर्सम्बन्ध भी किसी से छिपा नहीं है।

१. चेतन क्रियायें (Conscious activity)।
२. कम से कम दो चेतन व्यक्तित्व आवश्यक हैं।
३. शिक्षण और शिक्षा दोनों की अपनी विधियां हैं। शिक्षण स्वयं शिक्षा की एक विधि है। जबकि शिक्षण विधि का चयन शिक्षक करता है।
४. शिक्षण क्रिया की पहल अध्यापक (शिक्षक) स्वयं करता है। इसके लिए उसको पूर्व निश्चित उद्देश्यों का ज्ञान होता है तथा प्रभावशाली शिक्षण के लिए उसके पास कई प्रकार की सामग्रियां एवं विधियां होती हैं। इनमें पुस्तकें (Books) प्रमुख हैं। पुस्तकों से शिक्षा प्राप्त की जा सकती है किन्तु यह कार्य शून्य (Vacuum) में सम्भव नहीं हो सकता। इसके लिए पृष्ठभूमि तैयार करनी पड़ती है।
५. शिक्षा की सामग्री पुस्तकों में संचित रहती है। इसे शिक्षण के द्वारा अथवा शिक्षण में शिक्षक द्वारा अभिप्रेरण से विद्यार्थी को सिखाया जाता है। जिसे ग्रहण करने के बाद विद्यार्थी अपने व्यावहारिक जीवन में प्रयोग कर शिक्षित (Educated) कहलाने का अधिकारी होता है। इन कथनों और तथ्यों के आधार पर पुस्तक (Books) शिक्षक (Teacher) शिक्षा (Education) और शिक्षण (Teaching) के अन्तर्सम्बन्धों का सामान्यीकरण इस प्रकार किया जा सकता है कि–

"शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति ज्ञान ग्रहण कर सांस्कृतिक विकास में रचनात्मक कार्य कर उसे नवीन रूप देने का प्रयास करता है। ज्ञान का संचित कोष 'पुस्तक (Books)' है। शिक्षा के लिए ज्ञान आवश्यक है। इसलिए जानकार व्यक्ति (शिक्षक) पुस्तकों के ज्ञान (Knowledge) की जानकारी (Understanding) विद्यार्थियों को देता है। ज्ञान प्राप्ति का परिणाम सीखना (Learning) है। प्रभावशाली सीखने से ही विद्यार्थी ज्ञान का जीवन में उपयोग कर सकते हैं। इसकी प्रभावोत्पादकता इस प्राप्ति के लिए प्रेरणा एवं उपयुक्त परिस्थितियां, अवस्थायें, और अवसर प्रदान करने वाले व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर करती है, यह व्यक्ति स्वयं अध्यापक है।"

अतः यह कहना कि 'पुस्तकें शिक्षण कर सकती हैं, व्यक्तित्व ही शिक्षा दे सकता है।' तथ्यों से मुंह मोड़ना है। व्यक्तित्व, पुस्तक, शिक्षा, शिक्षण सभी एक ही लक्ष्य-प्राप्ति के लिए किये गये प्रयासों में अपनी-अपनी भूमिका निभाते हैं। ये एक ही विशाल इकाई के भिन्न क्षेत्र हैं। पूर्ण आकृति (Whole pattern) की पूर्णता में प्रत्येक का अभिन्न योगदान है। ये एक दूसरे के बदले या एक दूसरे के

लिए नहीं परन्तु उस योजना के लिये कार्य करते हैं। इस योजना का लक्ष्य व्यक्ति और समाज के पूर्ण विकास में निहित है।

औपचारिक शिक्षा साधन (Formal agency of education) के रूप में विद्यालय का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके संगठन में मुख्याध्यापक का स्थान (Position of the headmaster) अपने आप में विशिष्टता रखता है। विद्यालय की शैक्षिक क्रियाओं (Educative activities) की प्रभावोत्पादकता (Effectiveness), शुद्धता (Accuracy), वैधता (Validity) और निरन्तरता (Continuity) तथा विद्यालय के वातावरण द्वारा रचनात्मक (Constrective) और सृजनात्मक (Creativity) का विकास और प्रत्यक्षीकरण (realization) सबसे अधिक एक मात्र कारक (Factor) मुख्याध्यापक पर ही निर्भर करता है। पी०सी० रेन (P. C. Wren) मुख्याध्यापक को विद्यालय में वही स्थान देते हैं, जो कि इञ्जन जहाज का यान में इञ्जिन का जमयान मे और मुख्य स्प्रिंग का घड़ी में होता है "What the mainspring is to watch, the flywheal to the machine, or the engine to the steamship, the headmaster is to the school)'

यह बात ध्यान रखने के लिए आवश्यक है कि मुख्याध्यापक पहले अध्यापक है। सफल मुख्याध्यापक बनने के लिए उसमें एक योग्य तथा सफल अध्यापक के गुणों का होना अत्यन्त आवश्यक है। यही इसके आधारभूत अर्हतायें qualifications) हैं। एक मुख्याध्यापक को हम, योग्य तथा सफल अध्यापक, कुशल प्रशासक (Skillful administrator), योग्य नेता (Able leader), प्रभावोत्पादक नागरिक (Effective citizen), सत्य निरीक्षक(Reliable supervision) निष्पक्ष एवं निडर निर्णायक (A fearless judge free from all prejudices) सुग्राह्य पर्यवेक्षक (Keen observer) के रूप में चित्रित कर सकते हैं। उसका हृदय विशाल एवं चिन्तन की सीमायें विस्तृत होती हैं (He is large hearted & broad minded) यहाँ हम प्रथम मुख्याध्यापक को एक अध्यापक के रूप में बच्चों की शिक्षा के सन्दर्भ में प्रस्तुत भूमिका का अध्ययन करेंगे।

बच्चों की शिक्षा में अध्यापक की भूमिका

(Role of teacher in the education of children)

प्रत्येक देश काल और परिस्थिति में बच्चों की शिक्षा में अध्यापक के महान योगदान को एक स्वर मे मान्यता मिली, मिलती है और भविष्य में भी मिलती ... के जीवन दर्शन में वैज्ञानिक अन्वेषणों के प्रभाव से जो ... की अवधारणाओं में परिवर्तन के साथ साथ अध्यापक ... आ रही है। किन्तु किसी भी विचारधारा ने अध्यापक ... स्तर को शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक चुनौती नहीं दी। यह ... इसको अपने संगठन में भिन्न भूमिकायें निभाने को दी

इस बात का है कि प्रत्येक प्राकृति (Pattern) में अध्यापक ने सफलता से ी भूमिका निभायी और वह शिक्षा व्यवस्था (System of Education) में के एक परम आवश्यक प्रमुख अंग के रूप में हर स्थल पर खरा उतरा। भिन्न दार्शनिक विचारधाराओं (Philosophies) द्वारा प्रस्तुत भिन्न शिक्षा संगठनों उसका स्थान (Place) स्पष्ट ही है— (प्रश्न १.२ विद्यालय संगठन देखें)।

सामान्य रूप में हम अध्यापक को शिक्षा व्यवस्था में निम्नलिखित प्रमुख कार्यों में देख सकते हैं।

१. कक्षा अध्यापक
(Class teacher)

अध्यापक को हम एक कक्षा का उत्तरदायित्व सौंपकर उसे कक्षा-अध्यापक नाम देते हैं। कक्षा अध्यापक के रूप में उसके दायित्वों (Responsibilities) क्षेत्र बढ़ जाता है तथा उसके कन्धों पर अतिरिक्त कार्यभार बढ़ जाता है। अतिरिक्त दायित्वों को सफलता पूर्वक निभाने और कार्यों को पूरा करने के लिए अध्यापक में आवश्यक शक्ति (Energy), कौशल (Skill), योग्यता एवं तत्परता Readiness) का होना आवश्यक है। इस रूप में उसके प्रमुख कर्तव्य एवं दायित्व प्रकार हैं —

(i) कक्षा में प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत जानकारी।

(ii) विद्यार्थियों की उपस्थिति (Attendance) एवं शुल्क सम्बन्धी तथ्यों रिकार्ड रखना।

(iii) माता पिता तथा अभिभावकों से सम्बन्ध स्थापित करना।

(iv) संकलित अभिलेख-पत्रों (Cumulative records) का निर्माण तथा नको सुरक्षित रखना।

(v) प्रगति (Progress) सम्बन्धी आंकड़ों को संचित करना। तथा माता पिता, अभिभावकों और विद्यालय प्रशासन को उस विषय में जानकारी देते रहना।

(vi) कक्षा को पढ़ाने वाले अध्यापकों, विद्यार्थियों एवं मुख्याध्यापक, समुदाय (पर के सन्दर्भ में कक्षा अध्यापक प्रभावशाली समन्वय (Coordination) के लिए उपयुक्त माध्यम है।

(vii) निर्देशन-सेवा, स्वास्थ्य-सेवा, पुस्तकालय, शारीरिक शिक्षा, सहयोगी क्रियाओं आदि सभी विद्यालयी सेवाओं में कक्षा-अध्यापक का बहुत महत्व है।

(viii) विद्यालय के अनुशासन में कक्षा-अध्यापक का महत्व सर्वविदित है।

(ix) कक्षा-अध्यापक विद्यार्थियों के लिए नैतिक और धार्मिक निर्देशनों (Religions and moral instruction) तथा यौन-प्रवृत्ति शिक्षा (Sex Hygiene) की व्यवस्था प्रभावशाली ढंग से कर सकता है।

(x) विद्यार्थियों की कक्षोन्नति (Promotion) के लिए आवश्यक (Essential) और वस्तुगत तथ्यों (Objective facts) एकत्रित कर सकने के लिए अपने स्थान की विशिष्टता के कारण सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति है।

(xi) वह अध्यापक-विद्यार्थी तथा विद्यार्थी-विद्यार्थी, अध्यापक-अध्यापक सम्बन्धों को वांछित ढंग से मृदु और लाभप्रद बनाने की दिशा में महान योग दे सकता है।

(xii) वह अध्यापकों और विद्यार्थियों में अपनत्व की भावना (Feeling of belongingness) का विकास अधिक सफलता से कर सकता है।

(xiii) वह विद्यालय के कार्यालय तथा विद्यार्थी को जोड़ने वाली कड़ी है।

(xiv) कक्षा अध्यापक सामान्य प्रशासन में विद्यालय को समय समय पर प्रत्येक परिस्थिति में सहायता प्रदान करता है।

(xv) अध्यापक कक्षा की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये व्यवस्थापक के हाथ में प्रमुख साधन है।

२. विषय अध्यापक
(Subject Teacher)

विषय-अध्यापक के रूप में अध्यापक का महान दायित्व है। उसे अपने विषय ज्ञान होना चाहिए। विषय वस्तु के प्रस्तुतीकरण से वह विद्यार्थियों में वांछित व्यवहार परिवर्तन की अपेक्षा करता है। वह पाठ्य वस्तु के उद्देश्यों की जानकारी रखता है। तथा उनकी प्राप्ति के लिए आवश्यक कदम उठाता है। विषय अध्यापक अपने विषय के अतिरिक्त बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञाता होना चाहिए इससे वह बच्चों की रुचि (Interest) अभिवृत्ति (Attitudes), शक्ति (Abilities) एवं पूर्व ज्ञान (Previous knowledge or experiences) के आधार पर उन्हें उपयुक्त प्रेरणा (Motivation) एवं विधि से नवीन ज्ञान देने में समर्थ होता है।

३. मार्गदर्शक
(Guide)

जहाँ अध्यापक विद्यार्थी को उसकी व्यक्तिगत समस्याओं का हल निकालने के लिए सहायता देने का कार्य करता है, हम उसे मार्गदर्शक का स्वरूप दे देते हैं (कक्षा अध्यापक के कार्य)।

४. प्रशासक
(Administrator)

[illegible] प्रशासन में अध्यापक की भूमिका सामान्य रूप से [illegible] [illegible] [illegible] (Adm[illegible])

(वी)क्षक (Incharge) के रूप में विशिष्टता और स्पष्टता से यह भूमिका निभाना ...कक्षा अध्यापक का जो योगदान शिक्षा व्यवस्था के इस पहलू में है, उसकी (वि)वेचना हम कर ही चुके हैं।

५. संदेशवाहक
(Messanger)

शिक्षा सम्बन्धी नवीन सूचनाओं एवं अन्वेषणों से छात्र छात्राओं को हर (सम)य जानकारी देते रहना आधुनिक युग की परम आवश्यकता है। ऐसा न करने (से) ही फलस्वरूप हमारी शिक्षण संस्थायें (Educational instituition) सांस्कृतिक (पिछ)ड़ेपन (Cultural lag) की शिकार बनी हुई है। विषय अध्यापक अपने विषय (के) क्षेत्र की नवीन उपलब्धियों (Achivements) से विद्यार्थियों को आवश्यकता-(नु)सार जानकारी देने में अपनी कर्तव्य परायणता प्रदर्शित कर सकता है। इस रूप (में) वह एक योग्य संदेश वाहक की भूमिका निभाता है।

६. सहायक
(Assistant)

अध्यापक विद्यालय के प्रशासकों के संदर्भ मे उनके सहायक के रूप मे अपना (का)र्य करता रहता है।

७. सहयोगी
(Colleauge)

अन्य अध्यापकों के साथ अन्तर्सम्बन्धों (Inter-relationship) एवं उनके (का)र्यों के सन्दर्भ मे अध्यापक को हम एक सहयोगी के रूप में देखते हैं। वह इस (का)र्य को बड़ी निपुणता से निभाता है।

८. आदर्श
(Ideal)

प्रत्येक अध्यापक चाहे वह किसी भी विषय का हो विद्यार्थियों के लिये एक आदर्श व्यक्तित्व प्रस्तुत करता है। विद्यार्थी अपने जीवन में अध्यापक के व्यक्तित्व (से) ही प्रभावित होकर आचरण एवं व्यवहार करते हैं।

बच्चों की शिक्षा में मुख्याध्यापक की भूमिका
(Role of headmaster in the education of children)

एक अध्यापक के रूप में हमने मुख्याध्यापक की भिन्न भिन्न भूमिकाओं म (अ)न्तदृष्टि (Insight) प्राप्त की। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित भूमिकाओं का निभाते हुये मुख्याध्यापक बालकों की शिक्षा को प्रभावित करता है।

१. समन्वय का साधन
(Coordinating Agency)

प्रधानाध्यापक भिन्न भिन्न सम्बन्धित व्यक्तियों, व्यक्तियों, संस्थाओं एव

संगठनों को सन्तुलित करता है तथा इस रूप में विद्यालय के सन्तुलित (Har-
monious) विकास का दिशा-निर्देशन करता है। इस भूमिका में वह
अवांछनीय संघर्षों एवं विभिन्नताओं से विद्यालय की सुरक्षा करता है। मुख्याध्यापक
इस भूमिका में कार्यों को दोहराने (Duplication) की घटनाओं में शक्ति
अर्थ के अपव्यय को बचाता है। इससे विद्यालय संगठन से सम्बन्धित दायित्वों
कार्यों का सुचारु रूप से वितरण हो जाता है। एक ही व्यक्ति अथवा संगठन
कार्य भार नहीं बढ़ता। इससे संगठन सम्बन्धी कई रुकावटें समाप्त हो जाती हैं।

२. निरीक्षक

(Supervisor)

मुख्याध्यापक निम्नलिखित विशिष्ट कार्यों से कभी भी वंचित नहीं रह
सकता—

(i) अध्यापकों के कार्य।
(ii) विद्यार्थियों का गृह कार्य
(iii) विद्यार्थियों की शैक्षिक क्रियायें।
(iv) शारीरिक प्रशिक्षण।
(v) छात्रावास व्यवस्था।
(vi) विद्यार्थियों की प्रगति, प्रगतिपत्र, कक्षोन्नति, एवं संचित अभिलेख पत्र।
(vii) कार्यालय के कार्य।
(viii) उपस्थिति रजिस्टर।
(ix) स्वास्थ्य निरीक्षण।
(x) विद्यालय की अन्य सेवाओं का निरीक्षण।
(xi) सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामुदायिक गति-विधियां।
(xii) परीक्षा पत्र।

३. पर्य वेक्षक

(Observer)

विद्यालय की गति-विधियों एवं समुदाय-विद्यालय की अन्तर्संबन्धी बातों
अध्यापक-विद्यार्थी की गति विधियों, आचरणों एवं व्यवहारों का पर्यवेक्षण मुख्या-
ध्यापक के लिये अपने पद का कार्य-भार सफलता से सम्भालने के लिये अत्यन्त
आवश्यक है। उसे हर विषय की जानकारी तथ्यों के माध्यम से होना चाहिये।
आत्म-पर्यवेक्षण (Self-observation) मुख्याध्यापक का प्रदत्त सामग्री (Data)
एकत्रित करने का एकमात्र साधन होना चाहिए। सुनी हुई बातों के आधार पर
देना, मुख्याध्यापक का तर्क संगत कदम कदापि नहीं कहा जा सकता।

४. नेता

(Leader)

मुख्याध्यापक सभी शैक्षणिक क्रिया-कलापों में अध्यापकों को नेतृत्व प्रदान करता है। अपने नेतृत्व के गुणों के आधार पर वह अध्यापक-वृन्द (Staff) का एकत्व (Integration) बनाये रखने में सफल होता है। वह सभी अध्यापकों एवं अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त कर सकता है।

इन भिन्न भिन्न भूमिकाओं में अध्यापक और मुख्याध्यापक के कार्यों का मात्र लक्ष्य बच्चों की शिक्षा को अधिकाधिक प्रभावोत्पादक बनाना है।

उत्तर (ब) -

बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों एवं परम्पराओं को दृष्टिगत करते हुए यह आवश्यक है कि अध्यापक की परम्परागत धारणाओं (Views) मूल्यों (Values), आदर्शों (Ideals), विधियों (Methods) आदि में वांछनीय परिवर्तन किये जायें। इस वैज्ञानिक गतिशील युग में हमें ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना है जो इस द्रुतगामी परिवर्तन की परिस्थिति में अपने आपको परिवर्तित कर समायोजन (Adjustment) में सफल हो सके। कुछ समय पूर्व जो परिवर्तन सदियों (Centuries) में होते थे अब वे दशाब्द शताब्दियों (Decades) और दशांश शताब्दियों में होने वाले परिवर्तन कुछ ही वर्षों और वर्षों में होने वाले परिवर्तन महीनों और दिनों की बात बन कर रह गई है। परिवर्तन के लिये हमारी शिक्षण संस्थाओं को नेतृत्व प्रदान करना चाहिये। ब्राउन महोदय के निम्नलिखित कथन से हमें यह बात स्पष्ट हो जाती है—

"New social patterns are necessary and the agency of education must take the lead in giving them direction."

विद्यालय में यह दायित्व निभाने वाला व्यक्तित्व अध्यापक में है। अतः इसके लिये सर्वप्रथम अध्यापक को तैयार करना आवश्यक है। हुमायू कबीर ने भी इस बात पर विशेष बल दिया—

"In working of any educational renaissance, the teacher must inevitably play the central role and all those measures designed to improve the quality of his professional efficiency add to the promise of successful educational reconstruction."

माध्यमिक शिक्षा आयोग (Secondary Education commission) ने भी इस बात को अपने प्रतिवेदन में निम्नलिखित पंक्तियों के द्वारा विशेष महत्व दिया -

"That the most important factor in the contemplated educational reconstruction is the teacher—his personal qualities

his educational qualifications, his professional training, and place which he occupies in the school as well as in the community."

कमीशन ग्रान टीचर एजूकेशन—ग्रमेरिकन कौंसिल ग्राफ एजूकेशन (1944) ने प्रतिवेदन में निम्नलिखित को स्पष्ट करते हुये ग्रध्यापक को देश का एकमात्र निर्माता घोषित किया।

"The quality of a nation depends upon the quality of it's citizens. The quality of it's citizens depends not exclusively, but in critical measure upon the quality of their Education. The quality of Education depends more than any other single factor upon the quality of their teachers."

शिक्षा ग्रायोग (Education commission) ने इस शैक्षिक पहलू को सबसे ग्रधिक महत्व दिया। उसके प्रतिवेदन की निम्नलिखित पंक्तियों से यह बात स्पष्ट हो जाती है।

"If all the different factors which influence the quality of Education and its contribution to the national development, the quality, competence, and character of teachers are undoubtedly the most significant......"

इसके ग्रागे प्रतिवेदन की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं;

"A programme of high priority in the proposed educational reconstruction, therefore, is to feed back a significant proportion of talented men and women from schools and colleges into educational system."

इसे सम्भव करने के लिये ग्रायोग की राय में;

"Intensive and continuous efforts are necessary to raise the economic, social, and professional status of the teachers."

शैक्षिक पुनर्रचना (Educational Reconstruction) के विषय में शिक्षा ग्रायोग ने इस बात पर विशेष बल दिया कि इसे जन-जीवन की ग्रावश्यकताग्रों ग्रौर ग्राकांक्षाग्रों के ग्रनुरूप बनाया जाय। इसमें सामुदायिक जीवन का ग्रधिक से ग्रधिक [illegible] जाय। विद्यालयों को सामुदायिक जीवन का केन्द्र (Commu-ni[illegible]) के सिद्धान्त को ग्रविलम्ब व्यावहारिक रूप दे दिया जाय। सफलता प्राप्त वांछित परिणामों की प्राप्ति तभी हो सकती है [illegible] के ग्रध्यापकों को यह सब कार्य करने के लिये ग्रावश्यक [illegible] दिया जाय।

१. मेधावी व्यक्तियों के लिये आकर्षण—
Attraction for the talents

(i) कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे नवयुवक नवयुतियों में से प्रतिभाशाली लोगों के लिये शिक्षण-संस्थाओं को आकर्षक बनाया जाय। इसके लिये प्रत्येक स्तर पर वेतन-क्रम तथा यात्रा-दरों मे यथा शीघ्र वृद्धि की जाय।

(ii) अध्यापकों से वे कार्य न लिये जायें जिससे इनके व्यावसायिक सम्मान को ठेस पहुँचती है जिनमें जनगणना, अन्य पर्यवेक्षण, मतदान आदि कार्य प्रमुख हैं।

(iii) अध्यापकों के लिये निवास स्थानो तथा अध्ययन कक्षों की सुन्दर व्यवस्था की जाय।

(iv) अन्वेषण तथा अनुसन्धान और शोध-कार्यों के लिये अध्यापकों को प्रेरणा दी जाय।

शिक्षा के क्षेत्र मे जिसमें कि इस समय प्रतिभाशाली व्यक्तियों की कमी है, ऐसे लोगो के प्रवेश से हमारे वर्तमान अध्यापको को नयी पीढ़ी के निकट सम्पर्क से बहुत कुछ नवीन विचारधाराओं, ज्ञान, परम्पराओं और मूल्यों का ज्ञान हो जावेगा। वे अपने आपको अनुकूल रूप से बदलने के लिये अवश्य तत्पर हो जायेंगे।

२. सेवाकाल-प्रशिक्षण
In service Training

अध्यापकों के लिये सेवाकाल में प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिये। शिक्षा-सिद्धान्त मे विस्तार विवेचना देखें।

इस कार्य के लिये वर्कशाप (Work shop` ग्रीष्म कालीन शिविर, समर स्कूल (Summer schools) आदि के आयोजन प्रारम्भ हो गये हैं। N.C.E.R.T तथा U.G.C. और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इन कार्यक्रमों मे विशेष रुचि ले रहे हैं।

३. शिक्षक संगठनों का गठन
Teachers Organization

प्रत्येक स्तर पर शिक्षक सगठनों के निर्माण को बढ़ावा दिया जाय। साथ ही एक संगठन प्रत्येक स्तर पर सम्मावित (सभी स्तरो के अध्यापको का) होना चाहिये। इनमे सामाजिक जीवन के अनुकूल शिक्षा की पुनर्रचना के विषय मे विधियों और आवश्यक क्रियाओं को संगठित करने के लिये विचारों का आदान-प्रदान होना चाहिये।

४. समाज सेवा
Social Service

अध्यापकों के लिये सेवाकाल से पूर्व अथवा इसमें ही कम से कम एक वर्ष

अध्याय ३

अनुशासन

Discipline

।-४

'Discipline among the students can be greatly promoted if e is discipline among teachers." Discuss. How can the head- ter promote the better discipline among his colleagues ?

"यदि अध्यापकों में अनुशासन हो तो इसे विद्यार्थियों में अच्छी प्रकार लाया सकता है।" विवेचना कीजिये। प्रधानाध्यापक अपने सहयोगियों में अधिक अच्छा शासन कैसे ला सकता है ?

[राज० 1963 प्र० (6)]

र

विद्यालय में अनुशासनहीनता (In discipline) का तात्पर्य ऐसे व्यवहारों ehaviours), क्रियाओं (Activities), आदतों (Habits), अन्तर्संबन्धों ter-relationships), अभिवृत्तियों (Attitudes), से है जो कि उसके सुचारु से चल रहे (Running smoothly) कार्य-क्रम मे बाधायें उपस्थित करते हैं। कारक (Factors) विद्यालय के किसी भी व्यक्ति से सम्बन्धित हो सकते हैं। में कोई सन्देह नहीं कि इसके कई सामाजिक और शैक्षिक कारण हैं। किन्तु इतना सत्य है कि अध्यापकों के सन्दर्भ में इन घटकों का विद्यालय के अनुशासित जीवन [illegible] बच्चों के जीवन को बहुत प्रभावित ता (प्रश्न ३ देखें)।

अध्यापकों में अनुशासित जीवन को व्यवहारिक रूप प्रदान करने में मुख्य यापक के योगदान की चर्चा करने से पूर्व हमें उन कारणों को खोजना चाहिये कि शिक्षक-समाज (Teacher-community) को इस सामाजिक बीमारी शासनहीनता का शिकार बनाने के लिये उत्तरदायी हैं। इनमें प्रमुख निम्न- खित हैं;

.. **शिक्षा के क्षेत्र में स्थानीय राजनीति का प्रवेश**

Entrance of local politics in education

२. अध्यापकों की पदोन्नति एवं स्थानान्तरण में पक्षपात
Prevelence of prejudices in the promotion and transfer teachers.

३. सामान्य सामाजिक अनुशासनहीनता
General indiscipline in society

४. अध्यापकों तथा मुख्याध्यापक में पारस्परिक अविश्वास और आशंका
Prevelence of lack of faith and general doubt in others intention among teachers and headmasters.

५. मुख्याध्यापकों में कुशल नेतृत्व के गुणों का अभाव
Lack of the leadership qualities in the headmasters.

६. मुख्याध्यापकों की रूढ़िवादी विचारधारायें
Traditionalism in headmasters

७. अध्यापकों में धनाभाव
- Teachers viction of security

८. अध्यापकों में प्रशासनिक अधिकारों का अभाव
Lack of administrative rights of the teachers

९. अध्यापकों में वर्ग-भेद
Class differences among teachers

१०. यौन सम्बन्धी असमान्यतायें
Sex abnormalities.

जिस विद्यालय में उपरोक्त शक्तियाँ कार्य करती हैं वहाँ अध्यापक एक के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। वह विद्यालय अनुशासित जीवन का साकार नहीं कर सकता। इस दिशा में मुख्याध्यापक के विचार हेतु निम्न सुझाव प्रस्तुत किये जाते हैं। आशा है इनसे अनुशासनहीनता शिक्षक-समाज से नहीं अपितु सम्पूर्ण विद्यालय जीवन से ही समाप्त नहीं तो कम से कम प्रभाव पर अवश्य पहुँच जावेगी।

(i) मुख्याध्यापक को ऐसे प्रयास करने चाहिये जिससे कि स्टाफ प्रत्येक व्यक्ति उसे अपना हितैषी समझे।

(ii) ऐसे अध्यापकों तथा अन्य व्यक्तियों को प्रोत्साहन न दिये जायें दूसरे लोगों की मिथ्या शिकायतें लेकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं।

(iii) मुख्याध्यापक को नौकरशाही तथा सत्ताधारी बन कर नहीं अपि एक साथी सहयोगी बन कर स्टाफ का सहयोग प्राप्त करना चाहिये।

(iv) कार्य के वितरण में योग्यता, क्षमता तथा कौशल को ही ध्यान जाना चाहिये।

(v) मुख्याध्यापक को कभी भी कलम के बल पर धमकियों से अध्यापकों नियन्त्रण की कल्पना तक नहीं करनी चाहिये। इसके विपरीत उसे सभी ापकों का समस्त रूप से हितैषी बन कर स्टाफ की सहानुभूति और मान प्राप्त ा चाहिये।

(vi) उसमे कभी भी बदले की भावना न हो। वह विशाल हृदय का क्ति हो। उसमें सहनशीलता असीमित हो। क्षमा से दूसरो के हृदयो पर विजय ्त का प्रयास उससे अपेक्षित है।

(vii) उसे आज्ञा देने वाले के रूप में नहीं अपितु एक मार्ग-दर्शक के रूप में र्य करना चाहिये।

(viii) छोटी छोटी यदाकदा होने वाली भूलों को अधिक तूल नहीं देना हिये।

(ix) अध्यापक को किसी प्रकार की सहायता देने पर ऐहसान का आभास ी देना चाहिये।

(x) उसे अपने साथियों पर विश्वास करना चाहिये। स्वयं ही वह भी का विश्वासपात्र बन जावेगा।

(xi) वर्तमान परिस्थितियों मे अध्यापक की आर्थिक स्थिति बहुत नीय है। परिवार के भरण-पोषण के लिये उसे ट्यूशनो का सहारा लेना पड़ता । यदि आजकल विद्यालयो मे स्टाफ के बीच मे विरोधाभास के कारणों का ्ययन किया जाय तो इसका सबसे बड़ा कारण ट्यूशन है। इस विषय मे निम्न-खित सुझाव उपयोगी होंगे :—

(a) किसी भी अध्यापक को ट्यूशन से न रोका जाय।

(b) विद्यालय को चाहिये कि ट्यूशन चाहने वाले माता-पिता तथा अभि-ावकों को बुलाकर विद्यालय में ही अतिरिक्त समय में बच्चों के लिये पढ़ने की ्यवस्था की जाय। इस व्यवस्था में विषय पढ़ाने वाले इच्छुक सभी अध्यापकों को मान अवसर दिये जायँ। अतिरिक्त फीस की व्यवस्था की वसूली में विद्यालय ध्यापकों की सहायता करे।

(c) बच्चो के पढ़ने की अतिरिक्त समय मे भी व्यवस्था का भार स्वयं द्यालय वहन करे।

(d) इस व्यवस्था का परीक्षाफल पर कोई भी प्रभाव पड़ने से रोका जाना ाहिये। यह बात आत्म नियन्त्रण और आत्मानुभूति के ही विकास से सम्भव है।

(xii) विद्यालय में अधिक से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होने चाहिये।

(xiii) प्रशासन तथा शिक्षा-सम्बन्धी समस्याओं के समाधान में सहयोग लेकर चलना ही मुख्याध्यापक के लिये अधिक श्रेयस्कर है।

(xiv) किसी भी अध्यापक से किसी भी प्रकार का दुराव नहीं होना चाहिये।

(xv) प्रधानाध्यापक को प्रत्येक बात में स्पष्ट तथा निष्पक्ष होकर निर्णय लेने चाहिये।

(xvi) अध्यापकों के निर्णय का पूरा सम्मान किया जाना चाहिये।

(xvii) मुख्याध्यापक की प्रजातान्त्रिक अभिवृत्ति होनी चाहिये।

अध्याय ४

मार्ग-दर्शन, संकलित-अभिलेख

Guidance, Cumulative Record

प्रश्न—

What do you understand by 'Guidance'? What are the aims o guidance service in a Higher Secondary School ? Chalk out a pro gramme of the organization of an effective guidance service i Higher Secondary School.

'निर्देशन' से क्या तात्पर्य है ? माध्यमिक विद्यालयों में निर्देशन सेवा के क्य उद्देश्य हैं ? माध्यमिक शालाओं के लिये एक प्रभावशाली निर्देशन-सेवा की रूप-रेख प्रस्तुत कीजिये ।

उत्तर—

निर्देशन
Guidance

निदशन सेवा व्यक्ति के जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका लक्ष्य व्यक्ति का विकास होना है इसमें एक जानकार व्यक्ति अनभिज्ञ व्यक्ति को इस प्रका की सहायता प्रदान करता है, जिससे वह अपने लिए स्वय अपनी समस्या का समाधान अथवा किसी अवसर का चयन कर सकने के लिये आवश्यक सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है व्यक्ति दूसरे की सहायता से अपनी शक्तियों एव योग्यताओं का मूल्यांकन करने म सफल हो जाता है। तथा इसी के अनुसार अपने लिये अनुकूल निर्णय लेकर विकास की दिशा में अग्रसर होता है। इसकी कुछ परिभाषायें निम्नलिखित हैं।

एमरोसट्प्स (Emeryosteops) के अनुसार, निर्देशन एक निरन्तर प्रक्रिय है जिसमें व्यक्ति को इस प्रकार की सहायता दी जाती है कि वे अपनी अभियोग्यताओं का उच्चतम विकास कर अपना तथा समाज का अधिकतम विकास करने की दिश में अग्रसर होता है।

(Guidance is a continuous process of helping the individual t develop to the maximum of his capacity in the direction most bene ficial to himself and to society."

यूनाइटेड स्टेट्स आफिस आफ एजूकेशन ने इसकी परिभाषा देते हुए लिख कि;' 'निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को विभिन्न उपायों (जिनमे प्रशिक्षण भ

सन्निहित है) का परिचय कराया जाता है। इसमें वह अपनी स्वाभाविक शक्तियों को पहिचान कर अपने जीवन को व्यक्तिगत तथा सामाजिक दृष्टि से सर्वोत्तम प्रकार की सुविधा के अनुकूल बनाता है।

(The process of acquainting the individual with the various ways including special training in which he may discover his natural endowments so that he make a living to his own best advantages and that of society)."

क्रो और क्रो (Crow & Crown); "निर्देशन दिग्दर्शन नहीं। यह एक के ऊपर दूसरे के विचारों का थोपना नहीं है। यह किसी व्यक्ति के लिये, जिसे स्वयं ऐसा करना चाहिये, निर्णय लेना कदापि नहीं है। यह दूसरों के दायित्वों को स्वयं सम्भालना नहीं है। निर्देशन एक सहायता है जो एक कुशल व्यक्ति के द्वारा दूसरे को दी जाती है। इससे वह अपने जीवन का पथ प्रदर्शन कर अपने लिये धारणाओं का विकास करता है तथा निर्णय लेकर अपना भार स्वयं वहन करता है।

(Guidance is not direction. It is not the imposition of one's point of view upon another. It is not making decisons for an individual which he should make for himself It is not carrying the burden of another's life. Rather guidance is assistance made available by competent counselor to an individual of any age to help him direct his life, develop his own point of view, make his own decisions and carry his own burden."

माध्यमिक शालाओं में निर्देशन के उद्देश्य
Aims of Guidance in Higher Secondary Schools

१. विद्यार्थी को उपयुक्त विद्यालय के चुनाव में सहायता देना।

२. प्रवेश प्राप्ति की सूचनायें देना।

३. विद्यालय के नवीन वातावरण के समायोजित (Adjust) होने के लिये छात्र को उपयुक्त सहायता देना।

४. छात्रों को विषयों के चुनाव मे आवश्यक सहायता देना।

५. मानसिक परिक्षणों के द्वारा उनके लिये उपयुक्त व्यवसाय के चुनाव के सम्बन्ध में निर्णय लेने की डिग्री मे सहायता प्रदान करना।

६. सामूहिक क्रियाओं मे छात्र को अपने लिये उपयुक्त स्थान ढूंढने तथा उस ... से कार्य करने के लिये आवश्यक सहायता की व्यवस्था करना।

... स्वास्थ्य सम्बन्धी बातों और समस्याओं के समाधान में छात्रों

८. उनकी अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को समझ सकने की दिशा में सहायता देना।

९. अध्यापक-छात्र मृदु सम्बन्ध बनाये रखने में विद्यालय को सहायता देना।

१०. विशिष्ट विद्यार्थियों को पहिचानना।

११. माध्यमिक स्तर की शिक्षा समाप्त करने के बाद विद्यार्थियों को उसके भावी कार्यक्रम बनाने मे सहायता देना।

निर्देशन सेवा का संगठन

Organization of Guidance Service

विद्यालयों मे निर्देशन सेवा का गठन निम्नलिखित आधारभूत मान्यताओं के आधार पर किया जाता है।

१. निर्देशन प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता है।

२. यह प्रत्येक का अधिकार है।

३. छात्रों को स्वयं उनके विषय मे निर्णय लेने की दिशा मे सहायता देना।

४. विद्यार्थियों के लिये व्यावसायिक एवं शैक्षिक सूचनायें एकत्रित करना।

५. विद्यालय और समुदाय का सम्बन्ध बनाने मे योग देना।

६. मूल्यांकन।

७. अनुगामी सेवा के आधार पर निर्देशन को अविरल बनाये रखना।

माध्यमिक स्तर पर निर्देशन सेवा

Guidance service in Secondary schools

चित्र ४.१

इसमें निम्नलिखित व्यक्ति प्रमुख रूप से होते हैं।

१. मुख्याध्यापक (Headmaster)

२. परामर्शदाता (Counselor)

३. अध्यापक (Teachers)

४. कक्षा-अध्यापक (Class teacher)

५. मनोवैज्ञानिक (Psychologist)

६. मनोविश्लेषक (Psychoanalyst)

७. स्वास्थ्य विशेषज्ञ (Health specialist)

प्रश्न

What are cumulative records ? Give their importace and use.

संकलित आलेख-पत्र से क्या समझते हो ? इनके महत्व और उपयोग बतलाइये।

उत्तर

संकलित आलेख पत्र

Cumulative Records

विद्यार्थियों के विषय में जानकारी रखने के लिये आवश्यक है उनसे सम्बन्धित सूचनाओं को एकत्रित कर सुरक्षित रखा जाय। विद्यार्थी के विषय में प्राप्त किसी भी माध्यम से एकत्रित सूचनाओं को सुरक्षित रखना ही सीखने का लेख पत्र है। इसकी परिभाषा देते हुए डब्लू० सी० ऐलन ने लिखा है।

The cumulative record is difined as a record of information concerned with the appraisal of the individual pupil usually kept on a card kept in one place."

जैन वार्टर्स (Jane warters) ने संकलित अभिलेख पत्र की परिभाषा देते हुए कहा कि व्यक्तिगत, परीक्षा, साक्षात्कार, निरीक्षण, प्रश्नावली, व्यक्ति वृत्त अध्ययन अथवा किसी भी अन्य विधि से व्यक्ति के विषय में प्राप्त सूचनाओं को सार और सारांश रूप में एक ही स्थान पर एकत्रित कर देना चाहिये।

"Personally, the significant information gathered on students through the [illegible] of various techniqutists, universitiies, questionaires, observ[illegible] [illegible]view, case study—should be assembled in summary form [illegible] record."

Hand book of cumulative records U. S. office of [illegible] इसकी [illegible] में अपने विचार व्यक्त करता है:

"Records are essential to a constantly evolving curriculum. ndividnal differences in the needs, intrests, and abilities of pupils, s revealed through participation in the school programme should e recorded. Such differences indicate the nature and amount of uidance needed by individual pupils at various stages of their evelopment."

संकलित श्रालेख पत्रों के उद्देश्य

Aims of cumulative Records

१. बच्चे की मानसिक शक्तियों को समझना।

२. विद्यार्थी श्रावश्यकताओं को जानना।

३. किसी भी घटना के विषय मे कारणों को जानने के लिये सामग्री एकत्रित करना।

४. वे सूचनायें एकत्रित करना जिन्हें कि परीक्षण से भी ज्ञात नहीं किया जा सकता।

५. विद्यार्थियों की संवेगात्मक एव सामाजिक विकास प्रकृति में अन्तर्दर्शन प्राप्त करना।

६. विद्यालय की अन्य सेवाओं के कार्य मे सहायता देना।

७. शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन के लिये सहायक सामग्री एकत्रित करना।

८. विद्यार्थी के समायोजन की समस्या के हल के लिये उसके पूर्व-जीवन का वर्तमान की पृष्ठभूमि के रूप मे अध्ययन करना।

संकलित अभिलेखों के प्रकार

Kinds of Cumulative Records

१. एक-पत्र अभिलेख (Single card Record)

२. फोल्डर (Folder)

३. संकलित फोल्डर (Cumulative Folder)

श्रालेख पत्रों के उपयोग

Uses of cumulative records

१ नवीन कक्षाओं में विद्यार्थियों का परिचय प्राप्त करने में सहायता।

२. शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन के क्षेत्र में

३. किसी असामान्यता को मालूम करना तथा उसके उपचार का प्रयास करना।

४. छात्रों के वर्गीकरण मे सहायता।

५. बालक के विषय मे प्रतिवेदन तैयार करने में सहायता।

६. विद्यालय-परिवर्तन के समय नवीन विद्यालय को उसके पूर्व की जानकारी देना ।
७. रोजगार कार्यालय में उपयोगिता ।
८. विद्यार्थियों की प्रत्येक प्रध्यापक को व्यक्तिगत जानकारी देना ।
९. आत्म-परीक्षण में सहायक ।
१०. छात्रों की कक्षोन्नति के समय उपयोग ।

वस्तु-सामग्री
Matter in Records

I व्यक्तिगत

(i) उपस्थिति (Attendance)
(ii) स्वास्थ्य (Health)
(iii) योग्यता (Ability)
(iv) रुचि (Interest)
(v) व्यक्तित्व की विशेषताएँ (Personality Characteristics)
(vi) विद्यालय का कार्य (Academic work)
(vii) सहगामी क्रियाओं में हिस्सा (Participation in co-curricu activities)
(viii) विद्यालय के प्रति दृष्टिकोण (Attiitude toward school)
(ix) उसकी आकांक्षा (Desires)

II पारिवारिक—

१. पिता-माता के नाम
२. जन्म स्थान
३. जीवित अथवा मृत
४. भाई-बहिनों के नाम-अवस्थायें
५. भाषा
६. धर्म और जाति
७. माता-पिता के वैवाहिक सम्बन्ध
८. परिवार में बच्चे का स्थान
९. सामाजिक जीवन में परिवार का स्थान
१०. परिवार के सदस्यों की शिक्षा
११. माता-पिता का व्यवसाय

इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सम्बन्धी सभी अभिलेखों को भी यहाँ एकत्रित कर देना चाहिये ।

स्वास्थ्य शिक्षा
HEALTH EDUCATION

अध्याय १

स्वास्थ्य शिक्षा

HEALTH EDUCATION

अर्थ, उद्देश्य, क्षेत्र, महत्व

प्रश्न १--स्वास्थ्य शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं ? इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यालयों में क्या-क्या कार्य किये जाने चाहिये ?

What are the aims of Health Education ? What activities should be organized in schools to fulfil the aims ?

[Raj. 1966 प्रश्न 7]

स्वास्थ्य शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं ?

उत्तर--स्वास्थ्य शिक्षा ज्ञान की वह शाखा है जिसमें वे सभी नियम, सिद्धान्त, तथ्य, जानकारियां एवं क्रियायें वर्णित होती हैं जो व्यक्ति के सामान्य स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिए आवश्यक हैं। इसके द्वारा व्यक्ति शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक सभी दृष्टियों से सन्तुलित विकास-क्रम को उपलब्ध करता है। इसी के द्वारा वह आवश्यक नियमों, सिद्धान्तों और क्रियाओं की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक प्रयास करने की दिशा में निर्देशित होता है।

स्वास्थ्य-शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित पहलुओं में वर्गीकृत किये जा सकते हैं :

I- विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य
(Aims of Health Education in schools)

II- प्रशिक्षणालयों में स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य
(Aims of Health Education in training colleges)

III-स्वास्थ्य शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य
(Social aims of Health Education)

I— विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य:--

१. विद्यालयों को स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों, तथ्यों और सिद्धान्तों की जानकारी देना, इससे वे अपनी स्वास्थ्य-रक्षा के लिए आवश्यक प्रयत्न कर सकने में सफलता प्राप्त करते हैं।

रोग तथा नशा और धूम्रपान के व्यसनों से बच सकें।

३ उन्हें शरीर-रचना विज्ञान का व्यावहारिक ज्ञान देना।

४. स्वास्थ्य-वर्द्धक पदार्थों का ज्ञान देकर उनमें उपयुक्त भोजन का च[illegible] कर सकने की योग्यता विकसित करना।

५ शारीरिक असामान्यताओं के सामान्य कारणों से अवगत कराते छात्रों को उपयुक्त विधि से उठने, बैठने, पढ़ने आदि क्रियाओं को करने की आद[illegible] का अभ्यास देना।

६. शारीरिक असामान्यताओं को दूर करने एवं शारीरिक पुष्टता [illegible] वृद्धि के लिए आवश्यक क्रियाओं का सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक ज्ञान देना।

७. स्वास्थ्य सम्बन्धी शारीरिक प्रशिक्षण की क्रियाओं के अन्तर्गत हो[illegible] वाली सम्भावित दुर्घटनाओं का पूर्व ज्ञान देना।

८. आकस्मिक दुर्घटनाओं के समय आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्[illegible] कर सकने के कौशल का विकास करना।

९. छात्र-छात्राओं में व्यावहारिक शिक्षा (खेलों आदि) के माध्यम से पार[illegible] स्परिक प्रेम, सहानुभूति एकता एवं सहकारिता का विकास करना।

१०. सामूहिक खेलों के द्वारा कुशल नेतृत्व एवं अनुचर प्रदान कर सक[illegible] की दिशा में प्रशिक्षण देना।

११. खेलों तथा व्यायामों के द्वारा उनके पेशी तन्त्र को आवश्यक लोच ए[illegible] शरीर को मनो-शारीरिक और शारीरिक समन्वय प्रदान करना।

१२. उनमें आवश्यक शारीरिक नियन्त्रण की क्षमता का विकास करना।

१३. छात्र-छात्राओं में स्वच्छ रहन-सहन एवं खान-पान की आद[illegible] डालना।

१४. उनमें सहनशीलता एवं स्वावलम्बन की भावनाओं का विकास करना।

१५. उन्हें स्वस्थ प्रकाश-व्यवस्था, वातन एवं उपयुक्त पोशाकों का ज्ञान देना।

II—प्रशिक्षणालयों में स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य --

१. छात्राध्यापकों के ज्ञान की वृद्धि करना। जिससे वे अपने विद्यार्थि[illegible] ...विषयक जानकारियाँ देने में अधिक प्रभावोत्पादक बन सकें।

२. उन्हें इस योग्य बन सकने की दिशा में प्रशिक्षित करना जिससे वे [illegible] सेवाओं में अपेक्षित योगदान कर सकें।

३. स्वास्थ्य शिक्षा का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना। जिससे उन्हें भिन्न-भिन्न अवसरों पर आने वाली आकस्मिक समस्याओं का व्यक्तिगत अनुभव हो सके।

४. विद्यालय में आवश्यक स्वस्थ भौतिक वातावरण बनाने मे भावी अध्यापक कुशल हो सकें।

५. शिक्षण-कक्षा मे छात्राध्यापक स्वस्थ व्यवस्था कर सकने की व्यावहारिक योग्यता का विकास कर सकें।

६. आवश्यकता पड़ने पर वे विद्यालय के लिए उपयुक्त स्थान, भवन की योजना, सामग्री के चयन आदि में कुशल राय दे सकने मे समर्थ हो सकें।

७. छात्राध्यापकों को अध्यापक के बहु-उत्तरदायी व्यक्तित्व एव उसके कर्तव्यों का ज्ञान देना, जिससे वह स्वयं को किसी एक ही विषय की परिधि में सीमित न कर ले।

III—स्वास्थ्य शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यः—

Social Aims of Health Education

शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया (Social Process) है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्वास्थ्य शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक उत्कृष्टता (Well being) है। किन्तु उसका यह गुण सदा सामाजिक सन्दर्भ मे ही वर्णित होता है। स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा हम समाज को सन्तुलित (Balanced) व्यक्ति देते हैं। जिससे वह आत्म-निर्भर (Self sufficient) बनकर समाजोपयोगी रचनात्मक कार्य कर सके। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित बातें भी इस दिशा में महत्वपूर्ण हैं;

१. समाज के लिए विद्यालय मे स्वास्थ्य शिक्षा का प्रावधान (Provision) स्वस्थ-जीवनयापन की दिशा में मार्ग-दर्शक बन सकता है।

२. सामुदायिक जीवन में हम शारीरिक शिक्षा की क्रियाओं के माध्यम से विद्यालय का निकट सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

३. संक्रामक बीमारियों के प्रसार को रोकने की दिशा में व्यावहारिक कार्य करना।

४. विद्यालय मे माता-पिता, अभिभावकों एव अन्य इच्छुक (Desirous) लोगों के लिए आवश्यकता पड़ने पर स्वास्थ्य निर्देशनों (Health instructions) की व्यवस्था करना।

५. छात्रों में सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धी योग्यताओं एव कौशलों (Skills)

के विकास से उन्हें समाज में होने वाली दुर्घटनाओं में प्राथमिक प्राथमिक (First aid) देने के लिए समर्थ बनाना।

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यालयों में क्या क्या कार्य किये चाहिये ?

विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य शिक्षा के लिए कार्य. —

Efforts to be need in schools for health education

स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय को एक प्रभावशाली स्वास्थ्य (Health Service) का संगठन करना चाहिए। इसके अन्तर्गत तीन कार्य हैं

(१) स्वास्थ्य विद्यालय का जीवन है (Health is school life)

(२) स्वस्थ्य निर्देशन (Health instructions)

(३) स्वास्थ्य सेवा (Health service)

(१) स्वास्थ्य विद्यालय का जीवन है।

Health is School life:—इसके अन्तर्गत विद्यालय का स्वस्थ वातावर उपयुक्त भवन एवं कक्षा सामग्री, संतोषजनक दिवस-कार्यक्रम, अध्ययन-अभ्यास खेल तथा विश्राम की समुचित व्यवस्था आदि आते हैं। इसके अतिरिक्त सामाजि वातावरण को अनुकूल बनाने में अध्यापक, विद्यार्थी, अधिकारी, क्लर्क एवं अ कार्य कर्त्ताओं के अन्तर्सम्बन्धों को उत्कृष्ट माधुर्य सबसे प्रमुख है। साथ ही स्वास सुरक्षा एवं वृद्धि, मध्याह्न की भोजन व्यवस्था, स्वास्थ्य-निरीक्षण की व्यवस्थ पेय-जल एवं मल-मूत्र की सुविधायें आदि भी इसके प्रमुख कारण हैं।

विद्यार्थियों के लिए ऐसे दैनिक कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए कि उनके विकास-क्रम की गति से अधिकतम तीव्रता ला सके। इस दिशा में निम्न लिखित बातों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए:—

१. विद्यालय का कार्यकाल (Working hours of school)

२. कालांशों का अन्तर और उनकी संख्या (Length of the periods and its numbers)

३. विद्यार्थियों पर कार्य भार (Work Load on students)

विषयानुसार कालांशों का संगठन एवं वितरण (Distribution and organisation of periods in relation to the nature of subjects)

५. भिन्न-भिन्न क्रियाओं का नियोजन (Planning of the various activities.)

६. गृह कार्य की प्रकृति, मात्रा एवं उसका महत्व। (Nature, amount and importance of home work.)

७. श्रान्ति के लिए निर्धारित कालान्तरों की संख्या, प्रकृति एवं वितरण। (Distribution, nature and amount of the periods for rest.)

८. सहगामी क्रियाओं का स्थान (Importance of co-curricular activities)

उपर्युक्त विषय में निर्णायक कारक विद्यार्थियों की आयु, मानसिक और स्वास्थ्य-स्तर विद्यालय की सीमायें और प्रकृति तथा सामुदायिक संस्कृति और मान्यतायें तथा विभागीय नियम और विधान हैं।

शिक्षक-शिष्य अन्तर्सम्बन्धों का विद्यालय के स्वास्थ्य कार्यक्रम से घनिष्ट सम्बन्ध है। यह मानसिक स्वास्थ्य के निर्माण में एक प्रमुख कारक है। अध्यापक की सहानुभूति, सौहार्द, सहयोग एवं अपनेपन से अलंकृत तादात्म्य वास्तव में इस दिशा में रचनात्मक योग देता है। इसके लिए विद्यार्थियों के प्रति प्रजातान्त्रिक व्यवहार अपेक्षित है।

विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं का जितना संबन्ध विद्यार्थियों से है उतना ही अध्यापकों के स्वास्थ्य से भी है। अध्यापक के स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित कारक प्रधान हैं—

१. नियत कालीन आवश्यात्मक स्वास्थ्य निरीक्षण (Periodic nda frequent health inspection)

२. नयी नियुक्तियों के लिए न्यूनतम स्वास्थ्य अर्हतायें। (Minimum health qualifications for the new appointments)

३. न्यायसंगत कार्य भार (Justified work Load)

४. विश्राम काल एवं विश्राम कक्ष (Rest-period and Rest-Room)

५. मनोरंजन के साधनों का प्रावधान। (Provision af entertainment)

६. उपयुक्त वेतन भत्ता (essential pay and allowances)

७. अस्वस्थ अवस्था में वेतन व्यवस्था (ararngement of pay in illness)

८. स्वास्थ्यकर शिक्षण वातावरण (healthy teaching

९. चिकित्सा व्यवस्था (Medical arrangement)

१०. स्वस्थ निवास भवन (healthy staff quarters)

११. अध्यापकों के लिए स्वास्थ्य निर्देशन की व्यवस्था (arrangeme health instructions for teachers)

१२. अवकाश प्राप्त काल के लिए उपयुक्त अर्थ व्यवस्था (Proper fi cial arrangement for the leisure time)

१३. सेवा-अवधि। (Service time)

१४. स्वास्थ्य-बीमा। (Health Insurance)

(२) स्वास्थ्य निर्देश (Health Instructions) —यह विद्यालय औपचारिक स्वास्थ्य शिक्षा है। जिसमें प्रत्यक्ष रूप में छात्रों को स्वास्थ्य वि नियमों तथा अन्य जानकारियों से परिचित कराया जाता है। इससे छात्रों में जीवन की अभिवृत्ति का विकास किया जाता है। इनसे विद्यार्थी स्वनिर्देशन दिशा में प्रगति कर सहयोग की भावना से कार्य करना सीखते हैं। इस पद्ध उन्हें स्वास्थ्य विषयक बातों की वैज्ञानिक जानकारी हो जाती है। जिससे कि लित अन्धविश्वासों और पुरातन विधियों से वे वास्तविकता की ओर अग्रसर हैं। आजकल बचाव और नियन्त्रण के लिए रोगों के विषय में विस्तृत ज्ञान का इतना महत्व नहीं है जितना कि इस दिशा में आवश्यक आदतों, सावधा और उपायों का व्यवहारिक रूप देना है।

स्वास्थ्य शिक्षक कौन ? एक प्रशिक्षित व्यक्ति की इस कार्य को पूर्ण सता के साथ सम्पन्न कर सके, यह बात व्यवहारिक दृष्टि से तो सत्य नहीं। सबसे उत्तम तो यह है कि विद्यालय में शरीर रचना (Anatomy), शरीर वि विज्ञान (Physiology), स्वास्थ्य विज्ञान (Hygiene), स्वास्थ्य शिक्षा (heal education). कीट-विज्ञान (Bactoriology), मनोविज्ञान (psycholog मानसिक स्वास्थ्य (Mental hygiene) शिक्षा मनोविज्ञान, तथा अध्यापन विधि में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक के नेतृत्व में अन्य अध्यापक सहयोग और स सम्बन्ध के सिद्धान्तों के आधार पर यह कार्य करने की व्यवस्था हो। यदि प्रकार की व्यवस्था न हो सके तो सम्बन्धित क्षेत्रों के अध्यापकों को एक निश्चि कार्यक्रम का आयोजन कर उसे कार्यान्वित करने की दिशा में प्रयत्नशील हो ।

में प्रतिदिन सामूहिक प्रार्थना के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विषय और विशेष रूप से विज्ञान

वैज्ञानिक, शारीरिक शिक्षण, आचार और धार्मिक, समाजविज्ञान के विषयों साथ सहसम्बन्धित कर यह कार्य किया जाता है। यदि प्रति सप्ताह कम से कम विषय के शिक्षण के लिए दो कालान्तर प्रत्येक कक्षा के लिए निश्चित कर दिए यें तो सम्पूर्ण योजना की प्रभावोत्पादकता में वांछनीय अभिवृद्धि सम्भव हो गी।

जहां तक पाठ्य-वस्तु के चयन का प्रश्न है, यह विद्यार्थियों को वर्षों के सार (Chaomological) एवं मानसिक (Mental) आयु-स्तरों तथा उनकी वश्यकताओं और रुचियों के अनुकूल होना चाहिए।

(३) स्वास्थ्य सेवा—

Health Service:—विद्यालय में स्वास्थ्य सेवा के संगठन में सामुदायिक ठनों को भी सम्बन्धित किया जाना चाहिए। एक प्रभावशाली संगठन में निम्न-लित व्यवस्था आपेक्षित है—

१. सामुदायिक संगठनों से प्रतिनिधि (Representative from the community)
२. विद्यालय के स्वास्थ्य परिषद् (Health council of the school)

इसमें निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाना चाहिए—

१. मुख्याध्यापक
२. शारीरिक शिक्षा अध्यापक (Physical trainning instructor)
३. विद्यालय चिकित्सक (School Medical Officer)
४. मनोवैज्ञानिक (Psychologist)
५. मनो-विश्लेषक (Psycho-analyst)
६. विद्यालय समाज-सेवक और समाज सेविका (School Social worker)

श्न २—

What is the scope of Health Education in schools ? Why is it ssential to pay attention to health education ?

विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा का क्या क्षेत्र है ? स्वास्थ्य शिक्षा पर ध्यान ना आवश्यक क्यों है ? [राज० 1964, प्रश्न नं० 7]

त्तर—

स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता उसके बालक के विद्यालय के जीवन में हत्त्व से स्पष्ट हो जाती है।

स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व :
Importance of health education:—

(प्रश्न १)

स्वास्थ्य शिक्षा का क्षेत्र :
Scope of health Education :

हमें शिक्षा के इस पहलू के क्षेत्र में अन्तर दृष्टि इसकी परिभाषा से स्पष्ट हो जाती है जो कि "विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation) के संविधान (Constitution) में निम्नलिखित रूप में की गई है—

"स्वास्थ्य मनुष्य की बीमारी की अनुपस्थिति की ही नहीं अपितु उसके पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, उत्कृष्टता की अवस्था है।" ["Health is a state of complete physical, mental, social well being, and not merely the absence of disease or informity."]

इससे स्वास्थ्य शिक्षा के विस्तृत क्षेत्र का ज्ञान हो जाता है। इसमें वे सभी ज्ञान के पहलू और व्यक्ति तथा क्रियायें (activities) और प्रयास (Efforts) सम्मिलित हैं जो कि विद्यार्थी के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करते हैं। इसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित सम्मिलित हैं—

१. विद्यालय का स्वस्थ वातावरण (Healthy arrangement of school)
२. विद्यालय का उचित पाठ्यक्रम (Proper curriculum of the school)
३. विद्यालय में दैनिक कार्यक्रम का व्यवस्थित संगठन (Well organised daily routen of the school)
४. शारीरिक शिक्षा (Physical Education)
५. भोजन व्यवस्था (Proper nutrition)
६. स्वास्थ्य सेवायें (Health services)
७. स्वास्थ्य निर्देशन (Health Instructions)
८. सांस्कृतिक कार्यक्रम (Cultural programmes)
९. नैतिक और धार्मिक शिक्षा (Moral and religious education)
१०. सामाजिक कार्य (Community work)

स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व :
Importance of Health Education :
प्रश्न १ में देखें।

अध्याय २

विद्यालय भवन–वातावरण, स्थिति

School Building—Surrounding & Location

तथा

प्रकाश-व्यवस्था, वातन, कक्ष सामग्री और उसकी व्यवस्था

Lighting, Ventilation, Class-room Equipment & its Arrangement

प्रश्न ३—

What is the Dignificence of school site ? What factors would you keep in mind while selecting a sight for a new school building ?

'विद्यालय के लिए स्थान' का क्या महत्व है ? एक नवीन विद्यालय भवन के निर्माण के लिए आप किन किन बातों की ओर ध्यान देंगे ?

[राज० 1963 9 (a)]

OR या

What considerations should you keep in mind while selecting a suitable school site ?

विद्यालय के लिये उपयुक्त स्थान के चयन में आप किन बातों को ध्यान में रखेंगे ?

[राज० सन् 1965 प्र० 10 (a)]

उत्तर—

विद्यालय के लिए स्थान का चुनाव करते समय जिन बातों को ध्यान मे रखना आवश्यक है, उन्हें निम्नलिखित वर्गों में बाट सकते हैं । प्रत्येक की विवेचना में उसके महत्व का पूर्ण विवरण दिया जावेगा ।

१. स्थिति (Location)
२. पड़ौस (Environment)

मनुष्य के विकास के लिए स्वच्छ वातावरण इतना ही आवश्यक है जितना कि अन्य आवश्यकतायें । सीखने-सिखाने जैसे विकास-प्रयासों (Efforts for learning teaching) के लिए इसकी आवश्यकता और महत्व तो स्पष्ट ही हैं । अतः विद्यालय की स्थापना के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य स्थान का चुनाव है । इसके लिए निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक है ।

१ वातावरण (Environment)

२. धरातल (Surface of the soil)

वातावरण
Environment

पहले लोगो का विचार था कि विद्यालय के लिए ऐसे स्थान का च होना चाहिए जो कि जनसंख्या के क्षेत्र के मध्य में हो। किन्तु अब ऐसी ब नहीं। शहरों में तो ऐसी धारणा बनाने के लिए कोई स्थान ही नहीं है हां, कुछ सीमा तक यह बात ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए आने वाले कुछ छात्र नक के लिए ठीक हो सकती है। इसकी पृष्ठ भूमि मे एक मात्र यह विचार है कि समुदाय के सभी क्षेत्रों में बच्चों को आने-जाने मे पूरी सुविधा हो। किसी भाग विद्यालय की दूरी अनावश्यक रूप से अधिक न हो। तथा बच्चों की शैक्षिक उन्नति के लिए थकान बाधक न बने। विद्यालय भवन निर्माण के लिए खुला हुआ स्थान हो। इसे चारों ओर विकसित होने की सुविधा हो। क्षेत्र विद्यालय की सभी आवश्यकताओं के लिए ही उपयुक्त न हो अपितु भावी विस्तार के लिए उसमें सभी सम्भावनाओं की पूर्ति क्षमता हो। यह स्थान शोरगुल वाले भागों से दूर होना चाहिये। इसके निकट रेल्वे स्टेशन, अस्पताल, कारखाना, अन्य सार्वजनिक संस्था, गन्दी बस्ती और नाले न हों। भौतिक वातावरण बालकों के सौन्दर्यानुभूति के विकास के अनुकूल हो।

धरातल
Surface of the soil

ऊंचाई—विद्यालय भवन का निर्माण ऊंचे धरातल में होना चाहिये। इससे वर्षा के दिनों में पानी भरने की आशंका नहीं रहती। साथ ही सूर्य का ताप और प्रकाश उपयुक्त रूप से मिलता रहता है। फलस्वरूप सभी सूर्य का ताप और प्रकाश उपयुक्त रूप से मिलता रहता है। फलस्वरूप सभी सदा ऐसे वातावरण में रहने से हानिकारक कीटाणुओं तथा जीवाणुओं का भय नहीं रहता।

मिट्टी
Soil

भवन निर्माण के लिए स्थान के चुनाव के कार्य को सुविधाजनक बनाते हुए हम मिट्टी को दो वर्गों में बांट सकते हैं।

१ छिद्रयुक्त (Pervious)

२ छिद्रहीन (Impervious)

छिद्रयुक्त मिट्टी अपेक्षाकृत अधिक मोटी होती है। इसके दो कणों के बीच में स्थान अधिक होने के कारण अधिक वायु होती है। साथ ही यह पानी को नहीं सोख सकती। फलस्वरूप इसमें पानी पड़ते ही बह जाता है अथवा सूख जाता है, इसलिए इस मिट्टी में नमी नहीं रहती। इसके विपरीत ठोस मिट्टी अधिक मुलायम एवं अधिक पानी सोखने वाली होती है। इसके दो कणों के बीच खाली स्थान कम होने के कारण इसमें वायु की कमी होती है। इन कारणों से पानी पड़ने पर न तो वह बह ही पाता है और न शीघ्र सूखने ही पाता है। इससे इस मिट्टी में नमी बनी रहती है। हम जानते हैं कि नमी बनाये रखने वाला स्थान स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं होता। ऐसे स्थान में जुकाम, खांसी, मलेरिया, खसरा, इन्फ्लुएंजा आदि बीमारियां घर कर लेती हैं। अतः विद्यालय भवन का निर्माण छिद्रयुक्त मिट्टी वाले स्थान में किया जाना चाहिए।

विद्यालय की स्थिति का महत्व
Significance of school sight.

उपरोक्त विवरणों में यह बात भी साथ साथ स्पष्ट कर दी गयी है।

प्रश्न ४—

What effect does lighting have on the eyes of children in a class room and in consequent fatigue? What precautions should you take if new class-room is being built?

प्रकाश-व्यवस्था का बच्चों की आंखों पर और फलस्वरूप थकान पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि कक्षा के लिए नवीन कक्षा का निर्माण हो रहा हो तो आप किन बातों का ध्यान रखेंगे?

[राज० 1963 प्रश्न 9 (b)]

उत्तर—

प्रकाश व्यवस्था का बच्चों की आंखों पर तथा परिणाम स्वरूप थकान पर प्रभाव।

Effect of Lighting on the eyes of children and in consequence fatigue.

प्रकाश-व्यवस्था (Lighting) का सम्बन्ध दृश्येन्द्रि (Visual organ) आंख (Eye) से ही विशिष्ट रूप से है। आंख एक प्रमुख ज्ञानेन्द्रि (Sense organ) है। इसका सीखने (Learning) में महत्व स्वयं में स्पष्ट है। बच्चों का पढ़ना (Reading), तिसका निरीक्षण (Observing) आदि प्रमुख बातें आंख की कार्य साधना (Efficiency of eye) पर निर्भर करते हैं। किन्तु यदि यह कहा जाय कि अपनी प्रभावोत्पादकता (Effectiveness) के लिये यह स्वयं में स्वतन्त्र (Free)

और पूर्ण (Perfect) है तो इसे वास्तविकता (Truth) से मुंह मोड़ना ही कहा जा सकता है। इसकी कार्य-क्षमता न केवल इसकी आन्तरंचना (Internal construction) पर अपितु बाह्य शक्ति (External energy) प्रकाश (Light) पर समान रूप से निर्भर करती है। प्रकाश की कमी से बच्चों की आंखों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं।

१. आंखों की दृश्य-शक्ति (Visual Power) का कम होना।

२. आंख के नाड़ी तन्त्र (Nerves) पर आवश्यकता से अधिक तनाव पड़ने से सिर में दर्द की अनुभूति होती है तथा आंखें शीघ्र थकान से पीड़ित हो जाती हैं।

३. आंखों में असमान्यता (Abnormality) का आ जाना।

४. सूर्य के प्रकाश में उपस्थित अल्ट्रावायलेट किरणों (Ultra violet rays) की अनुपस्थिति में सामान्य स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव तो पड़ता ही है किन्तु आंखों में भी संक्रमण (Infection) की सम्भावना (Probability) बढ़ जाती है।

आँखों पर उपरोक्त प्रभाव पड़ने से, प्रकाश के अभाव में चक्षु-रोग (Eye-diseases) होने और चक्षु-असामान्यतायें (Eye-abnormalities) के होने तथा बढ़ने की सम्भावना रहती है, विद्यार्थियों का शीघ्र थकान का अनुभव करना तत्कालीन गम्भीर परिणाम है। इसमें निम्नलिखित बातें विशेष महत्व की हैं :

१. विद्यार्थी को पुस्तक में पढ़ने अथवा श्याम-पट और अन्य शिक्षण-सहायक सामग्री (Teaching aid) को देखने के लिए अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। इससे उसके नाड़ी तन्त्र (Nervous system) पर तनाव (Tension) बढ़ जाता है। फलस्वरूप उसे शीघ्र थकान की अनुभूति होने लगती है।

२. अध्यापक अथवा उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शिक्षण सामग्री को देखने के लिए उसे विशेष शारीरिक अनुचित आसनों (Bad postures) की स्थितियों में आना पड़ता है। इससे शारीरिक थकान का होना स्वाभाविक ही है।

मानसिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार की थकान, प्रकाश की अव्यवस्था का परिणाम है। इससे विद्यार्थी की शैक्षिक-उपलब्धि (Educational achievements) पर जो गम्भीर प्रभाव पड़ते हैं, उनसे सभी भली प्रकार परिचित हैं। अतः प्रकाश की समुचित व्यवस्था के अभाव में शारीरिक तथा मानसिक और फलस्वरूप सामाजिक समर्थनाओं और व्यवहारों पर बहुत गम्भीर प्रभाव पड़ते हैं। इसकी समुचित व्यवस्था अत्यन्तावश्यक है।

ा के नव-निर्माण में सावधानियाँ
cautions for newly built class-room

कक्षा के लिए नवीन-कक्ष के निर्माण के समय निम्नलिखित बातों को न में रखना आवश्यक है :

१. कमरे का समुचित आकार
२. खिड़की दरवाजों का निर्माण
(Construct of doors and windows)
३. दीवार और फर्श का अन्तिम स्पर्श
Proper finishing of the wall and floor
४. समुचित वातन व्यवस्था
Proper ventilation
५. समुचित प्रकाश व्यवस्था
Proper Lighting

) समुचित आकार
Sufficient capacity

कमरों की लम्बाई-चौड़ाई के विषय में किसी एक माप को देना ठीक नहीं। सका आकार स्थानीय मान्यताओं एवं कक्षा में छात्रों की सामान्य अनुमानित ख्या, भवन के प्रकार और आकृति, भवन में कमरे की स्थिति (Location of oom in the building) आदि कारकों (Factors) पर निर्भर करते हैं। किन्तु काश व्यवस्था (Lighting) और वातन व्यवस्था (Ventilation) को दृष्टिगत रते हुए यदि यह कहा जाय कि कमरे की ऊंचाई कम से कम १२ फीट होनी चाहिए तो अधिक उपयुक्त होगा। कमरे की लम्बाई-चौड़ाई तथा ऊंचाई में सामान्य अनुपात रखा जाना चाहिये। जिससे कि वे बेडौल न दिखायी दें।

२) खिड़की और दरवाजों का निर्माण
Construct of doors and windows

दरवाजों का प्रमुख कार्य तो कमरे में प्रवेश तथा बहिर्गमन मार्ग हैं। किन्तु वातन सम्बन्धी इसका उपयोग किसी से कम महत्वपूर्ण नहीं है। साथ ही प्रकाश-व्यवस्था के लिए भी यह एक उत्तम माध्यम है। इनकी स्थिति, संख्या, आकार के विषय में निर्णय लेते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना अत्यन्त आवश्यक है :

(अ) भवन में कमरे की स्थिति (Location of building)
(ब) भवन का प्रकार (Type of

(ग) कमरे का आकार (Capacity of the room)

(घ) कमरे की उपयोगिता (Utility of the room)

(३) दीवार और फर्श का अन्तिम स्पर्श
Finishing touch to the walls and floor.

कुछ लोगों का मत है कि विद्यालय में कक्षों की दीवारें और फर्श पक्के करा दिये जायें। तथा दीवारों पर सफेदी करा दी जाय, किन्तु पक्की दीवारें तथा फर्श एक अनिवार्य विधान के रूप में स्वीकार करना ठीक नहीं है। इस विषय में शिक्षा आयोग (Education Commission) कोई दृढ़ नियम (Rigid law) बनाने के पक्ष में कदापि नहीं है। फर्श तथा दीवार के 'पक्का' अथवा 'कच्चा' होने से शिक्षण तथा सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इनका परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है। हां फर्श तथा दीवारें स्वच्छ अवश्य हों। उन पर चमकीला रंग न पोता गया हो। इस विषय में शिक्षा आयोग की विचारधारा निम्नलिखित रूप में दी जाती है :

१. 'पक्की' अथवा 'कच्ची' दीवारें स्थानीय कच्चे माल (Raw materials), विद्यालय की आर्थिक स्थिति और प्राप्त मजदूरों तथा तकनीकों पर निर्भर होनी चाहिए।

२. इनके निर्माण में स्थानीय कच्चा माल ही अधिकाधिक प्रयुक्त किया जाय।

३. स्थानीय मजदूरों, मिस्त्रियों, तकनीशियों, ठेकेदारों की सेवाओं का उपयोग अधिक से अधिक किया जाय।

४. इनका समय समय पर निरीक्षण एवं पुनर्निर्माण किया जाय।

(४) समुचित वातन-व्यवस्था
Proper Ventilation

इस विषय में निम्नलिखित बातों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए :

१. दरवाजे अथवा खिड़कियों की उपयुक्त संख्या एवं उनके लिए उचित स्थान।

२. खिड़कियों का निर्माण कम से कम फर्श से तीन फुट की ऊंचाई पर होना चाहिए।

३. इन पर दरवाजों की उपयुक्त व्यवस्था हो।

४. इनकी दिशा भवन के वातावरण के अनुकूल हो। जिससे वायु और सूर्य के प्रकाश का कमरे में प्रवेश सरलता से हो सके।

५. रोशनदानों की संख्या, स्थिति, एवं आकार आवश्यकतानुकूल हो।

६. कमरे में चिमनी का निर्माण किया जाय।

७. यदि आवश्यकता हो तो दीवारों तथा छत पर खुलावों का निर्माण ा जाय।

८. यदि जलवायु गर्म हो और बिजली उपलब्ध हो तो पंखों का प्रावधान श्य करना चाहिए। विद्युत न मिलने की स्थिति में हाथ से खीचे जाने वाले ो के लिए कमरों में आवश्यक व्यवस्था की जानी चाहिये।

) प्रकाश व्यवस्था

Lighting ;

खिड़की, दरवाजे, रोशनदान तथा छत और दीवारों के खुलाव जहां वातन-वस्था के लिए उपयोगी हैं, प्रकाश व्यवस्था में उनका समान महत्व है।

यदि विद्युत व्यवस्था का प्रावधान हो सके तो कमरे के निर्माण के साथ य ही विद्युत-प्रकाश की व्यवस्था तकनीकियों तथा विशेषज्ञों की राय पर कर ी चाहिए।

अध्याय ३

कक्ष-सामग्री की व्यवस्था, आसन

Arrangement of Class-Room Equipment and Postures.

प्रश्न १—

(a) What will be your main considerations while arranging seats in a class-room ?

(b) What are the correct postures for (i) Reading (ii) Writing ?

(क) कक्षा में बैठने की व्यवस्था के लिए किन बातों को ध्यान में रखेंगे ?

(ख) निम्नलिखित के लिए उचित आसन क्या हैं ?

(i) पढ़ने (ii) लिखने के लिए

[सन् 1964 प्र० सं० 9]

उत्तर—

(a) कक्षा कक्ष में बैठने की व्यवस्था करना विद्यालय संगठन की विशेष वस्तु है, किन्तु उनकी ठीक व्यवस्था न होने पर विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है अतएव कक्षा में इसकी ठीक व्यवस्था करना अत्यन्त आवश्यक है।

प्रत्येक कक्षा कक्ष में सीटों का प्रबन्ध छात्रों के एवं कक्ष के अनुसार होना चाहिए। सीटों की दिशा उस ओर होनी चाहिए, जहां छात्रों के बांये हाथ की ओर से प्रकाश आये तथा उचित वायु के प्रवेश के लिए सब दरवाजे एवं खिड़कियां खुल सकें। अध्यापक ऐसे स्थान पर खड़ा हो सके जहां से वह सम्पूर्ण कक्षा पर दृष्टि डाल सके। सीटें इस प्रकार व्यवस्थित हों, जहां से प्रत्येक छात्र सुविधानुसार श्यामपट्ट कार्य कर सके। और कक्षा के कुछ भागों से श्यामपट्ट पर लिखी हुई सामग्री को पढ़ सकने में कठिनाई न हो। अब कक्षाओं में प्रयोग किये जाने वाले पटों पर काले रंग की अपेक्षा, अन्य कम परावर्तक रंगों (विशेष रूप से हरे रंग) का प्रयोग किया जाता है क्योंकि काली स्याही प्रकाश की किरणों को परावर्तित करने में अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली होती है। लिखाई पर चल पट का उपयोग अपेक्षाकृत अधिक सुविधाजनक और लाभप्रद है क्योंकि प्रकाश एवं कक्षा के अनुसार इसका स्थान परिवर्तित किया जा सकता है।

डेस्क और कुर्सियां

विद्यार्थियों के बैठने की समुचित व्यवस्था के लिये प्रत्येक विद्यार्थी के लिए कुर्सी और डेस्क होना आवश्यक है। इस व्यवस्था में यह ध्यान रखना चाहिये कि

एक सीट पर दो छात्रों को न बैठना पड़े। प्रत्येक सीट में दूसरी सीट के बीच इतना अन्तर हो कि छात्रों को आने-जाने में असुविधा न हो तथा अध्यापक सरलता से कक्षा का घूमकर निरीक्षण कर सके।

कुर्सियों तथा डैस्कों के विषय में निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण हैं—

१. एक ही कक्षा में समान आयु स्तर के छात्रों की शरीर रचना एवं डील-डौल में भिन्न-भिन्न होती है। समान कुर्सियों और डैस्क की उपलब्धि से कुछ विद्यार्थियों को उनमें कार्य करने पर असुविधा होती है, इससे उनके शारीरिक आसनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कक्षा की सभी कुर्सियों और डैस्क समान ऊंचाई व क्षेत्र का नहीं होना चाहिए।

२. कुर्सियों की पीठ स्कन्ध की ऊंचाई तक होनी चाहिये, तथा यह अन्दर की ओर उन्नतोदर होनी चाहिए इससे मेरुदण्ड की स्थिति ठीक रहती है।

३. डैस्क के किनारे गोलाई में हो। तथा सतह उर्ध्वाकर न होकर आवश्यक कोण पर झुकी रहनी चाहिए, पढ़ने के लिए यह झुकाव ४५° तथा लिखने के लिए १५° होना चाहिये। कक्षा में अधिकतर लिखित कार्य ही होता है, अतः कक्षा-कक्ष के डैस्कों की सतह १५° के झुकाव पर होनी चाहिये। अगर सम्भव हो तो फैरिंग्डन (Feriogdon) डैस्कों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इन्हें आवश्यकतानुसार उपयुक्त कोण पर झुकाने की व्यवस्था होती है।

४. कुर्सियां और डैस्क अलग-अलग होनी चाहिए, इससे उन्हें आवश्यकतानुसार व्यवस्थित किया जा सकता है।

५. डैस्क की सतह विद्यार्थी के पेट से ऊपर होनी चाहिए।

डैस्क एवं कुर्सी की व्यवस्था निम्नलिखित तीन प्रकार की होती है—

१. शून्य (Zero) व्यवस्था

२. धन (Positive) व्यवस्था

३. ऋण (Minus) व्यवस्था

शून्य व्यवस्था में डैस्क की सतह अग्रिम किनारा तथा कुर्सी की सीट का अग्रिम किनारा एक ही उर्ध्वाकार धरातल में होते हैं. धन (Plus) व्यवस्था में कुर्सी की सीट का यह भाग डैस्क से हटकर कुछ पीछे की ओर तथा ऋण (Minus) व्यवस्था में मेज के अन्दर रहता है।

धन व्यवस्था छात्रों के लिए सुविधाजनक नहीं है। शून्य (Zero) व्यवस्था पढ़ने के लिए तथा ऋण व्यवस्था लिखने के लिए उत्तम हैं।

(b) (i) पढ़ते समय उचित आसन
Correct posture for Reading

पढ़ते समय कुर्सी पर उचित ढंग से बैठने के साथ पढ़ते समय निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान देना चाहिये—

१. आँखों से कागज की दूरी कम से कम १२" हो।

२. मेज के धरातल का, क्षितिज से ४५° का कोण हो।

३. हथेली को मेज पर टेकते हुए हाथों को आराम से रखना चाहिए।

४. दाये हाथ से पन्ने आदि के पलटने का कार्य करना चाहिए।

५. पढ़ते समय, जहां तक सम्भव हो, जोरी डैस्क का प्रयोग करना चाहिए

(II) लिखते समय उचित आसन

Correct posture for writing

उचित रीति से बैठने के साथ-साथ लिखते समय निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं—

१. कापी से या कागज का क्षितिज से झुकाव १५° हो।

२. हाथ और हथेली के जोड़ (पहुँचा) को मेज पर टिका रखना चाहिए।

३. कलम को अंगूठे तथा उसके पास की तीन अंगुलियों से पकड़ना चाहिए।

४. कलम के ऊपरी भाग का दबाव अंगूठे व उसके पास वाली अंगुली के बीच के भाग में पकड़ना चाहिए।

५. दाहिने हाथ से लिखते समय बाये हाथ से मेज पर रखे कागज को सीधे करते रहना चाहिए।

६. लिखावट सीधी होनी चाहिए क्योंकि इससे शरीर का उचित आसन रहता है।

प्रश्न ६—

How do seating arrangement and posture in a class effects the physical development of children? What can school do to remove the physical defects by bad posture?

बैठने के स्थान और बैठने की विधि बच्चों के शारीरिक विकास पर क्या प्रभाव डालते हैं? गलत बैठने की विधि से जो शरीर में दोष आ जाते हैं, विद्यालय उनको कैसे ठीक कर सकता है?

[1966 Q. No. 8]

उत्तर—

बच्चों का शारीरिक विकास उचित ढंग से हो, इसके लिए हमें उनके बैठने के स्थान और बैठने की विधि पर ध्यान देना आवश्यक है।

कक्षा-कक्ष के दूषित वातावरण एवं स्थान के कारण बालकों का शारीरिक विकास ठीक प्रकार नहीं हो पाता तथा उनमे अनुचित आसनो की आदत का निर्माण हो जाता है। दूषित वातावरण के अन्तर्गत प्रकाश व वायु का अनुचित प्रबन्ध होता है। इसके अनुचित प्रबन्ध का उनके शारीरिक विकास पर निम्नलिखित प्रभाव होता है—

१. प्रकाश व्यवस्था उचित न होने पर उन्हें झुक कर लिखना पड़ता है जिससे उनकी आंखें कमजोर हो सकती हैं।

२. पर्याप्त मात्रा में शुद्ध वायु न मिलने से बच्चों मे अनेक रोग उत्पन्न हो सकते हैं।

३. दूषित वातावरण होने से वे स्वयं मे स्फूर्ति का अनुभव नहीं करते तथा पढ़ाई में उनकी रुचि समाप्त हो जाती है।

कक्षा-कक्ष में उपयुक्त फर्नीचर न होने पर बालकों के बैठने की विधि दूषित हो जाती है। अनुचित आसनों से बालकों में निम्नलिखित शारीरिक दोष उत्पन्न हो जाते हैं—

१. रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन—इस प्रकार की त्रुटि निम्नलिखित रूपों में पाई जाती है—

(अ) कूबड़ निकलना (Kyphosis)

(ब) कटि प्रदेश में मोड़ का आगे निकलना (Lordosis)

(स) रीढ़ की हड्डी का एक ओर झुकना (Scoliosis)

२. चपटे पैर (Flat foot)

रीढ़ का टेढ़ापन—यह दोष बचपन में रीढ पर अत्याधिक जोर या भार पड़ने के कारण उत्पन्न हो जाता है। अत्याधिक भार के कारण रीढ के स्वाभाविक मोड़ मे कई प्रकार की विकृतिया उत्पन्न हो जाती हैं निम्नलिखित हैं—

(अ) कूबड़ निकलना—इसमें शरीर व सिर आगे की ओर झुक जाता है, वक्ष स्थल में चपटापन आ जाता है व पेट्ट बाहर निकल आता है। इस विकृति के तीन रूप हैं—

(क) गोल पीठ

(ख) गोल स्कन्ध

(ग) कटि प्रदेश मे गड्ढा पड़ना

निराकरण व उपचार—इस सम्बन्ध में शिक्षकों का परम कर्त्तव्य है कि बालकों के आसनो की ओर ध्यान दें तथा उन्हे उचित आसनों के महत्व को बतायें।

शारीरिक विकृति के उत्पन्न होने पर छात्रों को उपचारात्मक व्यायाम कराना लाभदायक सिद्ध होगा।

(ख) रीढ़ के मोड़ का आगे कटि प्रदेश में बढ़ना—जब रीढ़ का मोड़ पीछे की ओर घूम जाता है तो रीढ़ का मोड़ आगे की ओर बढ़ जाता है।

उपचार—इस रोग को दूर करने के लिए उचित आसन व उपचारात्मक व्यायाम बहुत उपयोगी है।

(ग) रीढ़ का एक ओर झुक जाना—इस रोग से ग्रसित रोगी का मेरुदण्ड दायें या बायें पक्ष को मुड़ जाता है तथा कन्धे की हड्डी भी बगल की ओर मुड़ जाती है। इससे पीठ में पीड़ा का अनुभव होता है तथा रोगी लंगड़ा कर चलने लगता है।

उपचार—इसके निराकरण के लिए उपचारात्मक व्यायाम कराना उपयोगी है।

२. चपटे पैर

Flat Foot

पैरों पर निरन्तर खड़े रहने, शैशव और बचपन की दुर्बलता तथा निरन्तर परिश्रम से यह सामान्यतया आ जाती है। जिन बच्चों की आदत एड़ी पर बल डालकर खड़े होने की होती है, वे प्रायः इसके शिकार हो जाते हैं।

उपचार—१ बच्चों को पञ्जे के बल खड़े होने का निर्देश दें।

२. पैरों को पर्याप्त रूप से विश्राम देना चाहिये।

३. मांसपेशियों को शक्ति देने वाला व्यायाम किया जाय।

४. प्रकाश एवं वायु के अनुचित प्रबन्ध का बालकों के शारीरिक विकास पर दूषित प्रभाव न पड़े, इसके लिए आवश्यक है कि कक्षाकक्ष का वातावरण उचित बनाया जाये। कक्ष की सब खिड़कियां और दरवाजे खुले रहने चाहिए ताकि उचित रूप से प्रकाश एवं वायु आ सके। बैठने की व्यवस्था इस प्रकार हो कि श्यामपट्ट कार्य करते समय उनकी आंखों पर जोर न पड़े। अगर स्कूल में पर्याप्त स्थान हो तो सर्दियों में बाहर भी कक्षा लगा सकते हैं। तथा गर्मियों में कक्ष में ही कक्षा ले सकते हैं।

अध्याय ४

स्वास्थ्य सेवायें और स्वास्थ्य निरीक्षण

Health Services and Health Inspection

न ७—

What do you understand by Health-Services in school? How ould you organize a proper Health-Service in your school? Give e details of the records that you would like to maintain.

'विद्यालय में स्वास्थ्य-सेवा' से क्या तात्पर्य है? आप अपने विद्यालय में नयुक्त स्वास्थ्य-सेवा का संगठन कैसे करेंगे? आप जिन आलेखों को रखना पसन्द रें, उनका विवरण दीजिए।

[राज० 1963 प्र० 6]

OR या

Write detail account of the kinds of Health-services that we n organize in our secondary schools.

माध्यमिक शालाओं में संगठित की जा सकने के लिए स्वास्थ्य-सेवा का वरण दीजिए।

[राज० 1966 प्र० 6 (a)]

तर—

'विद्यालय' द्वारा किये गये वे सभी कार्य और प्रयास (efforts) जो कि द्यालय से सम्बन्धित किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य-लाभ को प्रत्यक्ष (Direct) थवा परोक्ष (Indirect) रूप में लक्ष्य करते हुए किया जाता है, स्वास्थ्य-सेवा ी सीमा मे आ जाता हैं। विद्यालय के प्रत्येक कार्य को सरलता एवं अधिक से धिक प्रभावशाली ढंग से पूर्ण होने के लिए जिन परिस्थितियों (Situations) वं अवस्थाओं (Conditions) का सृजन (Creation) किया जाता है वे स्वास्थ्य-वा के कार्य-क्षेत्र में स्वयं ही शामिल हो जाती हैं। इसके अन्तर्गत वे सभी ारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक कार्य सम्मिलित हैं जो व्यक्तित्व ा चहुं-मुखी सन्तुलित विकास (All round harmonious development) ी दिशा में किसी भी प्रकार का योगदान करते हैं। इन कार्यों एव प्रयासों की कृति (Nature) निषेधात्मक (Negative) और स्वीकारात्मक (Positive) दोनो ी प्रकार की होती हैं। प्रथम में उन परिस्थितियों तथा अवस्थाओं को कम अथवा समाप्त किया जाता है जिनका विकास क्रम पर अनुकूल प्रभाव नहीं पडता तथा द्वितीय मे उन परिस्थितियों एवं अवस्थाओं के निर्माण की दिशा में रचनात्मक (Constructive) कार्य किए जाते हैं, जो इस दिशा में अनुकूल प्रभाव डालते हैं।

उपरोक्त परिषद (Council) को विद्यालय में स्वास्थ्य-वातावरण (Healthy atmosphere) बनाने के लिए भिन्न भिन्न समितियों का निर्माण कर उन्हें कार्य सौंप देने चाहिये। ये निम्नलिखित समितियां गठित की जा सकती हैं—

१. स्वास्थ्य शिक्षा (Health Instruction)।
२. वातावरण सम्बन्धी स्वच्छता (Clean Surrounding)
३. स्वास्थ्य-निर्देशन (Health Guidance)।
४. स्वास्थ्य-निरीक्षण (Health Inspection)।
५. बचाव (Prevention) और उपचार (Cure)।
६. प्राथमिक चिकित्सा सेवा (First Aid Service)।

समुदाय (Community)

शिक्षा विभाग Education Deptt. → स्वस्थ्य परिषद ← सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग (Health Deptt.)

प्राथमिक चिकित्सा (First Aid)	बचाव एवं उपचार (Precaution & cure)	स्वास्थ्य निरीक्षण (Health Inspection)	स्वसाध्य निर्देशन (Health Instruction)	स्वास्थ्य शिक्षा (Health Education)	वातावरण की स्वच्छता (Healthy Surroundings)

स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमुख आलेख
Health Record

स्वास्थ्य आलेखों के विषय में यह बात ध्यान में रखी जाय कि वे सुरक्षित रखे जायें। कभी भी उनकी आवश्यकता हो सकती है। स्वस्थ्य-निरीक्षण (Health Inspection) के बाद डाक्टर से शीघ्र उन्हें पूरा करने के लिए कहा जाय।

प्रमुख रूप से निम्नलिखित आलेख तैयार करना, तथा सुरक्षित रखना आवश्यक एवं सफल शिक्षा व्यवस्था (Successful education system) के लिये अनिवार्य है।

१. व्यक्तिगत और पारिवारिक इतिहास
Personal & Family Health History

इसके अन्तर्गत माता-पिता (Mother and Father), दादा-दादी (Grand father and grand mother), भाइयों तथा बहिनों में से प्रत्येक के

विद्यालय-स्वास्थ्य-सेवा के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य-सूची सम्मिलित है-

१. स्वास्थ्य की जानकारी (Health appraisal)

   (अ) दैनिक निरीक्षण (Daily supervision)

   (ब) निश्चित कालान्तर-परीक्षण (Periodical Tests)

   (स) मनोवैज्ञानिक परीक्षण (Psychological Testing)

   (द. दन्त, चक्षु, कर्ण निरीक्षण (Inspection of teeths, eyes, ear)

२. उपचार एवं इस दिशा में प्रयास (Cure and other efforts)

३. संक्रमण पर रोक (Control Infections)

४. स्वास्थ्य निरीक्षण (Heath Inspection)

५. अन्य सेवायें (Other services)

६. शारीरिक शिक्षा (Physical Education)

इन कार्यों को विद्यालय पूर्ण सफलता से सामुदायिक एवं सार्वजनिक सगठनों की सहायता के बिना कर सके इसमे सन्देह स्वाभाविक ही है। क्योंकि हमारे विद्यालयों में शिक्षा-सम्बन्धी अन्य कार्य ही बहुत हैं। अतः विद्यालय को सर्वप्रथम एक ऐसी इकाई (Body) का निर्माण करना चाहिये जो विद्यालय की स्वास्थ्य-सेवा में आवश्यक कार्य करने के साथ साथ सामुदायिक संस्थाओं एवं संगठनों (Community Institutions and Organizations) से घनिष्ट सम्पर्क स्थापित कर उनकी सेवाओं को उपलब्ध कर सकने में समर्थ हो सके। इस इकाई का नाम स्वास्थ्य-परिषद (Health Council) रखा जा सकता है।

संगठन—स्वास्थ्य परिषद में निम्नलिखित को सदस्य बनाया जाना चाहिये—

१. मुख्याध्यापक संरक्षक (Pattron)

२. विद्यालय का स्वास्थ्य अधिकारी (School Health Officer)

३. विद्यालय सामाजिक कार्य-कर्त्ता (School Social Worker) मन्त्री (Secretary)

सदस्य —

४. शारीरिक प्रशिक्षण (Physical Training) के अध्यक्ष (Incharge)

५. कुछ अध्यापक (Teachers)

६. समुदाय के प्रतिनिधि (Representatives from community)

७. विद्यालय के मनोवैज्ञानिक (Psychologist)

८. परामर्शदाता (Counseler)

९. मनोविश्लेषक (Psycho Analyst)

उपरोक्त परिषद (Council) को विद्यालय में स्वास्थ्य-वातावरण Healthy atmosphere) बनाने के लिए भिन्न भिन्न समितियों का निर्माण कर न्हें कार्य सौंप देने चाहिये। ये निम्नलिखित समितियां गठित की जा सकती हैं—

१. स्वास्थ्य शिक्षा (Health Instruction)।
२. वातावरण सम्बन्धी स्वच्छता (Clean Surrounding)
३. स्वास्थ्य-निर्देशन (Health Guidance)।
४. स्वास्थ्य-निरीक्षण (Health Inspection)।
५. बचाव (Prevention) और उपचार (Cure)।
६. प्राथमिक चिकित्सा सेवा (First Aid Service)।

समुदाय (Community)

↓

शिक्षा विभाग Education Deptt. ⟶ स्वस्थ्य परिषद ⟵ सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग (Health Deptt.)

प्राथमिक चिकित्सा (First Aid)	बचाव एवं उपचार (Precaution & cure)	स्वास्थ्य निरीक्षण (Health Inspec-tion)	स्वास्थ्य निर्देशन (Health Instruc-tion)	स्वास्थ्य शिक्षा (Health Educa-tion)	वातावरण की स्वच्छता (Healthy Surroun-dings)

स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमुख आलेख
Health Record

स्वास्थ्य आलेखों के विषय में यह बात ध्यान में रखी जाय कि वे सुरक्षित रखे जायें। कभी भी उनकी आवश्यकता हो सकती है। स्वस्थ्य-निरीक्षण (Health Inspection) के बाद डाक्टर से शीघ्र उन्हें पूरा करने के लिए कहा जाय।

प्रमुख रूप से निम्नलिखित आलेख तैयार करना, तथा सुरक्षित रखना आवश्यक एवं सफल शिक्षा व्यवस्था (Successful education system) के लिये अनिवार्य है।

१. व्यक्तिगत और पारिवारिक इतिहास
Personal & Family Health History

इसके अन्तर्गत माता-पिता (Mother and Father), दादा-दादी (Grand father and grand mother), भाइयों तथा बहिनों में से प्रत्येक के

विषय में निम्नलिखित सूचनायें (Personal Informations) प्राप्त कर सुरक्षित रखी जायें :

I (अ) दिन और तिथि (निरीक्षण) (Day and date of inspection)

(ब) यदि जीवित हों तो (If living)—
स्वास्थ्य की अवस्था (Health education)

(स) यदि मृत (If dead) तो मृत्यु के समय अवस्था (Age at time of death)

(द) मृत्यु का कारण (Cause of death)

II निम्नलिखित बीमारियों से यदि कोई सम्बन्धी पीड़ित हुआ हो तो बीमारी का नाम तथा व्यक्ति से सम्बन्ध तथा बीमारी का ब्यौरा और परिणाम तथा वर्तमान स्थिति।

तपेदिक (Tuberculosis)
मानसिक रोग (Mental trouble)
कैन्सर (Cancer)
ब्राइट की बीमारी (Bright's disease or kidney trouble)
रक्त चाप (Blood pressure)
हृदय रोग (Heart Trouble)
मस्तक पीड़ा (Headache)
मृगी (Epilepsy)
रक्त-स्रवण की आदत (Tendency to bleed easily)
पेट पीड़ा (Stomache)
दमा (Asthma)

III निम्नलिखित बीमारियों में से यदि व्यक्ति (विद्यार्थी, अध्यापक, मुख्याध्यापक, तथा अन्य कार्य-कर्त्ता) कभी पीड़ित हुआ हो तो उसका पूरा विवरण।

लालज्वर (Scarlet Fever)
डिपथेरिया (Diptheria)
इन्फ्लेमेटरी र्‍युमेटिज्म (Inflammatory rheumatism)
टाइफाइड (Typhoid)
हड्डी का टूटना (कैसे) (Broken bones & how)
नाक, गले की शल्य चिकित्सा क्यों— (Operation on nose, throat, if so why ?
मीजल्स (Measles)
चेचक (Small pox)

निमोनिया (Pneumonia)
इन्फ्लुएन्जा (Influenza)
तपेदिक (Tuperclosis)
प्लूरीसि (Pleurisy)
सिफिलिस (Syphilis)
कुक्कर खांसी (Whooping cough)
छोटी माता (Chicken pox)
हृदय रोग (Heart diseases)

III मुक्ति इतिहास
Immunization History
चेचक, टिटनस, डिप्थेरिया आदि के टीकों के सम्बन्ध में पूरा विवरण।

IV समय समय पर होने वाले स्वास्थ्य-निरीक्षणों का ब्यौरा
Details of subsequent examinations.

V अन्तिम निरीक्षण के बाद व्यक्तिगत एव पारिवारिक स्वास्थ्य में परिवर्तन
. Change in personal & family health history since last examination.

VI शारीरिक परीक्षण
Physical examination.
आयु (Age)....................
ऊंचाई (Height) ....
भार (Weight) ....
सामान्य तापक्रम (Normal Temperature) ....
चक्षु (Eye)—
दृष्टि (vision)...........
रोग (Disease).... ....
कान (Ear).... ... .
नाक (Nose) ... .
गला (Throat)
दांत (Teeth) ....
रक्त चाप (Blood Pressure)........ ....
नाड़ी-गति (Pulse rate) .. ..
फेफड़े (lungs)........... ...

आसन सम्बन्धी त्रुटि (Postural defect)
मूत्र परीक्षण (Urine examination)
एक्स किरण परीक्षण (X ray examination)
अन्य (Any other not included)

....

VII स्वास्थ्य परीक्षणों के निरीक्षणों का संक्षिप्त ब्योरा।
Summary of the health examinations
निरीक्षण क्रमांक
No of examination
दिन और तिथि
Day & Date
विवरण

प्रश्न ८—

What are the important items of health which a doctor must attend to at the time of medical inspection of school children? What further steps be taken to achieve the objective of school medical inspection?

वे प्रमुख बातें क्या हैं जिनका अध्ययन विद्यालय के डाक्टर को स्वास्थ्य-निरीक्षण के समय अवश्यमेव करना चाहिए ? विद्यालय के स्वास्थ्य-निरीक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति के क्या कदम उठाये जाने चाहिये ?

[सन् 1964 प्र० सं० 8]

उत्तर—

स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बातें
Important Items of Health at the time of Health-Inspection
[प्रश्न संख्या ७ देखें]

विद्यालय के स्वास्थ्य निरीक्षणों की उद्देश्य-पूर्ति
Steps to be taken to achieve the objectives of health inspection

स्वास्थ्य निरीक्षण (Health Inspection) के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य हैं—

१. व्यक्ति में उपस्थित कोई भी त्रुटि एवं असामान्यता की जानकारी (Knowledge of any physical or mental defect or abnormality present in the person)
२ उपस्थित त्रुटि अथवा असामान्यता के उपचार की व्यवस्था (Cure and treatment of the disease or defect or any abnormality observed in the person.)

३. उन सामान्य अवस्थाओं एवं परिस्थितियों का सृजन जिनमें व्यक्ति का उच्चतम सन्तुलित विकास सम्भव हो सके (Creation of the conditions and situations that would result in the optimum harmonious development of the person).

४. अनुगामी सेवाओं की व्यवस्था (Arrangement of follow up services)

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यालय से निम्नलिखित बातों की अपेक्षा की जाती है।

१. निरीक्षण-तथ्यों (Facts collected from the inspection) से माता-पिता, व्यक्ति तथा अभिभावकों, परामर्शदाता विद्यालय-व्यवस्थापकों को सूचित करना।

२ कक्षा-अध्यापक से विशेष सम्पर्क।

३. यदि व्यक्ति किसी बीमारी अथवा असामान्यता से पीड़ित हो तो उसके उपचार की व्यवस्था करना। माता-पिता, अभिभावक यदि अपनी आर्थिक कठिनाइयों के कारण यह सब करने में समर्थ न हो सकें तो विद्यालय को चाहिए कि इसकी व्यवस्था करे। इसके लिए सामुदायिक संगठनों, शिक्षा विभाग एव स्वास्थ्य विभाग से आवश्यक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रयास किये जायें। विद्यालय इस कार्य के लिए धन-संग्रह अपने विद्यालय में कर सकता है। इस दिशा में निम्नलिखित सुझाव लाभप्रद होंगे—

(क) स्वास्थ्य विभाग (Health Department) और शिक्षा-विभाग Education Department) से सहायता एवं अनुदान।

(ख) विद्यालय में निर्धन-छात्र-कोष (Poor student's Fund) का निर्माण।

(ग) सामुदायिक संगठनो एवं धर्मार्थ संगठनों तथा समर्थ व्यक्तियो से आर्थिक सहायता।

(घ) सहायतार्थ किसी कार्यक्रम का आयोजन Organization of some benefit programme).

४. विद्यालय में उपयुक्त मध्य-दिवसीय भोजन-व्यवस्था (Proper arrangement of mid-day meal in school)

५. विशेषज्ञ द्वारा दिये गये सुझावों को यथाशीघ्र क्रियान्वित करना (Implimentation of the programme recimomended by the specialist-Doctor)।

६. समय-समय पर प्रगति निरीक्षण की व्यवस्था (Arrangement frequent Inspections to see the progress)।

अध्याय ५

यौन-प्रवृति शिक्षा

Sex-Education

प्रश्न ६—

What is sex-hygiene ? How will you instruct your student in sex-hygiene ?

काम प्रवृति शिक्षा क्या है ? आप छात्रों को यह शिक्षा कैसे देंगे ?

[1964 प्रश्न न० 10]

उत्तर—

यौन प्रवृति शिक्षा का अर्थ
Meaning of sex-hygiene

व्यक्तित्व के विकास में यौन एक प्रमुख कारक है, यह बात मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से स्पष्ट हो गई है। यौन-भेद बच्चों के जन्म के बाद ही अपने प्रभाव को नहीं दिखलाता अपितु जन्म से पूर्व भी गर्भ में भ्रूण का विकास इसी आधार पर होता है। बालिका अपेक्षाकृत शीघ्र विकसित होती है। वह गर्भ में बालक की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होती है। इसको पूर्ण विकास के लिए २१० दिन लगते हैं जबकि बालक के लिये यह अवधि २८० दिनों की है। जन्म के बाद भी बालिका का शारीरिक एवं मानसिक विकास अधिक तीव्र गति से होता है। वह यौवन बालक की अपेक्षा २ वर्ष पहले प्राप्त कर लेती है।

'यौन-स्वास्थ्य-विज्ञान'', 'स्वास्थ्य विज्ञान' की एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण शाखा है। इसका सम्बन्ध केवल लैंगिक कुशलता और प्रभावोत्पादकता (Sexual well being & effectiveness) से ही नहीं अपितु उन सभी यौन सम्बन्धी कारकों और प्रभावों से है जो कि व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर उसके व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण योग देते हैं। हमारी मूल प्रवृत्तियों में यौन सम्बन्धी प्रवृत्ति, क्षुधा, पिपासा, संरक्षण आदि से कम महत्वपूर्ण नहीं है। [illegible] इसे सन्तानोत्पत्ति की प्रवृत्ति कहते हैं। जबकि [illegible] इसे रचनात्मक, [illegible]-वैयक्तिक एवं सामाजिक, [illegible] शरीर रक्षा एवं दूसरों से सम्बन्धित तथा मैथुनत्व, [illegible] की संज्ञा देते हैं। यदि कहा जाय कि फ्रायड के [illegible] का आधार शिक्षा यौन ही है तो अत्युक्ति न होगी। शिक्षा क्षेत्र में [illegible] सम्बन्धी ज्ञान की उपेक्षा उसकी पूर्णता में कमी करना है। इसके अतिरिक्त

में एक महत्वपूर्ण पहलू को उचित रूप से विकसित होने तथा उचित दिशा लेने का अवसर नहीं मिल पाता।

काम प्रवृति शिक्षा की विधियां
Methods of Instructions in sex-hygiene

काम-प्रवृति में शिक्षा देने के लिए निम्नलिखित विधियां उपयोगी हैं—

(१) प्रत्यक्ष विधि (Direct method)
- (i) स्पष्ट निर्देशन (Direct instructions)
- (ii) प्रश्न पत्र पेटी (Question box method)
- (iii) विषय के शिक्षण में समन्वय द्वारा (By the method of co-relation in the teaching of any subject)
- (iv) परामर्श विधि (Counseling method)—
  - (अ) व्यक्तिगत परामर्श (Individual counseling)
  - (ब) सामूहिक परामर्श (Group counseling)

२. परोक्ष विधि (Indirect method)—
- (i) शिक्षाप्रद फिल्म (Educational films)
- (ii) किसी पशु-शाला अथवा जन्तु उद्यान में भ्रमण (Visit to some animal husbandry or zoological garden)

(१) प्रत्यक्ष विधि
Direct method

(i) स्पष्ट निर्देशन (Direct Instructions)—

इस विधि में योग्य तथा कुशल (Skillful) एवं प्रशिक्षित (trained) अध्यापक अथवा अध्यापिका को विद्यार्थियों को सामान्य आवश्यकता के अनुकूल पूर्व निश्चित विषयों में जानकारी की व्यवस्था की जाती है। यह विद्यालय के दैनिक कार्यक्रम की सारिणी का एक अंग है।

(ii) प्रश्न-पत्र-पेटी (Question-Box)—

विद्यालय छात्र छात्राओं की यौन सम्बन्धी समस्याओं को जानने के लिए एक पेटी की व्यवस्था करता है, विद्यार्थियों को समस्या विषयक प्रश्न, पत्र में लिखकर उसमें डाल देने के लिए निर्देश होते हैं, प्रत्येक को वैकल्पिक स्वतन्त्रता है कि वह पत्र में अपना नाम लिखे अथवा नहीं। किसी कालांश के बाद पत्र-पेटी को खोलकर विशेषज्ञ (अध्यापिका, अध्यापक अथवा अन्य निश्चित व्यक्ति) इन प्रश्नों के उत्तरों को सामान्य रूप में कक्षा के सम्मुख रखता है अथवा किसी विशेष वर्ग या व्यक्ति को समाधान के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करता है। स्मरण रहे कि इसमें प्रश्न कर्ता की जानकारी गुप्त रहनी चाहिये।

(iii) विषय के शिक्षण में समन्वय द्वारा (By the method of correlation in the teaching of any subject)

कुछ शैक्षिक विषय जिनमें जीव विज्ञान (Biology), शरीर रचना विज्ञान (Physiology) प्रमुख हैं, ऐसे हैं जिनके शिक्षण के अन्तर्गत प्रजनन (Re-productory) संबंधि सदर्भों में अध्यापका अथवा अध्यापिक समन्वय के सिद्धान्त का कुशलता पूर्वक उपयोग कर कक्षा में यौन-प्रवृति शिक्षा को व्यावहारिक रूप दे सकते हैं।

(iv) परामर्श-विधि (Counseling Method)—

कुछ सामान्य यौन-सम्बन्धी समस्याओं के विषय में इस क्षेत्र में विशेषज्ञ, परामर्शदाता (Counselor) किसी विशेष व्यक्ति को, (उसकी विशिष्ट समस्या) अथवा किसी समूह को उनके समाधान के लिए रचनात्मक और प्रभावशाली परामर्श दे सकते हैं।

(२) परोक्ष विधि
(II) In-Direct Method

शिक्षा प्रद फिल्म (Educational Films)—

इस सम्बन्ध में कुछ अंग्रेजी की फिल्में तो बन चुकी हैं जो कि वास्तव में इस दिशा में जानकारी प्राप्त करने के अच्छे साधन हैं। भारतीय भाषाओं में भी ऐसी फिल्मों का निर्माण किया जाना चाहिये।

(ii) किसी पशु-शाला अथवा जन्तु उद्यान में भ्रमण (Visit to some animal Husbandry or zoological garden)—

प्रजनन क्रिया सम्बन्धी जानकारी के लिये उन्हें पशु-शाला अथवा जन्तु उद्यान में भ्रमण करा कर, ज्ञान देना चाहिये।

प्रश्न १०—

Do you think sex education should be given to adolscent boys and girls? If so; how and by whom should it be given?

क्या किशोरावस्था के लड़कों और लड़कियों को काम-प्रवृति की शिक्षा देनी चाहिए? यदि देनी चाहिए तो कैसे और कौन दे?

[राज० सन् 1966 प्र० 10]

उत्तर—

किशोरावस्था (Adolescent) के लड़के और लड़कियों के लिए काम-प्रवृति की शिक्षा (Sex-education) का प्रबन्ध अत्यन्तावश्यक है। वास्तव में

काम-प्रवृति शिक्षा को तो सम्पूर्ण शिक्षा-क्रम (Education—system) का एक अभिन्न तथा आवश्यक अंग बना दिया जाना चाहिये। अनुसन्धानों से यह बात स्पष्ट हो गयी है कि व्यक्तित्व के सन्तुलित विकास के लिये काम-प्रवृति का अनुकूल दिशा-निर्देशन अत्यन्तावश्यक है। निम्नलिखित बातो से यह बात स्पष्ट हो जावेगी।

१. यौन प्रवृति की शिक्षा प्रत्येक की रुचि और आवश्यकताओं के अनुकूल है
Sex-education is the need and to the Interests of all.

यौन-प्रवृति शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव सभी व्यक्ति और विद्यार्थी करते हैं। किन्तु, शायद सामाजिक आदर्शों अथवा परम्पराओ (Ideals and traditions) के प्रभाव में आकर हम इस दिशा मे कोई कार्य कर सकने मे अभी तक सफल नहीं हो सके हैं। इस तथ्य की पुष्टि इलिन्वाइज के एक अध्ययन से स्पष्ट हो जाती है।

इलिन्वाइज Illinois का अनुसंधान अध्ययन (research study)—

स्वरूप (Form)—प्रश्न—"क्या आप विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को यौन-प्रवृति शिक्षा के लिए प्रयास करने का समर्थन करते हैं (Should the school help the students obtain sound sex-education) ?" इसका उत्तर केवल 'हां (Yes)' अथवा 'ना (No)' में मांगा गया था।

जनसंख्या (Population)—इसके लिए माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों, माता-पिताओं, अभिभावकों और अध्यापकों को चुना गया। ये व्यक्ति ६१ माध्यमिक शालाओं (Secondary schools) से सम्बन्धित थे।

प्राप्त तथ्य (Facts collected)—प्राप्त तथ्यों को निम्नलिखित तालिका में लिपि-बद्ध किया गया है।

व्यक्ति	कुल सख्या	'हां' उत्तर देने की प्रतिशतता
विद्यार्थी	20101	83
माता-पिता	6455	82
अभिभावक	1739	77
अध्यापक	2024	83

उपरोक्त तथ्यों में यह विशेषता है कि जहाँ, माता-पिता, विद्यार्थी और अध्यापक समान रूप में समान प्रतिशतता से विद्यालयों में यौन-प्रवृत्ति की शिक्षा का समर्थन करते हैं, माता-पिता के अतिरिक्त जो अभिभावक (Guardians) हैं उनकी प्रतिशतता बहुत कम है। शायद उनके मन में सुप्त निराधार भय इसका कारण है।

२. शारीरिक विकास-क्रम की विशिष्टतायें

Unique characteristics of physical development.

१. गुप्तांगों की पूर्ण वृद्धि (Complete Development of sex-organs)- बालिकायों में यौन अंग का विकास पूर्ण किशोरावस्था (Preadole Period) scent) में अधिक तीव्र गति से होने लगता है। तथा किशोरावस्था (Adolescent में यह तीव्रता और अधिक बढ़कर २० वर्ष की आयु में पूर्ण लम्बाई पर पहुंच जाती है। इसी प्रकार बालक का यौन अंग १४—१७ वर्ष की अवस्था में लगभग पूर्ण लम्बाई प्राप्त कर लेता है किन्तु इसका विकास क्रम २० वर्ष की अवस्था के बाद भी चलता ही रहता है।

२. शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों में बालों का उगना इस अवस्था के विकास का गुण है।

३. द्वितीय दाढ़ (Second moles) का उगना।

४. टेंटुवा का बढ़ना (Development of liryux)।

५. बालकों की ध्वनि में भारीपन तथा बालिकाओं की ध्वनि में मन्दता आ जाना।

६. बालकों के बाहुओं (Shoulders) तथा बालिकाओं के पुट्ठों (Hips) का बढ़ना।

७ बालकों के स्तन की नोक (nipple) के चारों ओर अस्थायी (Temporary) वृद्धि तथा बालिकाओं के स्तनों (Breess) का बढ़ना।

८. बालकों की मांस-पेशियों में सिकुड़ना तथा बालिकाओं की मांस-पेशियों में हल्की सिकुड़न।

उपरोक्त शारीरिक विकास से बालक-बालिका के व्यवहार (Behaviour) रहन-सहन (Way of life) खान-पान (Tastes) पहिनाव (Dress), बातचीत के ढंग (Way of talking) सोचने का दृष्टिकोण (Thinking) आदि पर गहरे प्रभाव पड़ते हैं। इन बातों में प्रत्येक की भिन्न प्रवृत्ति होती है। अतः सर्वमान्य [illegible] acceptable) सामान्य आचरण-संहिता (General code of

:onduct) के अनुकूल छात्र-छात्राओं को मार्ग दर्शन (Guidance) की आवश्यकता होती है।

किशोरावस्था की सबसे बड़ी देन यौन परिपक्वता (Sex-maturity) है। इस अवस्था में बालक-बालिकायें इसे प्राप्त कर लेते हैं। इससे निम्नलिखित क्रियाओं (Activities) और व्यवहारों को प्रोत्साहन मिलता है।

१. यौन-सम्बन्धी वार्तायें (Sexual conversation)
२. यौन सम्बन्धी कला (Sexual drawing)
३. नग्न चित्र (Nude photographs)
४. अश्लील पत्रिकाओं की ओर झुकाव (Interest in obscene journals)
५. नगा दिखाने की आदत (Nudity)
६. यौन सम्बन्धी प्रयोग (Sexual experimats)
७. हस्तमैथुन (Mustarbation)
८. समलिंगता (Homosexuality)
९. अवाछनीय सम्बन्ध (Incestuous relations)
१०. अप्राकृतिक कृत्य (Unnatural offences)
११. दबाना (Crush)
१२. धक्का देना (Push)
१३. नाखून गाड़ना (Nail Prick)
१४. चूमना (Kiss)
१५. आलिंगन (Embraces)
१६. पानी उछालना (Tossing the water)
१७. वैश्या-गमन (Visit to prostitiuts)

यौन परिपक्वता प्राप्त करने पर उपरोक्त क्रियाओं और व्यवहारो का विकास व्यक्ति के विकास-क्रम की अनिवार्य घटना है। यह विकास की प्रकृति एवं स्वभाव के अंग हैं। किन्तु इस विषय में हमारे विद्यालयों मे पढ़ने वाले किशोर बालक-बालिकायें अनभिज्ञ रहते हैं। उन्हें निराधार तथ्यों की जानकारी अपनी मित्र-मण्डली अथवा अज्ञान सामुदायिक मित्र या निम्नकोटि की पुस्तकों से प्राप्त होती है। वे समलिंगता, हस्तमैथुन जैसे सामान्य व्यवहारों को पाप समझते हैं। इन क्रियाओं मे वे भाग तो ले लेते हैं किन्तु, उनके मनमें पाप का दण्ड मिलने का आतंक घर कर लेता है। इसी प्रकार वैश्यागमन जैसी क्रियाओं मे भाग लेने पर विद्यार्थी को भयकर बीमारियो का

फल है। इस प्रकार की बातें हमारे समाज में प्रचलित हैं। ये वास्तविकता से कोसों दूर हैं।

सत्य तो यह है कि सामान्य रूप में इन क्रियाओं में भाग लेने वाले व्यक्ति (किशोर या किशोरी) के स्वास्थ्य पर लेशमात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता। किन्तु उपरोक्त बातों के प्रभाव से वे मानसिक चिन्ताओं के कारण मानसिक रूप से रोगग्रस्त हो जाते हैं। इससे कई प्रकार की सामाजिक हानियां हो जाती हैं।

इस प्रकार की दुर्घटनाओं एवं अनावश्यक मानसिक तनावों (Mental tensions) से विद्यार्थियों को बचाने के लिए यौन-शिक्षा-प्रवृत्ति का एक प्रभावशाली कार्यक्रम विद्यालय के दैनिक जीवन का अंग बना दिया जाना चाहिए।

स्वयं यौन-परिपक्वता (Sex maturity) बालक बालिकाओं में मानसिक असामान्यताओं का कारण बन जाती है। पुरुषत्व (Masculinity) और नारीत्व (Faminity) तथा हीन-भावना (Inferio-complex) की भावनायें कई बार इसके कारण विकसित हो जाती हैं। कई ऐसे व्यक्तिगत इतिहास सामने आये हैं जिनमें देखा गया कि परिपक्वता (Maturity) प्राप्त करते ही बालक अथवा बालिका का स्वभाव ही बदल गया। इस प्रकार की घटनायें बालिकाओं में अधिक आवृति (frequency) के साथ मिलती हैं।

यौन शिक्षा कैसे दी जाय ?
How should sex education be given ?

[प्रश्न ६ में विधियां देखें।

यह शिक्षा किसके द्वारा दी जाय
By whom it should be given ?

यौन शिक्षा के लिए सभी वयस्क तथा विद्यार्थी से सम्बन्धित बड़े (elders) लोग समान रूप से उत्तरदायी हैं।

१. माता-पिता (Parents)—माता-पिता यौन-शिक्षा के लिए सर्वोत्तम साधन हैं। वे परोक्ष विधि का कुशल ढंग से उपयोग कर सकते हैं। बालिकाओं के लिये यह कार्य तो मातायें सबसे अधिक तत्परता (Readiness) एवं प्रभावोत्पादकता (effectiveness) से कर सकती हैं।

२. भाई-बहिनें तथा अन्य बड़े (Brothers, sisters and other elders)—भाई-बहिनें चाचा चाचियां तथा भाभियां छात्र-छात्राओं को सुन्दर एवं प्रभावशाली ढंग से यौन शिक्षा दे सकते हैं।

३. विषयाध्यापक (Subject Teacher)—सभी विषयों के अध्यापकों

को जब भी अवसर मिले किसी संदर्भ में आवश्यक यौन-सम्बन्धी निर्देश (Sex instructions) देने में नहीं चूकना चाहिए।

४. विज्ञान-शिक्षक (Science Teacher)—विज्ञान के शिक्षकों और विशेष रूप से जीव-विज्ञान से सम्बन्धित अध्यापक-अध्यापिकाओं को यह दायित्व सम्भालना चाहिये।

५. परामर्शदाता (Counselor)—यदि इसका प्रावधान हो तो परामर्शदाता भी इस क्षेत्र में विद्यार्थियों की सहायता कर सकता है।

६ शारीरिक प्रशिक्षण के अध्यक्ष (Physical Training incharge) वे भिन्न-भिन्न अवसरों पर विद्यार्थियों के लिये निर्देशनों का प्रावधान अपने कार्यक्रमों में कर सकते हैं।

७. डाक्टर तथा अन्य विशेषज्ञ (Doctor and any other specialist—विद्यालय की स्वास्थ्य सेवा के सभी व्यक्ति तथा इस क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति की सेवायें प्राप्त की जानी चाहिए।

यह बात सर्वथा तर्क-संगत नहीं है कि यौन-शिक्षा के लिये विशिष्ट अध्यापक नियुक्त किया जाय। यह बात युक्तिसगत (Relevent) भी नहीं है।

अध्याय ७

शारीरिक शिक्षा

Physical Education

प्रश्न ११

What games and physical activities would you recommend for students of higher secondary school and why ?

आप उच्चतर माध्यमिक शाला के छात्रों के लिये किन खेलों को उपयुक्त समझते हो और क्यों ?

[राज० 1965 प्र० नं० 9]

प्रश्न १२

Write short notes on any two of the following:—

(a) Organisation of tournaments.

(b) Play for all.

(c) Value of physical Exercises.

नीचे लिखे किन्हीं दो पर नोट लिखें—

[क] टुरनेमेन्ट्स का संचालन

[ख] सबके लिये खेल

[ग] व्यायाम का महत्व

[राज० 1966 प्र० नं० 9]

प्रश्न १३

Comment on the statement—'Play ground is an un-covered school ?

'खेल का मैदान एक खुला स्कूल है।' इस कथन पर अपने विचार प्रकट करें ?

[राज० 1967 प्र० नं० 6 (ग)]

उत्तर -

माध्यमिक शालाओं के बच्चों के लिये खेल और शारीरिक क्रियायें—
Games and physical activities for the students of higher secondary school:—

विद्यार्थियों के लिये किसी भी शैक्षिक स्तर पर खेलों और शारीरिक क्रियाओं के चयन के लिये कुछ आधारभूत सिद्धान्तों का पालन आवश्यक है। इन्हें हम तीन भागों में बाट सकते हैं।

१. शारीरिक रचना सम्बन्धी सिद्धान्त (Physiological principles):—

२. मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त (Psychological principles):—

३. सामाजिक सिद्धान्त (Sociological principles):—

शारीरिक रचना विज्ञान सम्बन्धी सिद्धान्त
Physiological principles :

१. इस कार्यक्रम में बृहद् मांस पेशियों को बढ़ने के अधिकाधिक प्रेरकों के लिये अनेक अवसरों का प्रावधान हो।

२. शारीरिक क्रिया सम्बन्धी पाठ्य-सामग्री को तैयार करने में बाल विकास और अभिवृद्धि में तथ्यों को निर्देशक तत्वों की सूची में आवश्यक रूप से रखा जाये।

३. वैयक्तिक भिन्नताओं को विशेष महत्त्व प्रदान किया जाना चाहिए।

४. शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी क्रियाओं में भाग लेने के लिये विद्यार्थी के स्वास्थ्य का सामान्य स्तर अवश्य होना चाहिए।

मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त
Psychological principles :

५. इस कार्यक्रम की क्रियाओं की खेल प्रवृति होनी चाहिये।

६. इनके चयन में व्यक्तिगत विद्यार्थी की मनोवैज्ञानिक स्थिति और गुणों (बुद्धि स्तर, रुझान, अभिवृत्ति, संवेदनात्मक दशा) का ध्यान रखा जाना चाहिए।

७. संवेदनात्मक अभिव्यक्ति के लिये क्रियाओं में आवश्यक गुण होने चाहिए।

८. इनमें क्रमिक प्रगति के लिए आवश्यक प्रावधान हो।

९. क्रियाओं के चयन और कार्यान्वयन में ऐच्छिक कौशल ग्रहण कर सकने के लिए समुचित समय दिया जाना चाहिये।

१०. इन्हें आवश्यक रूप से विद्यार्थी की ऋतु सम्बन्धी मूलभूत आवश्यकताओं (Seasonal drives) की पूर्ति में योगदान करना चाहिये।

सामाजिक सिद्धान्त
Sociological principles:—

११. अवकाश के सदुपयोग की दिशा में इन क्रियाओं को रचनात्मक कार्य करना चाहिये।

१२. इन्हें व्यक्तिगत विद्यार्थी को नागरिकता एवं प्रजातन्त्र में प्रशिक्षित करने के अवसर प्रदान करने चाहिये।

१३. संशोधित क्रियाओं को सामुदायिक आदर्शों और आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए।

४. ग्राह्यता (Acceptability)

प्राकृतिक
Natural

१ क्रियायें किशोरों की प्रकृति के अनुरूप हैं, ये इनके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास क्रम के अनुरूप हैं ।

प्रगतिशील
Progressive :

इन क्रियाओं की जटिलता पूर्व माध्यमिक स्तर में (Pre Higher Secondry stage) रखी गई क्रियाओं की जटिलता से अधिक है । यहां पर खेलों के सभी सिद्धान्त (Principles), नियम (Laws), तकनीक (Technique) सीखने के लिए बच्चों को स्वतन्त्र अवसर प्रदान किये जाते हैं उन्हें इस स्तर पर उन कौशलों के विकास के अवसर मिलते हैं, जिनसे वे शारीरिक खेलों में अधिक प्रतिभाशाली बन सकते हैं । खेलों के अन्तर्सम्बन्ध (Inter relation ship) इनके शारीरिक प्रशिक्षण में बहुत लाभ होता है ।

१ रुचात्मक
Interesting :

ये ऐसे खेल और क्रियायें हैं जो कि विद्यार्थियों की रुचि एवं मानसिक विकास के अनुकूल हैं । विद्यार्थी इनमें भाग लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं ।

ग्राह्यता
Acceptability :

इन सब क्रियाओं में वे सब गुण उपस्थित हैं जो कि बच्चे के तत्कालीन जीवन से संबंधित हैं साथ ही इन खेलों के माध्यम से इनमें प्रेम, सहानुभूति, सहकारिता, सहयोगिता की भावनाओं का विकास होता है, साथ ही उनमें अपने समाज और समुदाय के प्रति लगाव की अनुभूति भी होती है । खेलों में भाग लेने पर उन्हें सामुदायिक प्रशंसा (Social appreciation) मिलती है । जिससे उन्हें गौरव की अनुभूति होती है । तथा वे प्रेरणा पाकर अपना विकास अधिक तीव्रता से करते हैं ।

प्रश्न--

निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए :

(क) टूर्नामेन्ट्स का संचालन
(ख) सबके लिए खेल ।
(ग) व्यायाम का महत्व ।

स्तर—

(क) टूर्नामेंट्स का संचालन
Organization of games.

प्रतियोगिता के इस युग में खेलों और अन्य शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी क्रियाओं के क्षेत्र में भी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का प्रचलन सराहनीय गति से विकसित हुआ है। इनसे खेल के स्तर उठाने एवं खेल में भाग लेने वाले व्यक्ति के कौशल एवं क्षमताओं, में आवश्यक व अनिवार्य रूप से परावर्द्धन होना है इसीलिए ये प्रतियोगितायें स्थानीय स्तर से उठकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई हैं।

प्रत्येक स्तर पर टूर्नामेंट के आयोजन और गठन के मूल सिद्धान्त समान हैं। इस प्रकार के आयोजनों में निम्नलिखित पद प्रमुख हैं:—

१ नियोजन
Planning—

योजना प्रत्येक कार्य की सफलता की कुंजी है। खेल में किसी भी प्रतियोगिता के कार्यान्वयन से सम्पूर्ण कार्य की स्पष्ट रूप-रेखा तैयार कर देनी चाहिये। इसके अन्तर्गत अधोलिखित सभी पद सम्मिलित हैं।

कमेटियों का निर्माण
Organisation of Committees

यथा-योग्य अध्यापकों के निरीक्षण में निम्नलिखित समितियों का निर्माण करना चाहिए। प्रत्येक समिति में विद्यार्थी एवं अध्यापक के चयन के समय उन की रुचि तथा अन्य शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का ध्यान रखा जावे। एक विद्यार्थी को एक ही कमेटी में रखा जावे। इस कार्य के लिए विद्यालय के स सम्बन्धित व्यक्तियों की सलाह ली जानी चाहिए।

१. प्रकाशन एवं विज्ञापन (Publicity)
२. अर्थ (Finance)
३. मैदान (Field)
४. पत्र-व्यवहार (Correspondence)

३. रुच्यात्मक (Interesting)

४. ग्राह्यता (Acceptability)

प्राकृतिक
Natural

१ क्रियायें किशोरों की प्रकृति के अनुकूल हैं, ये इनके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास क्रम के अनुकूल हैं।

प्रगतिशील
Progressive :

इन क्रियाओं की जटिलता पूर्व माध्यमिक स्तर में (Pre Higher Seco dry stage) रखी गई क्रियाओं की जटिलता से अधिक है। यहां पर खेलों के सि सिद्धान्त (Principles), नियम (Laws), तकनीक (Technique) सीखने के लि बच्चों को स्वतन्त्र अवसर प्रदान किये जाते हैं उन्हें इस स्तर पर इन कौशलों विकास के अवसर मिलते हैं, जिनसे वे शारीरिक खेलों में अधिक प्रतिभावा बन सकते हैं। खेलों के अन्तर्सम्बन्ध (Inter relation ship) इनके शारीरि प्रशिक्षण में बहुत लाभ होता है।

१ रुच्यात्मक
Interesting :

ये ऐसे खेल और क्रियायें हैं जो कि विद्यार्थियों की रुचि एवं मानसि विकास के अनुकूल हैं। विद्यार्थी इनमें भाग लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं।

ग्राह्यता
Acceptability :

इन सब क्रियाओं में वे सब गुण उपस्थित हैं जो कि बच्चे के तत्कालीन जीवन से संबंधित हैं साथ ही इन खेलों के माध्यम से इनमें प्रेम, सहानुभूति, सह कारिता, सहयोगिता की भावनाओं का विकास होता है, साथ ही इनमें अपने समाज और समुदाय के प्रति लगाव की अनुभूति भी होती है। खेलों में भाग लेने पर उन्हे सामुदायिक प्रशंसा (Social appreciation) मिलती है। जिससे उन्हें गौरव की अनुभूति होती है। तथा वे प्रेरणा पाकर अपना विकास अधिक तीव्रता से करते हैं।

प्रश्न--

निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए :

(क) टूर्नामिन्ट्स का संचालन

(ख) सबके लिए खेल।

(ग) व्यायाम का महत्व।

उत्तर—

(क) टूर्नामेंट्स का संचालन
Organization of games.

प्रतियोगिता के इस युग मे खेलों और अन्य शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी क्रियाओं के क्षेत्र में भी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का प्रचलन सराहनीय गति से विकसित हुआ है। इनसे खेल के स्तर उठाने एवं खेल मे भाग लेने वाले व्यक्ति की कौशल एवं क्षमताओं, में आवश्यक व अनिवार्य रूप से परावर्द्धन होता है। इसीलिए ये प्रतियोगितायें स्थानीय स्तर से उठकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुच गई हैं।

प्रत्येक स्तर पर टूर्नामेंट के आयोजन और सगठन के मूल सिद्धान्त समान हैं। इस प्रकार के आयोजनो में निम्नलिखित पद प्रमुख हैं:—

1. नियोजन
Planning—

योजना प्रत्येक कार्य की सफलता की कुंजी है। खेल में किसी भी प्रतियोगिता के कार्यान्वियन से सपूर्ण कार्य की स्पष्ट रूप-रेखा तैयार कर देनी चाहिये। इसके अन्तर्गत अधोलिखित सभी पद सम्मिलित हैं।

कमेटियों का निर्माण
Organisation of Committees

यथा-योग्य अध्यापकों के निरीक्षण मे निम्नलिखित समितियों का निर्माण करना चाहिए। प्रत्येक समिति में विद्यार्थी एव अध्यापक के चयन के समय उसकी रुचि तथा अन्य शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाये। एक विद्यार्थी को एक ही कमेटी में रखा जाये। इस कार्य के लिए विद्यालय के सभी सम्बधित व्यक्तियों की सलाह ली जानी चाहिए।

१. प्रकाशन एवं विज्ञापन (Publicity)
२. अर्थ (Finance)
३. मैदान (Field)
४. पत्र-व्यवहार (Correspondence)
५. आवास एव भोजन (Boarding)
६. इनाम (Prize)
७. तकनीकी एव नियुक्ति (Technical and appointment)
८. सामान्य व्यवस्था (General arrangement
९. अनुशासन (Discipline)
१०. प्राथमिक चिकित्सा (First Aid

किसी भी टूर्नामेंट का संगठन करने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक धनराशि के विषय में पूरा ब्योरा तैयार कर लेना आवश्यक है। साथ ही इसकी पूर्ति के लिए सम्भावित स्रोतों का उल्लेख भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। यह कार्य मुख्य टूर्नामेंट कमेटी का है। तकनीकी एवं नियुक्ति कमेटी इस कार्य में आवश्यक सलाह देने की अधिकारिणी होती है। साथ ही यह टूर्नामेंट के लिए नियमों और विधान को तैयार करती है। इसके कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत प्रतियोगिता की तिथियों का निर्धारण कार्यक्रम बनाना एवं आवश्यक विशेषज्ञ अम्पायरों और निर्णायकों की नियुक्ति भी हैं। प्रशासन एवं पत्र व्यवहार एक कमेटी को सौंपे जा सकते हैं। धन जुटाने तथा इसकी व्यवस्था और आवश्यक वितरण के लिए अर्थ कमेटी उत्तरदायी है। इसी के निर्देशनों के आधार पर इनाम, आवास और भोजन आदि कमेटियां आवश्यक व्यवस्था की दिशा में कार्य करती है। मैदान कमेटी का कार्य तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता एवं सलाह के अनुसार मैदान को ठीक करना तथा दर्शकों के बैठने आदि की व्यवस्था करना है। प्रतियोगिता के अन्तर्गत अनुशासन हीनता को रोकने का कार्य प्रोक्टर के नेतृत्व में अनुशासन कमेटी का है।

इन सभी कमेटियों के कार्य क्षेत्र के अतिरिक्त प्रत्येक व्यवस्था का भार सामान्य व्यवस्था की कमेटी पर है। इन सभी कमेटियों के कार्यों को समन्वित करने का कार्य समन्वय कमेटी का है। प्रभावोत्पादक कार्य-व्यवस्था वास्तव में इसी कमेटी की तत्परता पर निर्भर करती है।

क्रियान्वयन—प्रतियोगिता को अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए हर समय प्रयास किए जाने चाहिए। इसे सफल बनाने के लिए समाज का पूर्ण सहयोग आपेक्षित है। मुख्य टूर्नामेंट में प्रधानाचार्य, शारीरिक शिक्षा के अध्यक्ष, अन्य जानकार, अध्यापक स्थानीय अन्य विद्यालयों के विशेषज्ञ, विभागीय प्रतिनिधि एवं समुदाय का प्रतिनिधि तथा प्रतिष्ठित नागरिकों को शामिल किया जाना चाहिए।

टूर्नामेंट की योजना के अवसर पर ही समय, धन और लक्ष्य के आधार पर टूर्नामेंट के प्रकार के विषय मे निर्णय ले ले। इसी के द्वारा एक निर्णायक मण्डल 'Jury of ampires' का निर्माण किया जाना चाहिए। टूर्नामेंट प्रारम्भ होने से पूर्व वैधानिक रूप से पर्चियां डालकर विरोधी टीमों के युगल बनाकर सम्पूर्ण टूर्नामेंट का चित्र बना दिया जाना चाहिए। उद्‌घाटन एवं समापन समारोह विशेष आकर्षक ढंग से सम्पन्न किये जाने चाहिए। इनके लिए मुख्य अतिथियों का चयन लोकप्रियता एवं अवसर की अनुकूलता के आधार पर प्रशासनिक अधिकारियों की सहायता से किया जाना चाहिए।

इस प्रकार की प्रतियोगितायें विद्यालयी ही नहीं अपितु सामुदायिक जीवन में रचनात्मक प्रवृत्तियों के विकास की दिशा में महान योगदान करती हैं। इनके माध्यम से अन्तर्विद्यालयी पारस्परिक सहयोग तथा सहानुभूति बढ़ती है, विद्यार्थियों का परिचय क्षेत्र विस्तृत होने का यह अच्छा अवसर होता है। ऐसे शुभावसर बच्चों को भावात्मक एकता की दिशा में प्रशिक्षित करते हैं।

12 (ख) उत्तर—
सबके लिए खेल
Games for all

यदि हम खेलों के महत्व की चर्चा करें तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इनमें प्रशिक्षण की वही उपलब्धियां (*Achievements*) और परिणाम अपेक्षित हैं जो कि हम शिक्षा प्रक्रिया से पूर्ण (as a whole) रूप में अपेक्षा करते है। खेलों से न केवल शारीरिक विकास (Physical development) को ही प्रोत्साहन मिलता है अपितु वे मानसिक (Mental) और आध्यात्मिक (Spiritual) तथा सामाजिक (Social) विकास में भी समान रूप से योगदान करते हैं। इनसे व्यक्तिगत सामर्थ्य में वृद्धि तो होती है, सामाजिक सहिष्णुता (*Tolerance*), सहयोगिता (Co-operation), नेतृत्व (Leader ship), आज्ञापालन (Obedience) की भावनाओं के विकास से सामाजिक क्षमता (Social efficiency) में भी अभिवृद्धि होती है।

माध्यमिक शिक्षा आयोग (Secondary Education Commission) ने खेलों का महत्व बतलाते हुए लिखा है, "हम सामूहिक खेलों को विशेष महत्व देते हैं। उनमें विद्यार्थियों की शारीरिक स्वस्थता के निर्माण के साथ साथ मनोरंजन तथा आचरण के दिशा-निर्देशन में भी समान रूप में सहायता मिलती है। (We place special value on group games as they help to mould the character of the students in addition to affording recreational facilities and contributing to their physical well being) ।"

खेल प्रत्येक व्यक्ति की परम आवश्यकता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को भाग लेना चाहिए। मनुष्य के लिये खेल की आवश्यकता बतलाते हुए जे एफ. विलियम (I. F. William) ने कहा है, "खेल, भोजन और प्यास के साथ साथ मनुष्य की सामान्य परम्परा है (*Games are man's common heritage* along with hunger and thirst.) ।

इसमें सन्देह नहीं कि सभी खेलों को सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य नहीं किया जा सकता। यहां भी शिक्षा के अन्य पहलुओं की भांति वैयक्तिक भिन्नता (Individual differences) का समान महत्व है किन्तु कुछ ऐसे तत्व

बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में ऐसे खेलों को "सबके लिये (For all)" अनिवार्य किया जाय जिनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उन गुणों (Virtues), कौशलों (Skills), व्यवहारों (Behaviours) की प्राप्ति होती है जिनकी कि प्रत्येक को व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिये न्यूनतम तथा परम आवश्यकता (Essential need) है। इन खेलों के चयन में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए —

१. वे सामूहिक हों (Group)
२. विशेष कौशल (Skill) एवं तकनीकी (Technique) इनमें भाग लेने वालों के लिये आवश्यक न हों।
३. सामान्य स्वास्थ्य (Normal health) से कम स्तर के विद्यार्थी भी उनमें भाग ले सकें।
४. इनका नियोजन शैक्षिक स्तर (Educational level) के अनुसार किया जाना चाहिए। तथा इनकी जटिलता (Complexity) स्तर के बढ़ने के साथ बढ़े।
५. इन खेलों से बच्चों में पारस्परिक प्रेम, सहानुभूति तथा अन्य सामाजिक गुणों (Social habits) का विकास हो।
६. ये खेल सामुदायिक मान्यताओं (Values) तथा आदर्शों (Ideals) और परम्पराओं (Traditions) के अनुकूल हों।
७. विद्यार्थी इनमें भाग लेने के लिए व्यग्रता अनुभव करें। तथा वे विद्यालय से बाहर सामुदायिक मित्र-मण्डली में भी इन खेलों के संगठन से सामान्वित हो सकें।

उत्तर १२ (ग)

व्यायाम का महत्व
Value of physical exercises.

मनुष्य के जीवन मे शारीरिक व्यायामों का महत्वपूर्ण स्थान है। इससे व्यक्ति के सन्तुलित शारीरिक विकास में बहुत बड़ा योगदान मिलता है। संक्षिप्त में इनके महत्व को निम्नलिखित रूप मे बिन्दुगत किया जा सकता है।

१. सन्तुलित शारीरिक विकास (Well balanced development of the body)।

२. शारीरिक त्रुटियों एवं असामान्यताओं को कम अथवा समाप्त करने का अनुपम साधन उपयुक्त व्यायाम है। जिसका विशेषज्ञ की सलाह पर अभ्यास किया जा सकता है।

३. अपच (Indegstion) के लिए व्यायाम एक अच्छी उपचार-विधि है।

४. यह मानसिक थकान को दूर करने का लाभप्रद उपाय है।

५. कई व्यायाम मनोरंजन के अच्छे साधन हैं।

११. उत्तर—

"खेल का मैदान एक खुला स्कूल है"
"Play ground is an uncovered school"

नैपोलियन बोनापार्ट का कथन, 'वाटरलू का युद्ध हैरो के क्रीड़ा-मैदान में जीता गया (The battle of Waterloo was won in the play grounds of Harrow)।' सचमुच स्वयं अपने आप में एक निर्विवाद सत्य है। नैपोलियन ने अपना जीवन-लक्ष्य पूर्ण किया। उसके मन में प्रारंभ से ही लगन थी कि वह एक दिन महान् योद्धा और नेता बनेगा। वह प्रारंभिक जीवन से ही भावी जीवन की तैयारी में रहा। खेलों (Games) तथा अन्य शारीरिक क्रियाओं (Physical activities) से उसने अपने जीवन के लिए आवश्यक कौशलों (skills) एवं योग्यताओं (Abilities) को अपने व्यक्तित्व का अंग बनाया। इतिहास के पन्ने उलटकर देखें तो प्राचीन स्पार्टा राज्य ने शारीरिक शिक्षा (Physical education) को ही अपनी सम्पूर्ण शिक्षा-व्यवस्था (Education–system) का केन्द्र बनाया। इसी में प्रशिक्षण (Training) से उसने अपने सशक्त और सुयोग्य नागरिकों का निर्माण किया। ग्रीक के समकालीन (Contemporay) दूसरे नगर-राज्य ऐथेन्स की ओर देखते हैं तो उसने भी अपने एक योग्य, विद्वान (Phiplosopher), सुन्दर और बलवान नागरिक के निर्माण का कार्य किया, जहां प्रथम गुण व्यक्तित्व का मानसिक पहलू (Intellectual phase) है, सौन्दर्य और बल (Beauty and power) का सम्बन्ध शारीरिक गठन (Physical make up) और स्फूर्ति से है। जो कि स्पष्ट रूप से शारीरिक का ही प्रतिफल (Out come) है।

इसी प्रकार प्राचीन भारत तथा अन्य संस्कृतियों की ओर विहंगम दृष्टि डालें तो हमें शारीरिक शिक्षा (Physical education) और शिक्षा (Education) को अलग कर सकना और अलगाव (Separation) में सोच सकना दोनों ही असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य होंगे।

सामान्य रूप में हम शिक्षा को "व्यक्तित्व के सन्तुलित विकास की प्रक्रिया" मानते हैं। तथा इसके उद्देश्यों में "सांस्कृतिक (Cultural) ज्ञान (Knowledge)" 'जीवन की तैयारी (Preperation of life)", "नैतिक विकास (Moral development)", "नागरिकता में प्रशिक्षण (Training in citizeoship)",

ing), लक्ष्य और उद्देश्य (Aims and objectives) तथा महत्ता (Importance) में शिक्षा के ही अनुरूप (Similar) है।

शारीरिक शिक्षा का अर्थ
Meaning of Health Education

शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम का एक विषय मात्र ही नहीं समझा जाना चाहिये। यह वास्तव में पूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का एक आवश्यक अभिन्न पहलू है। स्पष्ट रूप में इसका सम्बन्ध शारीरिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं तथा तत्सम्बन्धी वैयक्तिक उपलब्धियों से है। इस प्रकार की शिक्षा मुख्य रूप से शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से दी जाती है। कई प्रकार के अन्तर्सम्बन्धी भिन्न भिन्न निर्माण तत्वों एवं क्रियाओं इकाइयों से निर्मित मानव के पूर्ण व्यक्तित्व की शिक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण विधि है, इसके अन्तर्गत शारीरिक, सामाजिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक सभी पहलू आते हैं। अनुकूल शिक्षण प्रणाली की उपस्थिति में शारीरिक शिक्षा की लक्ष्य प्राप्ति में अन्य किसी भी विषय की अपेक्षा अधिक योग दे सकती है। साथ ही इसके लक्ष्य एवं उद्देश्य अन्य विषयों के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों से अधिक विस्तृत तथा महत्वपूर्ण हैं। स्व अनुशासन जो इस युग और इस देश की प्रमुख मांग है शिक्षा के इस पहलू से आसानी से सिखाया जा सकता है।

लक्ष्य एवं उद्देश्य
Aims

शारीरिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों का संक्षिप्त उल्लेख निम्न प्रकार किया जा रहा है—

१. कौशल एवं योग्यताओं का लक्ष्य
Aim of skill and ability—

व्यक्ति की आवश्यक शारीरिक क्रियाओं एवं कौशलों का विकास करना, जिससे कि वह अपनी आयु के अनुकूल उपयुक्त खेलों और क्रियाओं में क्रियाशील भाग लेकर आनन्द की अनुभूति के द्वारा पूर्ण जीवन को आनन्दमय बनाने की दिशा में रचनात्मक कदम बढ़ा सके। इसके लिये, मनोतान्त्रिक, शारीरिक अंगों और क्रियाओं के सह सम्बन्ध, सामान्य शारीरिक नियन्त्रण, एवं प्राकृतिक तथा वर्ग सम्बन्धी क्रियाओं के कौशल प्रवर्तन प्रमुख हैं।

२. सांस्कृतिक उद्देश्य
Cultural Aim—

शारीरिक प्रशिक्षण में विभिन्न क्रियाओं के प्रावधान से सुसंस्कृत व्यक्ति के उद्भव के अवसर प्राप्त होते हैं। इससे सामाजिक संस्कृति के परावर्तन में

रचनात्मक योगदान मिलता है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित विकास प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं।

(अ) खेल की तकनीक और व्यूह-रचना के बोध और सराहना का विकास।

(ब) अवकाश के लिए आवश्यक तैयारी।

(स) शारीरिक शक्ति की वृद्धि से मूल भूत नैतिकता का विकास।

(द) संवेदन, स्मरण, कल्पना, तर्क तथा निर्णय आदि सामान्य चिन्तन सम्बन्धी शक्तियों का विकास।

(क) व्यक्ति में स्वानुभूति के विकास के द्वारा मानसिक तनावों और समस्याओं को कमकर भावात्मक एकता की दिशा में रचनात्मक कार्यों का प्रावधान। इससे उसके समायोजन में भी सहायता मिलती है।

(ख) अच्छे आचरण सच्चरित्रता एवं सामाजिक गुणों का विकास।

(ग) विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से कार्य करने की दिशा में प्रशिक्षण देकर उनमें सहकारिता की भावना का विकास करना।

(घ) सुनियोजित, प्रेरक और सार्थक क्रियाओं से प्राप्त आनन्द की अनुभूति कराना।

३. मानसिक स्वास्थ्य का लक्ष्य
Aim of mental health—

(अ) उनमें शारीरिक और मानसिक समन्वय, स्वानुशासन, एवं आत्म-विश्वास का विकास करना।

(ब) विद्यार्थियों को खेलों और व्यायामों में व्यस्त रखकर उनकी मानसिक परेशानियों और उलझनों को समाप्त अथवा कम करना। इससे उनमें अनुकूल आदतों और रुझानों का विकास सम्भव है।

(ग) सामान्य व त नाड़ी संबंधी दृढ़ता बढ़ाना।

४. वांछित आदतों सम्बन्धी लक्ष्य
Aim of desirable habits—

(क) पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार दैनिक कार्य करना। क्योंकि स्वयं व्यक्ति के जीवन के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक आदत है।

(ख) अवकाश काल को सामुदायिक क्रियाओं में भाग लेकर व्यतीत करने की आदत डालना।

(ग) स्वच्छता एवं सत्यवादिता की आदत डालना।

५. विशुद्ध रूप से शारीरिक लक्ष्य
Physical Aim—

(अ) शारीरिक कार्य कर सकने के सामर्थ्य में अभिवृद्धि करना। जिससे वह आजीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त कार्य कर सके।

(ब) शरीर के सामान्य विकास और अभिवृद्धि को उत्तेजित करना।

(स) शारीरिक त्रुटियों एवं असामान्यताओं को दूर अथवा कम करना

(द) शरीर और उसके अंगों की गतिशीलता एवं सर्वांगीणता को बनाये रखना।

(य) विद्यार्थियों मे चातुर्य, अनुशीलता एवं समस्याओं और परिस्थितियों का सफलतापूर्वक संतोषजनक ढंग से सामना कर सकने के साहस और शक्ति विकास से उनकी शारीरिक क्षमता बढ़ाना।

६. व्यक्तित्व संबंधी लक्ष्य
Personality aim—

विद्यार्थियों में खिलाड़ीपन, नेतृत्व, धनात्मक क्रियाशील एवं मानसिक स्वनियन्त्रण, सामाजिक सहकारिता, दक्षता और सामाजिकता के गुणों विकास करना।

७. प्रतिष्ठा का लक्ष्य

विद्यार्थियों में किसी विशेष विद्यालय का छात्र होने की चेतना जाग्रत करना, इससे उनमें अपनेपन और फलस्वरूप प्रतिष्ठा का विकास हो जाता है।

८. व्यावहारिक ज्ञान का लक्ष्य
Aim of practical knowledge—

(अ) स्वास्थ्य के नियमों की जानकारी देना।

(ब) खेलों के नियमों से परिचित कराना।

(स) भिन्न-भिन्न तकनीक एवं विधियों का ज्ञान देना।

(द) प्रायमिक चिकित्सा का ज्ञान देना।

महत्व—

विद्यार्थियों के लिए शारीरिक शिक्षा का महत्व तो स्पष्ट ही है। सभी विद्यालयों में इसके लिए विशेषज्ञ प्रशिक्षित अध्यापक की व्यवस्था प्रशासनिक नियमों के अनुसार अनिवार्य है, किन्तु फिर भी प्रत्येक अध्यापक को इसका प्राथमिक ज्ञान आवश्यक है। यह विदित ही है कि हमारी आर्थिक परिस्थितियां विषम हैं। शारीरिक शिक्षा के लिये कम से कम एक अध्यापक प्रति विद्यालय का

समाधान किया जा सके, यही अधिक है। इस पर भी एक अध्यापक से विद्यालय की निरन्तर बढ़ती हुई इस जनसंख्या की इस अनिवार्य आवश्यकता को पूर्ण कर सकना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। वह अन्य अध्यापकों की सहायता के, बिना इसके महान उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में वांछित क्षमता से कार्य कर सके, स्पष्ट रूप से असंभव है। इस दिशा में विशिष्ट अध्यापक को आवश्यक सहायता दे सकने में प्रत्येक अध्यापक को आवश्यक ज्ञान एवं सामर्थ्य प्रदान करना शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का कार्य है। इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने "शारीरिक शिक्षा" को इन संस्थाओं में व्यवहारिक दृष्टि से क्रियात्मक रूप में अनिवार्य कर दिया है, किन्तु इसको सार्थक बनाने के लिये सैद्धान्तिक ज्ञान से प्रशिक्षितों को परिचित कराना भी समान रूप से महत्वपूर्ण और आवश्यक है। इससे प्रशिक्षित व्यक्तियों को शिक्षा के इस महत्वपूर्ण पहलू मे आवश्यक सूझ की संप्राप्ति हो जाती है, साथ ही विद्यालयों में कार्य भार संभालने पर इन्हें विशेषज्ञ अध्यापक के नेतृत्व एवं निर्देशन में किसी खेल अथवा शारीरिक क्रिया का दायित्व सौंपा जा सकता है। अपने इस संभावित दायित्व को सफलतापूर्वक प्रभावोत्पादक ढंग से निभाने के लिये प्रत्येक भावी अध्यापक-अध्यापिका को पूर्ण रूप से सुसज्जित हो जाना चाहिए।

अध्याय ८

आहार और कुपोषण की समस्या

Diet & The Problem of Mal-Nutrition

प्रश्न १ :—

What are the causes of mal-nutrition in the case of the diet taken by our children ? what suggestions would you give to remove this mal-nutrition ?

बच्चों के आहार सम्बन्धी कुपोषण के क्या कारण हैं ? आप इस कुपोषण को दूर करने के लिए क्या सुझाव देते हैं ?

[राज० 1965 प्र०]

उत्तर—

भारत में बच्चों के आहार सम्बन्धी कुपोषण के निम्नलिखित कारण हैं—

(१) अपर्याप्त भोजन (Insufficient meal)

(२) संतुलित भोजन का अभाव (Non ability of balanced diet)

(३) प्राप्त सन्तुलित भोजन के पचाने में बच्चों की असमर्थता (Inability of children in digesting the available balanced diet.)

(४) स्वच्छ भोजन का अभाव (Lack of clean meal)

(५) खाद्य पदार्थों का अनुपयुक्त आयात (Improper means of importing the good Stuff)

(६) खाद्य पदार्थों का अनुपयुक्त (Rough handling and processing of the food)

अपर्याप्त भोजन [sic]

Insufficient meal—हमारे देश में ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है जिनको दिन में दो बार भी भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। इसके प्रमुख कारण हमारी कृषि उत्पादन की क्षीण सामर्थ्य, दीनता, सूखा अथवा अति वृष्टि जैसे दैविक प्रकोपों से कृषि की हानि, खाद्य पदार्थों के वितरण के कारण है दूषित व्यापार और राज्य सरकार की नीतियां आदि है। शरीर के लिए आव

त्यक उपयुक्त भोजन की न्यूनतम मात्रा के अभाव में हमारी जनसंख्या और उनके नवजात शिशु अपने शारीरिक विकास में अवरोध के कारण अल्पभक्षता के शिकार बन जाते हैं।

सन्तुलित भोजन का अभाव

Non-ability of balanced diet—हमारी जनसंख्या में ऐसे वर्ग भी हैं जिन्हें भर पेट भोजन की तो नहीं है किन्तु उनके आहार में शरीर तथा कार्य की प्रकृति के अनुसार उपयुक्त उर्जा तथा भोजन के अन्य तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते अथवा उनकी मात्रायें उपयुक्त अनुपात में नहीं होती। कहीं-कहीं स्थानीय परम्पराओं के कारण भी यह कठिनाई आ जाती है। कुछ समुदायों में यह प्रथा चली आ रही है कि वे उपयुक्त भोजन होते हुये भी शिशुओं को केवल स्टार्च अथवा शर्करा अथवा वसायुक्त या अन्य एक या दो तत्वों से प्रमुख भोजन ही दिया जाता है। कुछ लोग नवजात शिशु को जन्म देने वाली माताओं को आहार में नमक नहीं देते। इससे पाचन शक्ति क्षीण हो जाती है और उसका प्रभाव बच्चे पर भी पड़ जाता है। तथा जीवन के प्रारम्भिक दिनों से ही उसके स्वतन्त्र विकास में बाधायें आने लगती हैं। कुछ अमीर परिवारों में भोजन पकाने की अनुपयुक्त विधियां काम में लाते हैं। अथवा भोजन में स्वाद के लिए ऐसे मसाले डालते हैं जिनसे उसमें उपस्थित आवश्यक तत्व नष्ट हो जाते हैं। कुछ लोग सन्तुलित आहार प्राप्त करने में समर्थ होते हुये भी बचत और मितव्ययता को प्रमुखता देकर परिवार को कुपोषण का शिकार बना देते हैं।

प्राप्त सन्तुलित भोजन को पचाने में बालकों की असमर्थता

Inability of the children indigesting the available balanced diet—इस प्रकार के उदाहरण भी मिले हैं कि उपयुक्त ऊर्जा का सन्तुलित आहार लेने वाले कुछ व्यक्ति या बालक बालिकायें कुपोषण के शिकार बन जाते हैं। इसका कारण यह है कि पाचन तन्त्र उनका उचित उपभोग नहीं कर सकता। इसके लिए घर या विद्यालय की त्रुटि पूर्ण स्थिति और व्यवस्था तथा दूषित वातावरण, निद्रा और आराम का अभाव, शारीरिक रोग, दोषपूर्ण शारीरिक आसन, अनियमित भोजन कार्य की अधिकता, खेल और व्यायाम की कमी, शारीरिक अस्वच्छता, दांत और गले का संक्रमण आदि कारक उत्तरदायी हैं।

सामान्य रूप से कुपोषण के गम्भीर परिणाम, शारीरिक निरीक्षणों की व्यवस्था के अभाव, माता पिता तथा अभिभावकों का अज्ञानता, अध्यापक और विद्यार्थियों की लापरवाही, विद्यालय और परिवार में अनुपयुक्त वातावरण जैसे कारकों के फलस्वरूप होते हैं।

मान का अभ्यस्त बनाया जाय, तो आप किशोरों के लिए आहार में क्या सामान्य व्यवस्था करेंगे ?

[राज० 1963 प्रश्न 8]

उत्तर—

सन्तुलित आहार
Balanced Diet

किसी मनुष्य अथवा किसी मानव समाज द्वारा ग्रहण किया जाने वाला सामान्य पूर्ण खाद्य, आहार कहलाता है, इसमें भोजन को भिन्न-भिन्न वर्गीकृत (वसा, प्रोटीन, शर्करा, विटामिन आदि) तत्वों के रूप में नहीं लिया जाता।

तापक्रम बनाये रखने के लिये शरीर में ऊर्जा के उत्पादन हेतु हमें भोजन की आवश्यकता होती है, इससे हमें कार्य करने के लिये आवश्यक तत्वों की प्राप्ति होती है, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन शारीरिक वृद्धि, तन्तु निर्माण तथा पुनर्रचना और प्रजनन के लिये आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट और वसा जल कर ऊर्जा और ताप देते हैं। इसी प्रकार जल भोजन को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के साथ साथ शरीर तन्तुओं और अंगों का प्रमुख अवयव है।

सांस के द्वारा प्राप्त आक्सीजन भोजन को ऊर्जा में बदलती है, अतः मानव शरीर अन्तर्दहन इन्जन के कार्य-विधि में किसी प्रकार भिन्न नहीं है, आक्सीजन की ही सहायता से भोजन रसायनिक उर्जा ताप और कार्य में परिवर्तित हो जाती है, शरीर के ताप-नियन्त्रण तन्त्र के द्वारा आवश्यकता से अधिक उत्पन्न ताप वायुमण्डल में भेज दिया जाता है जिससे कि शरीर के तापक्रम का एक निश्चित स्तर बना रहता है।

भोजन का ऊर्जा मूल्य (Energy-value) आक्सीकरण पर उससे प्राप्त ताप की मात्रा पर निर्भर करता है, विज्ञान में ताप की इकाई कलोरी (Calorie) है, भोजन का ऊर्जा मूल्य मालूम करने के लिये हम किलोग्राम कलोरी (बड़ी कलोरी Large Calorie) को इकाई मानते हैं, यह १००० कलोरी के बराबर होती है।

कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अपने एक एक ग्राम के आक्सीकरण पर प्रत्येक ४.१ किलो ग्राम कलोरी ताप देते हैं, जबकि वसा की १ ग्राम मात्रा से ९.१ किलो-ग्राम कलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, भोजन के अन्य तत्व ऊर्जा उत्पादक नहीं हैं, भोजन की उपयुक्तता उसकी ऊर्जा शक्ति पर निर्भर करती है

मानव शरीर के लिये आवश्यक ऊर्जा निम्नलिखित बातों पर ... करती है—

(१) श्रम की प्रकृति (Nature of work)

(२) शरीर द्वारा प्रयोग की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा।

(३) वातावरण में तापक्रम तथा आर्द्रता की स्थिति।

(४) व्यक्ति की अवस्था।

(५) व्यक्ति का लिंग।

सामान्य रूप से गर्म कमरे में आराम करने वाले औसत आयु के एक प्रौढ़ आदमी को प्रतिदिन १७०० किलोग्राम की आवश्यकता होती है, जबकि समान आयु वाली नारी को इन्हीं परिस्थितियों में १४५० कि० ग्रा० की आवश्यकता होती है, इसे बेसल मेटाबोलिक रेट (Basal Metabolic Rate-B.M.R) कहा जाता है। पुरुषों की अपेक्षा नारियों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि उनका औसत भार और सतह क्षेत्र (Surface area) अपेक्षाकृत कम होता है, साथ ही वे पुरुषों की अपेक्षा कम क्रियाशील और कम कठिन कार्य करती है। इससे उनके शरीर से कम ताप व्यय होता है, बढ़ने वाले बच्चों को भी उर्जा की अधिक आवश्यकता होती है, १२ वर्ष के बालक और बालिका को सामान्य स्थिति में क्रमशः २५०० कि० ग्रा० कलोरी तथा २५०० कि० कलोरी उर्जा की आवश्यकता होती है।

उर्जा का सबसे अच्छा स्रोत कार्बोहाइड्रेट है, किन्तु यह देखा गया है कि आहार में अधिक कार्बोहाइड्रेट लेने वाले बच्चे और व्यक्ति ठीक प्रकार से विकसित नहीं होते तथा साथ ही प्रायः अस्वस्थ भी रहते हैं। वास्तव में आदर्श आहार वह है जिसमें भोजन के सभी तत्व सन्तुलित मात्रा में हों।

आहार सम्बन्धी सुझाव—

प्रतिदिन सन्तुलित आहार प्राप्त कर सकने हेतु खाद्य पदार्थों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। प्रतिदिन प्रत्येक वर्ग से पदार्थों का चयन कर आहार तालिका बनानी चाहिए।

(१) हरी तरकारियाँ।

(२) सन्तरे, टमाटर, अंगूर, पत्ता गोभी या हरी सलाद।

(३) दूध और उससे बनी हुई चीजें।

(४) मांस, मुर्गी, अण्डे अथवा मछलियाँ।

(५) रोटी, चावल, और अन्य अनाज।

(६) दा ।

किसी भी छात्रावास के अध्यक्ष को किशोरों के लिए आहार की सामान्य व्यवस्था में कुछ आवश्यक व लाभकारी व्यवहारिक बातों को ध्यान में रखना चाहिये, जो निम्न हैं—

(१) जो भी भोजन दिया जाय वह सस्ता एवं शक्तिदायक होना चाहिये। सभी विद्यार्थियों के लिए समान भोजन की व्यवस्था न कर उनकी शारीरिक आवश्यकता के अनुसार अलग-अलग समूह बनाकर उनके लिए समान भोजन की व्यवस्था होनी चाहिये। इस व्यवस्था के लिए समर्थ माता-पिता और अभिभावकों, शिक्षा-विभाग, समाज सेवी संस्थाओं एवं व्यक्तियों से आर्थिक सहायता प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिये।

(२) छात्रों के लिए उपयोगिता दृष्टि से खाद्य सामग्री का अनुकूल चयन करना चाहिये, इस सम्बन्ध में विद्यालय पोषण अधिकारी (School Nutritionist) की राय सर्वमान्य होनी चाहिये।

विद्यालय में खजूर को कार्बोहाइड्रेट तथा सोयाबीन के दूध को प्राकृतिक दूध के स्थान पर बड़ी प्रभावोत्पादकता से प्रयोग किया जा सकता है। टमाटर तथा सन्तरे भी सेब आदि दालों के स्थान पर प्रयोग किये जा सकते हैं। भिगोये हुये कच्चे चने भून कर देने से शक्तिदायक भोजन का कार्य करते हैं। कुछ लोगों का मत है कोंप निकला हुआ भिगोया हुआ चना पूर्ण भोजन का कार्य अच्छी तरह कर सकता है।

(३) विद्यार्थियों के लिए भोजन बनाने का स्थान और विधि स्वच्छ तथा वैज्ञानिक हो भोजन में ऐसी वस्तुयें न डाली जायें जिनसे इसमे लाभदायक तत्व नष्ट हो जायें।

(४) भोजन ताजा होना चाहिये। इसके परोसने का आकर्षक ढंग होना चाहिये, इससे बालकों में सामाजिक भावनाओं के विकास की दिशा में सहायता मिले कुछ विद्यालयों में इस अवसर पर ग्रामोफोन के रिकार्ड अथवा बैण्ड आदि बाजे बजाये जाते हैं, इससे भी वातावरण में सरसता आ जाती है तथा बालक-बालिकाओं का मनोरंजन भी होता है, इससे वे प्रसन्नचित रहते हैं, कार्य-क्रमों में क्रियाशील लेने के लिए वे पुनः तैयार हो जाते हैं।

(५) भोजन सामग्री के आयात की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिये। इससे किसी प्रकार के सक्रामण की आशंका नहीं होनी चाहिये। सदा ताजी चीजों का ही भोजन के लिए चयन किया जाना चाहिये। इसके संरक्षण (Preservation)

की भी उचित व्यवस्था करना आवश्यक है।

(६) भोजन तैयार करने तथा परोसने के लिए ऐसे बर्तन प्रयोग न किये जायें जिससे भोजन विषैला बन जाय। इसके लिए जानकार लोगों की राय लेनी चाहिये।

(७) भोजन बनाने तथा परोसने के स्थान पर स्वच्छ जल और तौलियों की व्यवस्था होनी चाहिये।

(८) भोजन करने के सम्बन्ध में विद्यार्थियों को आवश्यक लिखित एवं मौखिक निर्देश देने चाहिये।

अध्याय ६

व्यक्तिगत स्वास्थ्य, थकान, आराम

Personal Hygiene, Fatique & Rest

प्रश्न १६

What is personal hygiene ? What can teachers do to develop good and clean-habits among children ?

निजी स्वास्थ्य विज्ञान से क्या अभिप्राय है ? अध्यापक बच्चों में अच्छी और साफ आदतें कैसे डाल सकते हैं ?

(राज० 1967 प्र० नं० 9 क)

उत्तर:—

निजी (व्यक्तिगत) स्वास्थ्य विज्ञान

Personal Hygiene

'व्यक्तिगत स्वास्थ्य विज्ञान' स्वास्थ्य शिक्षा का एक अंग है, वास्तव में यह सम्पूर्ण कार्यक्रम की सफलता का आधार-स्तम्भ है, स्वस्थ व्यक्तित्व के विकास में यह विशेष महत्व रखता है। इसके क्षेत्र में वे सभी नियम और जानकारियाँ हैं, जिनसे व्यक्ति का अपना स्वास्थ्य बनाये व सुरक्षित रखने में सहायता मिलती है, इसका सम्बन्ध व्यक्ति से ही है क्योंकि अनुकूल कार्य करना उसकी अपनी ही आदतों पर निर्भर करता है। अच्छी और वांछित आदतों को सिखाना कठिन कार्य नहीं, किन्तु, वास्तव में उन्हें अपनाना आसान नहीं है। फिर भी यदि उपयुक्त निर्देशन (Guidance) उपलब्ध हो तो अच्छी आदतों का सीखना (C'earing) और सिखाना (Teach) टेढ़ी खीर नहीं है, इन्हें अपना कर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य-निर्माण में सहायता प्राप्त कर सकता है, भोजन, व्यायाम, कार्य, आराम (विश्राम, Rest), सोना तथा त्वचा, बाल, नाक, दाँत, और गले की सफाई सम्बन्धी नियम, अच्छी आदतों और व्यक्तिगत स्वास्थ्य विज्ञान के अन्तर्गत आते हैं। इन कार्यों एवं क्रियाओं में वांछित ढंग से अधिक से अधिक लाभ प्राप्ति के सामर्थ्य से भाग लेना व्यक्तिगत स्वास्थ्य का परम लक्ष्य (Ultimate-aim) है।

इस कार्यक्रम की सफलता की कुंजी बच्चों में अच्छी आदतों (Good habit) का निर्माण है। अतः अध्यापक को बच्चों में अच्छी आदतों के निर्माण के

लिये आवश्यक कदम उठाने चाहिए। व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्वयं सामुदायिक स्वा (Community health) का आधार है।

अध्यापक द्वारा अच्छी आदतों के निर्माण में योग

Teacher's Contribution in the building up of clearly habits amo the children.

अच्छी अथवा स्वच्छ (Cleanly) आदतें हैं जो कि बच्चे की शिक्ष क्रिया को अधिक सुगमता एवं तीव्रता प्रदान करने के लिये मार्ग प्रशस्त करें ये स्वास्थ्य शिक्षा की प्राथमिक, तत्कालीन एवं आधारभूत उपलब्धियाँ हैं। सम्पू स्वास्थ्य-कार्यक्रम (Health programme) की सफलता इन्हीं पर आधारि है। इनके निर्माण में अध्यापक निम्न कार्यों में आवश्यक क्रियाशील भाग लेक महान् योगदान कर सकता है।

१—शारीरिक स्वच्छता (Physical clearliness)

२—घूमने की आदत (Walking habit)

३—खेलने की आदत (Habit to play)

४—समय पर वांछित ढंग से उपयुक्त भोजन करना (Proper mea in time with desirable way).

५—अच्छी सामाजिक आदतें (Good social habits)

६—व्यायाम की आदत (Habits for the regular physical exercises)

७—समय पर अनुकूल कार्य करना (Proper work at the proper time)

८—समुचित आराम (Sufficient Rest)

अध्यापक निम्नलिखित से उपरोक्त लक्ष्यों की पूर्ति में रचनात्मक कदम उठा सकता है।

(अ) नित्य-निरीक्षण (Daily Supervison) :—अध्यापक नित्य विद्यार्थी की शारीरिक स्वच्छता का निरीक्षण करें। इसमें कपड़ों (Clothes), बालों (Hairs), नाखूनों (Nails), नाक (Nose), कान (Ear), दाँत (Teeths), आँख (Eyes), त्वचा (Skin)—हाथ पैर, की स्वच्छता के निरीक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। स्वच्छता से न रहने वाले छात्रों के लिए सुधारात्मक सामाजिक दण्ड (Reformatory social punishment) की व्यवस्था विद्यालय प्रशासन से होनी चाहिए।

(ब) विशेषज्ञ द्वारा सामयिक निरीक्षण (Periodic inspection by the specialist —विद्यालय में समय-समय पर नाक, कान, दाँत, आँख आदि

सम्बन्धी विशेषज्ञ द्वारा परीक्षण (Examination) की व्यवस्था होनी चाहिये। यह सब कार्य अध्यापक के पहल करने (Initiation) पर निर्भर करता है।

(स) स्वास्थ्य निर्देशन (Health Instructions)—अध्यापक विद्यालय के दैनिक-कार्यक्रम (Daily ruotine) में स्वास्थ्य निर्देशन (Instructions) को अधिक से अधिक उपयोगी बनाने के प्रयासों के साथ-साथ कक्षा मे जब कभी भी सम्भव और आवश्यक हो सह-सम्बन्ध के सिद्धान्त (Principle of correlation) समान्वित होकर बच्चों मे स्वच्छ आदतो के निर्माण के विषय में आवश्यक शिक्षायें दे सकता है।

(द) आदर्श के रूप में (Teacher as an ideal) :— विद्यार्थियो पर कोरे सिद्धान्तों की शिक्षा का कोई प्रभाव नही पड़ता। वह जिन आदर्शों तथा मूल्यों (Value) का प्रवचन विद्यार्थियों को देता है, उनका पहले स्वयं पालन करे। अध्यापक को कभी पान, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, सुरा आदि नशीली और उत्तेजक पदार्थों का सेवन कदापि नही करना चाहिए। इस दिशा मे छात्रों का मार्गदर्शन सिद्धान्त और व्यवहार दोनों ही रूपों में होना चाहिए।

(य) माता-पिता अभिभावकों एवं गृह से सम्पर्क (Contact with Parents, guardians and home) :— अच्छी आदतो के निर्माण के लिये अध्यापक को माता-पिता, अभिभावक पर और घर का सहयोग अवश्यमेव प्राप्त करना चाहिए। इसके लिये समय-समय पर विद्यार्थियों के पारिवारिक सदस्यों से अध्यापक को व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहिये। साथ ही विद्यार्थी के घर को विद्यालय के कार्यक्रमों से हमेशा सूचित (Well informed) रखना चाहिए।

(फ) सार्वजनिक निर्देशन-व्यवस्था (Public health Instruction's)—अध्यापकों को इस दिशा मे पहल करनी चाहिए कि माता-पिता और अभिभावक जिनके सम्पर्क मे बच्चे अधिक रहते हैं, उनके लिये भोजन, पोषण आदि क्षेत्रों में विद्यालय के द्वारा निर्देशनों की व्यवस्था की जानी चाहिये। हमारे देश म माता-पिताओं की अज्ञानता तथा अशिक्षितता के कारण स्वास्थ्य की समस्यायें अधिक जटिल हैं। इस दिशा में सफलता प्राप्त करने के लिये इस प्रकार के आयोजन अत्यन्त आवश्यक हैं।

प्रश्न—१०

What is the effect of 'fatigue' on the learning efficiency of a child ? How would you detect fatigue in a class room while you are teaching it ? What steps should be taken to eliminate (a) mental fatigue (b) Phsiycal fatigue ?

बच्चों के सीखने की क्षमता पर 'थकान' का क्या प्रभाव पड़ता है ? कक्षा

(क) मानसिक थकान, (ख) शारीरिक थकान को दूर करने के लिये क्या कद उठायेंगे ?

[सन् 1963 प्र० नं० 7

OR

How does fatigue affect learning ? How should the programme of games be organised that children do not feel fatigued ?

थकावट का पढ़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है ? खेल के कार्यक्रम को कैसे चलाया जावे कि बच्चों में थकावट न हो ?

[सन् 1967 प्र० न० 7 C]

OR

How is fatigue caused ? How can it be reduced in the case of school work of students.

थकान के क्या कारण हैं ? विद्यालय छात्रों के कार्यक्रम में इसको किस प्रकार कम किया जा सकता है ।

[सन् 1965 प्र० नं०7]

उत्तर

थकान का सीखने की क्षमता पर प्रभाव

Effect of Fatigue on Learning Efficiency

सीखने की प्रक्रिया (Learning activity) में थकान का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है । इससे इसकी प्रगति में अवरोध (Rsistance) उत्पन्न हो जाता है । यह मनोवैज्ञानिक खोजों (Researches) एवं शैक्षिक अध्ययनों (Educational studies) से स्पष्ट हो गया है कि किसी विषय-वस्तु की ओर विद्यार्थी का ध्यान न होने का कारण रुचि का अभाव (Lack of interest) ही नहीं अपितु थकान भी है । इसके प्रभाव में व्यक्ति को अपने शारीरिक एवं मानसिक सन्तुलन पर नियन्त्रण नहीं रहता । इससे उसके शारीरिक तन्तुओं की क्रियाशीलता मन्द पड़ जाती है मस्तिष्क भी कार्य करने में असमर्थ हो जाता है ।

'शिक्षा-मनोविज्ञान' में इस क्षेत्र मे जो भी अनुसन्धान हो रहे हैं उन्हें सीखने के एकत्रित (Massed) और बिखरे (Spaced) 'अभ्यास' (Practice) के अन्तर्गत पढ़ते हैं । सामान्य रूप मे (In general) इन अध्ययनों के परिणाम निम्न प्रकार से हैं ;

१. एक साथ अभ्यास करने वालों की अपेक्षा आराम लेकर कार्य करने वाले हमेशा सीखने की क्षमता में अधिक प्रभावशाली रहते हैं ।

२. सीखने की क्षमता कार्य करने की अवधि पर निर्भर करती है । किशोरों की कार्य-क्षमता ३०–३५ मिनट की अवधि उच्चतम रही है ।

३. सीखने की क्षमता पर आराम-काल (Rest period) का प्रभाव भी स्पष्ट है।

४. कभी-कभी कार्य-परिवर्तन भी आराम का काम करता है।

कक्षा में थकान के लक्षण

Characteristics of Fatigue in the Class-room

१. विद्यार्थी द्वारा जम्हाई लेना।
२. विद्यार्थियों पर सुस्ती एवं नींद का प्रभाव।
३. अनुचित आसनों का प्रयोग।
४. चिड़चिड़ापन
५. विषय की ओर ध्यान न होना।
६. अन्य कार्यों की ओर मन लगाना।
७. निर्णय न ले सकना।
८. दूसरों के प्रति अलगाव का व्यवहार।
९. व्यवहार-समस्याओं का विकास।
१०. हतोत्साहित एवं श्रान्तिहीनता का अनुभव करना।

(a) शारीरिक थकान के उपचार

(i) शारीरिक आराम (Bodily at rest)
(ii) संगीत, नृत्य, चलचित्र आदि मनोरञ्जन के साधनों की रसानुभूति
(iii) सोने की अवधि बढ़ाना
(iv) खुले हवादार मैदान, वाटिका एवं कमरे में शान्ति से आराम करना
(v) यदि आवश्यकता पड़े तो विशेषज्ञ के सुझाव पर औषधियाँ लेना
(vi) उपयुक्त भोजन की व्यवस्था।

(b) मानसिक थकान का उपचार

(अ) व्यायाम की व्यवस्था।
(ब) कार्य-परिवर्तन।
(स) विश्राम-काल का प्रावधान।
(द) शारीरिक श्रम में ध्यान लगाना।
(य) सोना (Sleep)
(क) औषधियों का सेवन (डाक्टर की राय के अनुसार ही)।
(ख) उपयुक्त मस्त-दिमागीय भोजन की व्यवस्था।

'खेल व्यवस्था' 'शारीरिक शिक्षा' में देखें।

थकान के कारण

Causes of Faitigue

थकान शारीरिक और मानसिक दर्द (Pain) की संवेदनात्मक (Sensitional) अभिव्यक्ति है। यह शरीर तथा मस्तिष्क के तन्तुओं पर विषैले पदार्थों के प्रभाव की उत्पत्ति है। ये पदार्थ निम्नलिखित क्रियाओं में उत्पन्न होते हैं।

१. पाचन क्रिया में उप-फलक (Biproduct) के रूप में।

२. पाचन संस्थान (Digestive system) अथवा श्वसन संस्थान (Respiratary system) द्वारा विषैले पदार्थ को शरीर के आन्तरिक अंग में भेजना।

३. सामान्य (General) एव स्थानीय (Local) संक्रमण (Infection) उत्पन्न घातक पदार्थ।

इन विषैले पदार्थों को रक्त शरीर के अंग-प्रत्यंग में पहुँचा देता है। थकान के प्रत्यक्ष कारणो मे निम्नलिखित प्रमुख हैं।

१. सामान्य अस्वस्थता (General ill health)।

२. तपेदिक (Tuberclosis), मधुमेह (Diabetes), हृदय रोग (Heart diseases) इत्यादि गम्भीर रोग।

३. धूम्रपान, तम्बाकू, सुपारी आदि का सेवन।

४. मदिरा आदि उत्तेजनात्मक पदार्थों का सेवन।

५. अपूर्ण एव अनुपयुक्त भोजन।

६. चक्षुदाब (Eyestrains), मल अवरोधन (Constipation), अपच (Indigestion), अनुचित आसन (Bad postures)।

७. अन्तंग्रन्थियों (Internal glands) के स्राव (Secretion) में अवरोधन (Resistance)।

८. नाड़ी संस्थान (Nervous-system) का अस्थायित्व।

९. संवेगात्मक दबाव (Emotional pressrue)।

अध्याय १०

प्राथमिक सहायता

First Aid

प्रश्न—१८

What are the common school accidents ? Describe any two in detail. State how would you render proper first aid ?

विद्यालय के सामान्य जीवन की दुर्घटनायें क्या हैं ? किन्हीं दो का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत कीजिए। इनमें आप क्या समुचित प्राथमिक सहायता कर सकते हैं ?

[आगरा बी० टी० १९६२]

OR

What First-aid would you render in the following cases:—

(a) Fainting. (b) Bleeding, (c) Facture of thigh bone or dislocation of elbow joint and (d) Snake bite ?

निम्नलिखित मे आप किस प्रकार की प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था करेंगे—

(क) अचेतना (बेहोशी), (ख) रक्त स्राव (ग) जांघ की हड्डी का टूटना अथवा कुहनी की हड्डी का खिसकना (घ) सर्प दंश ?

[इलाहाबाद १९५५]

उत्तर

विद्यालय शिक्षा का औपचारिक साधन (Formal Agency) है। विद्यालय ही एक मात्र साधन है जिसके द्वारा बालक का सर्वाङ्गीण विकास (All round development) सम्भव है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसे बुरी घटनाओं के फलस्वरूप दुःख का अनुभव न होना हो। कई परिस्थितियों मे मानव जीवन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। चलते-फिरते, उठते-बैठते आदि अवसरो पर साधारण-तया दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। सामान्य जीवन के अतिरिक्त विद्यालयी जीवन मे छात्र दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं। अब हमे यह देखना है कि शाला में किन-किन अवसरों पर छात्र दुर्घटनाग्रस्त होते हैं।

(अ) खेलते समय :—विद्यालयी जीवन मे खेलकूद का भी शैक्षिक विषय से कम महत्व नहीं। खेल के मैदान में अनेकों दुर्घटनाएँ हो जाया करती हैं ... लगना, हड्डी टूटना, घाव हो जाना, हड्डी उतरना, (Dislocation), ... जाना आदि।

(ब) पढ़ते समय—कक्षा कक्ष का अस्वास्थ्यकर वातावरण भी सामान्यतः दुर्घटनाग्रस्त कर देता है। कमरे का अनुचित क्षेत्रफल, प्रकाश व वायु के आवागमन के उचित साधनों का अभाव आदि परिस्थितियाँ भी छात्रों को दुर्घटनाग्रस्त बनाती हैं। इन परिस्थितियों में दम घुटना (Asphyxia) व अचेतनता (Unconciousness) का आ जाना स्वाभाविक है।

(स) प्रयोगशालायें :—विज्ञान के छात्रों के लिए प्रत्येक विद्यालयों में प्रयोगशालाएं होती हैं। छात्र उनमें जाकर अपने प्रयोग करता है तथा निष्कर्ष पर पहुँचता है। इन प्रयोगशालाओं में कई विषैले पदार्थ (Poisons), एसिड (Acid) एवं अन्य कई प्रकार की गैसें आदि बालकों को दुर्घटनाग्रस्त बनाती हैं।

(द) अन्य अवस्था :—विद्यालय की चहारदीवारी में छात्रों के दुर्घटनाग्रस्त होने के अन्य भी कारण हैं। यदि बालक किसी मानसिक अथवा शारीरिक रोग से ग्रस्त है तो इन अवस्थाओं में अचानक दुर्घटना हो जाती है। जैसे मृगी (Epilepsy) रोगोपरान्त कमजोरी (Weakness) आदि। कभी-कभी विषैले कीड़े-मकोड़े के काटे जाने पर भी बालक दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं।

अब हम यह देखेंगे कि विद्यालय में यदि निम्न दुर्घटनायें हो जावें तो हम क्या करेंगे :

(क) अचेतनता (ख) [illegible] (ग) जांघ की हड्डी का टूटना अथवा कूल्हे की हड्डी का खिसकना (घ) सर्प-दंश।

अचेतनता या बेहोशी (Fainting)

(१) अचेतनता के कारण :

मस्तिष्क में चोट आने, दबाव पहुँचने अथवा किसी रक्तवाहिनी के फट जाने से मूर्छा आ जाती है। कभी कभी अधिक गर्मी, भय, विष, मृगी, हिस्टीरिया आदि के कारण भी शरीर मूर्छित हो जाता है। हृदय पर किसी चोट अथवा सदमा पहुँचने से भी मूर्छा आ जाती है।

(२) अचेतनता के लक्षण :

मूर्छावस्था या अचेतनता में मस्तिष्क अपना कार्य करना बंद कर देता है। इससे सुनने, सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है। हाथ-पैर ढीले पड़ जाते हैं। [illegible] की गति भी मन्द हो जाती है। हृदय तथा नाड़ी भी बहुत [illegible] [illegible]

अब तुरन्त डाक्टर को बुलाना चाहिए। डाक्टर के आने [illegible] है कि रोगी की अवस्था अधिक खराब न हो।

मूर्च्छावस्था के समय यदि बालक का शरीर ठण्डा मालूम हो तो गर्म कपड़ों व कम्बलों में शरीर को लपेट देना चाहिए। यदि श्वांस की गति मन्द अथवा अवरुद्ध हो जावे तो रोगी को कृत्रिम विधि (Artificial Method) से सांस दिलानी चाहिए। यदि चोट लगने के कारण कहीं से रक्त-स्राव हो रहा हो तो पूर्व उसे रोकना चाहिए। घाव स्पर्श करने से पूर्व हमें यह भी देखना है कि रक्त स्राव हड्डी टूटने के कारण हो रहा है अथवा साधारण घाव है। इसके पश्चात् रोगी को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जिससे कि वह स्वच्छ एवं शुद्ध वायु ग्रहण कर सके। रोगी को आराम की अवस्था में लिटाकर पखे से हवा कर देनी चाहिए। रोगी के आस-पास भीड़ इकट्ठी नहीं होने देना चाहिए। उसके वस्त्रों को तुरन्त ढीले कर देना चाहिए तथा रोगी को एकाकी अवस्था में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। रोगी के मुँह व सिर पर शीतल जल के छींटे देना उपयोगी होता है। मूर्च्छावस्था मे रोगी को पानी पिलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए तथा अचेतनता दूर होने पर गर्म दूध चाय या कहवा पिलाना चाहिए। यदि रक्त-स्राव किसी आन्तरिक अग से हो रहा हो तो इस अवस्था में गर्म दूध, चाय व कहवा नहीं देना चाहिए।

(ख) रक्त-स्राव (Bleeding)

रक्त-स्राव

एक साधारण व्यक्ति के शरीर मे ५ से ७ कि. के लगभग रक्त की मात्रा रहती है। हड्डी के टूट जाने अथवा घाव हो जाने पर रक्त-स्राव को अविलम्ब रोकना चाहिए।

रक्त-स्राव से क्या होता है ?

१. रक्त की कमी से रक्त-चाप (Blood pressure) कम हो जाता है।

२. मस्तिष्क में रक्त न पहुँचने से व्यक्ति को धुँधला दिखाई देता है।

३. सिर मे चक्कर आते हैं, बेहोशी आ जाती है तथा कभी-कभी मृत्यु भी हो जाती है। बालक रक्त-स्राव की पीड़ा को सहन नहीं कर सकता है किन्तु प्रौढ़ में ऐसी क्षमता होती है।

रक्त स्राव के समय सावधानियाँ :

१. रक्त-स्राव के समय रोगी की उचित सुश्रूषा की जानी चाहिये।

२. रोगी को लिटाना चाहिये ताकि मस्तिष्क मे रक्त प्रवाह हो सके।

३. जिस अग से रक्त-स्राव हो रहा हो, उस अग को ऊपर कर देना चाहिए, क्योंकि उस भाग के लटकने पर पृथ्वी के आकर्षण से रक्त-स्राव अधिक होने लगता है।

४. इसके बाद ही रक्त-स्राव को रोकना चाहिए।

शरीर में तीन प्रकार की रक्त-नलिकाएँ होती है—धमनी, शिरा तथा केशिकाएँ। इनमें से किसी के भी कट जाने पर रक्त-स्राव होने लगता है। अतः रक्त-स्राव भी तीन प्रकार का होता है।

१. धमनीय-स्राव २. शिरायी-स्राव ३. केशिका-स्राव।

१. धमनीय-स्राव :

धमनियों से होने वाले स्राव को हम धमनीय-स्राव कहते हैं। धमनीय-स्राव में रक्त चमकदार तथा हृदय की गति के साथ साथ झटके खाकर फव्वारे के रूप में निकलता है। यह देखने में ऐसा लगता है मानों हृदय की ओर वाले सिरे से निकल रहा है।

२. शिरायी-स्राव :

इसमें रक्त बैंजनी रंग का होता है तथा समान गति से बहता है।

३. केशिका स्राव

इसमें रक्त लाल चमकदार होता है तथा धीरे-धीरे बहता है।

विभिन्न अवस्थाओं में रक्त-स्राव को रोकने के उपाय :

(अ) भीतरी अङ्गों का स्राव :

१. भीतरी अङ्गों से रक्त-स्राव होने पर रोगी को शीघ्रातिशीघ्र अस्पताल पहुँचाना चाहिए किन्तु रास्ते में किसी प्रकार का झटका या धक्का न लगे।

२. रक्त-स्राव के स्थान का ज्ञान हो जाने पर उस स्थान पर बर्फ की थैली या ठण्डा पानी रखना चाहिए।

३. रोगी को कुछ न खिलाया-पिलाया जावे। फुफ्फुसीय रक्त-स्राव में बरफ चूसने को देना चाहिए।

(ब) नाक से रक्त-स्राव :

१. रोगी को सीधा बैठाकर सिर के पीछे की ओर लटका दो। यदि बैठ न सके तो सीधा लिटाकर उसकी गर्दन पीछे लटकती रखें।

२. गर्दन के पास के बटनादि खोल दिये जाने चाहिए तथा नाक व सिर पर ठण्डा पानी डालना चाहिए अथवा बर्फ के टुकड़े रखने चाहिए।

३. रोगी को मुँह से साँस दिलानी चाहिए।

(स) बाहरी रक्त-स्राव :

१. रक्त अधिक बहने पर घाव के ऊपर उबलते पानी में कपड़ा भिगोकर घाव को दबाने के काम में लीजिए।

२. घाव को दोनों अंगूठों से दबाइये, यदि फिर भी रक्त-स्राव न रुके तो ठीक से जानकारी प्राप्त कर धमनी अथवा शिरा पर कपड़े की पट्टी से बंद लगा दो।

३. रक्त को जमाने वाले पदार्थ रोगी को देने चाहिए। जैसे फिटकरी पानी में घोलकर रोगी को पिलाना चाहिए।

४. पट्टी की बन्द को धीरे-धीरे ढीले करते रहना चाहिए ।

५. डाक्टर का इलाज कराना चाहिए ।

(ग) जांघ की हड्डी टूटना अथवा कुहनी की हड्डी निकलना

हड्डी की टूट व हड्डी का निकलना क्या है ?

हड्डी की टूट में हड्डी बीच में से टूटकर अलग हो जाती है तथा इसकी पहचान व उपचार भी कठिन है । जब जोड़ों पर से हड्डी के सिरे अपनी जगह से हट जाते हैं तो हम उसे हड्डी का निकलना (Dislocation) कहते हैं । हड्डी की उतरन व टूट में अन्तर ज्ञात करना कठिन-सा होता है अतः योग्य चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए ।

हड्डी टूटने के कारण

(अ) किसी लाठी की चोट, गोली की मार अथवा शरीर का कोई भाग दब जाने पर हड्डी टूट जाती है ।

(आ) कभी कभी जोर पड़ने पर भी हड्डी टूट जाती है ।

(इ) ऊपर से गिरने, दुर्घटना होने की स्थिति में भी हड्डी टूट जाती है ।

जांघ की हड्डी टूटना व उपाय

जांघ की हड्डी टूटने पर अस्थि भग के सभी लक्षण दिखाई देते हैं । जिस टांग की हड्डी टूटती है वह टांग कुछ बाहर की ओर मुड़ जाती है तथा दूसरी टांग से कुछ छोटी दिखाई देती है ।

उपचार—

टखने व टांग को पकड़कर सीधा करो तथा धीरे धीरे स्वस्थ टांग को बीच में करते हुए दोनों टखने व पैरों के चारों ओर 8 के आकार की पट्टी बांधो । कुल सात स्थानों पर पट्टियां बांधी जाती हैं—(१) छाती पर (२) पेडू पर (३) दोनों टखनों पर (४) चोट के ऊपर नीचे (५) दोनों जांघों पर (६) दोनों टांगों पर (७) दोनों घुटनों पर । इसके पश्चात् डाक्टर के पास पहुंचाना चाहिए ।

नोट—उपरोक्तों से हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि हड्डी के उतरने पर योग्य चिकित्सक से चिकित्सा करानी चाहिए । प्राथमिक सहायता का भी इतना ही कर्तव्य है कि वह उस अंग को आराम देने का प्रयत्न करे ।

(घ) सर्प-दंश

सांप के द्वारा काटा जाना ही सर्प-दंश कहलाता है । [illegible] के [illegible] [illegible] मरने वाले हुए व्यक्तियों की [illegible] अधिक है । यदि सर्प [illegible] [illegible] है [illegible] इसके विष-दांतों को [illegible] [illegible] है । [illegible] की हालत है तथा इसके बाद [illegible] [illegible] है ।

लक्षण—

१. काटे हुए स्थान पर चुभता दर्द होता है जो धीरे-धीरे बढ़ता है।

२. बेहोशी व नींद आती है तथा शरीर अशक्त हो जाता है।

३. धीरे-धीरे स्वांस व नाड़ी की गति भी धीमी हो जाती है।

४. करैत साँप के काटने पर मुँह व मल द्वार से रक्त भी आता है।

उपचार—

१. घाव के पास बंद लगा देना चाहिए तथा आवश्यकतानुसार इसको ढीला भी करते रहना चाहिए ताकि रक्त-स्राव में बाधा न हो।

२. काटे हुए स्थान को खाल को तेज धार वाले शस्त्र से काट देना चाहिए तथा लाल दवा के घोल से घाव को धोना चाहिए।

३. डाक्टर को बुलाकर उसकी चिकित्सा करानी चाहिए।

प्रश्न—१६

What first-aid would you render to a person who, on accot of an accident, is profusely bleeding in the left hard and t right arm ?

किसी दुर्घटना में एक व्यक्ति के बायें हाथ दायीं भुजा से तेज रक्त प्रवाह । रहा है, आप क्या प्राथमिक सहायता देंगे ?

[राज० १९६५ प्र० नं० १० (b)

उत्तर

किसी भी दुर्घटना के होने पर प्राथमिक चिकित्सक का कर्तव्य है कि लक्षण द्वारा उचित ज्ञान प्राप्त करलें। जब वह पूर्ण जानकारी प्राप्त करलें तब उपचार चिकित्सा करनी चाहिए। सर्व प्रथम हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि दायें व बायें हाथ से रक्त स्राव के क्या कारण हैं ? हाथ से रक्त-स्राव होने से हड्डी टूटना, गोली का लगना, किसी तेज धार वाले शस्त्र से कट जाना आदि कारण निहित होते हैं।

तात्कालिक कारणों का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर अब ये देखना है कि रक्तस्राव धमनी का शिरा या केशिका में से किस प्रकार का है ?

उपचार—

१. रोगी के दोनों हाथों पर पट्टी का बंध लगा देवें किन्तु इस प्रकार जिससे कि रक्त-संचार भी सम्पूर्ण शरीर में चलती गति से होता रहे।

२. दोनों हाथों के दबाव बिन्दुओं (Pressure points) को अंगूठे से दबावें।

३. यदि रक्त-स्राव अधिक वेग से हो रहा है तो कम्बल के टुकड़ों को गर्म पानी में भिगोकर घाव वाले स्थान को सेकेंगे, ध्यान रहे पानी खूब गर्म हो।

४. बर्फ की थैली या ठण्डा पानी भी प्रयोग में लाया जा सकता है। थैली को घाव पर रखते हैं।

५. रोगी को चूसने के लिए बर्फ के टुकड़े देने चाहिए।

६. यदि फिर भी रक्त-स्राव निरन्तर रहे तो रोगी को फिटकरी पानी में घोल कर पिलानी चाहिए ताकि रक्त का जमाव हो सके।

६ अविलम्ब योग्य चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सक को ध्यान रहे कि इस अवस्था में उसके दोनों हाथों को पूर्ण विश्राम मिलता रहे, किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देना चाहिए।

प्रश्न—२०

What equipment and organization would you have in your school to pr. vide first-aid in case of usual accidents to children.

बच्चों में होने वाली सामान्य दुर्घटनाओं के लिये आप विद्यालय में किस साज-सामान एवं कैसे प्राथमिक-सेवा संगठन को पसन्द करेंगे?

[इलाहबाद वि० वि० १६५१]

OR

What materials would you keep in your school for givig first-aid in minor accidents ?

छोटी-छोटी दुर्घटनाओं के अवसर पर प्राथमिक-चिकित्सा सेवा के लिए आप किस-किस सामग्री को विद्यालय में तैयार रखेंगे? [एल० टी० १६५४]

उत्तर—

विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य संगठनों का महत्व भी कम नहीं है। यह एक प्रकार का संगठन है जो कि विद्यालय के छात्रों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखता है तथा छात्र की आवश्यकतानुसार उसे स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। विद्यालयी स्वास्थ्य संगठन में कई समितियों के अपने कर्तव्य होते है।

प्राथमिक सेवा संगठन

विद्यालयी प्राथमिक सेवा सगठन वह समिति है जो कि विद्यालय में होने वाले दुर्घटना ग्रस्त छात्र-छात्राओं को अपनी प्रारम्भिक सेवाएं देती है तथा डाक्टर के आने तक या रोगी को अस्पताल तक पहुँचाने के बीच में आवश्यक सेवाएं करती है। प्रत्येक विद्यालयों में इस प्रकार के सगठन बड़े उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। केन्द्रीय व राज्य सरकारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि विद्यालय बालक का समुचित विकास कर सके।

प्राथमिक सेवा संगठन का निर्माण

प्रत्येक विद्यालय में जो भी प्राथमिक सेवा संगठन होंगे, वे इस ~ निर्मित होंगे।

भारतीय शिक्षा
की
समस्याएँ
PROBLEMS
OF
INDIAN EDUCATION

अध्याय १

प्राथमिक शिक्षा

Primary Education

No. 1.

Describe briefly the historical development of Primary ...ucation in India.

भारत मे प्रायमिक शिक्षा के ऐतिहासिक विकास का संक्षिप्त वर्णन करो।

...swer.

भारत में प्राथमिक शिक्षा का इतिहास बहुत प्राचीन है। वैदिक काल से ही ...में प्राथमिक शिक्षा के दर्शन होते हैं। उस समय शिक्षा व्यवस्था अत्यन्त मनोवैज्ञानिक ... और बालक के सम्पूर्ण विकास को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान की जाती थी ...न्तु धीरे धीरे सामाजिक व्यवस्था के परिवर्तन के साथ-साथ शिक्षा का स्वरूप परि-...र्तित होता चला गया।

हमारे देश पर मुस्लिम राज्य का आधिपत्य हुआ और शिक्षा का उद्देश्य ...स्लिम धर्म का प्रसार हो गया। इसके पश्चात् मिशनरियों ने अपने धर्म का प्रचार ...रना प्रारम्भ कर दिया और उनका माध्यम भी शिक्षा ही बनी। तत्पश्चात ...रेज़ों का आगमन हुआ और हमारी संस्कृति पर इसका विशेष प्रभाव पड़ा। ...ग्रेज़ों का आगमन आर्थिक दृष्टि के कारण था अतः शैक्षिक प्रसार की ओर उन्होंने ...विशेष ध्यान नहीं दिया और कम्पनी काल में भी ईसाई धर्म का प्रचार होता रहा।

अंग्रेज़ों का १८१३ मे सर्वप्रथम शिक्षा प्रसार की ओर ध्यान गया और ...टी सी प्राथमिक शालाओं की स्थापना की गई। १८३५ मे विलियम एडम्स (William Adams) ने प्राथमिक शिक्षा पर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस ...तिवेदन मे महत्त्वपूर्ण कदम उठाने का प्रयास किया। सर्वप्रथम प्राथमिक शालाओं ...ा कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिए शिक्षा व्यवस्था बनाई गई। अध्यापकों ...े प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण शालाओं की स्थापना की सिफारिश की गई। परन्तु यह ...योजना केवल प्रतिवेदन तक ही सीमित रही और कार्यरूप में परिणित न हो सकी।

१८५४ ई० मे लार्ड मैकाले ने शिक्षा प्रसार हेतु नई नीति का निर्धारण ...किया और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी निश्चित किया गया। इस शिक्षा नीति ...से भारतीयों को कोई भी लाभ न हो सका क्योंकि शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी था।

लार्ड मैकाले के पश्चात् लार्ड डलहौजी ने शिक्षा प्रसार के लिए प्राथमिक शालाएं खुलवाईं, परन्तु इनकी संख्या पर्याप्त नहीं थी। जनसंख्या देखते हुए इन शालाओं की संख्या नहीं के बराबर थी। सत्यता यह है कि वे भारतीय शिक्षा के प्रसार के प्रति उदासीन थे और वे हृदय से कभी नहीं चाहते थे कि गुलाम भारतवासी शिक्षा प्राप्ति के योग्य बनें।

कम्पनी के साथ-साथ ईसाई मिशनरियों का भी शिक्षा प्रसार कार्य चल रहा था। जैसा कि ऊपर कह आये हैं कि मिशनरियों का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से धर्म प्रचार करना ही था।

१८५६ ई० में कम्पनी की सत्ता समाप्त हो गई और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया। प्राथमिक शिक्षा में कुछ प्रगति हुई और १८८२ तक भारत में ८२९१६ प्राथमिक शालाएं थीं। परन्तु यदि वास्तविकता के आधार पर देखा जाये तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि १८५७ से १८८२ तक के समस्त आंकड़े केवल मात्र प्रलोभन मात्र थे। सत्यता यह है कि १८८२ तक साक्षरता की प्रतिशत संख्या १·२ थी और इसी वर्ष इंगलैंड का प्रत्येक बालक अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क प्राप्त कर रहा था। इस तथ्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेजों का भारतीय शिक्षा के प्रति क्या दृष्टिकोण था।

१८८२–८३ में हन्टर कमीशन की नियुक्ति हुई। इस आयोग का मुख्य कार्य प्राथमिक शिक्षा को और अधिक व्यवस्थित बनाना था। इस आयोग ने अपने प्रतिवेदन में बताया कि प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा प्रसार होना चाहिए। यह वांछनीय है कि देश की वर्तमान परिस्थितियों में प्राथमिक शिक्षा को जनसाधारण के लिए बनाया जावे। इस शिक्षा का सुधार किया जावे एवं प्रसार किया जावे।[1]

हन्टर आयोग ने प्राथमिक शालाओं के अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था करने की सिफारिश भी की। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में धीरे-धीरे वृद्धि हुई और १९०२ तक प्राथमिक शाला के छात्रों की संख्या ९ लाख हो गई परन्तु गांवों में प्राथमिक शिक्षा नगण्य रही। १९०२ के पश्चात् इस क्षेत्र में काफी परिवर्तन हुआ। १९११ तक प्राथमिक शिक्षा की काफी प्रगति हुई।

१९१२ तक भारत में राष्ट्रीय चेतना काफी फैल चुकी थी। राजनैतिक चेतना के कारण प्राथमिक शाला के प्रसार में काफी प्रगति हुई। राजनैतिक

---

1. "It is desirable, in the present circumstances of the Country to declare the elementary education of the masses. It provision, extension and improvement should be the part of educational system."

—Indian Education Commission (111-13)

र्यकर्ताओं ने अंग्रेजी सरकार से शिक्षा सम्बन्धी माँग पूर्ण कराने के लिए आन्दोलन किये। इतिहास के पृष्ठों पर गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आज भी स्वर्ण अक्षरों में सुशोभित है, उन्होने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने के लिए भरसक प्रयत्न किये। गोखले ने सरकार के सम्मुख यह प्रस्ताव किया, "यह सभा सिफारिश करती है कि प्रारम्भ में प्राथमिक शिक्षा को सम्पूर्ण देश में निःशुल्क एवं अनिवार्य किया जाये, और सरकारी एव गैर सरकारी अधिकारियों का एक मिश्रित आयोग स्थापित किया जाये जो शीघ्रताशीघ्र निश्चित योजना प्रस्तुत करे।" यद्यपि गोखले सरकार से अपनी माँग मनवाने में असमर्थ रहे तथापि उन्होंने जन-जन में जागृति कर दी कि अग्रेज हमें शिक्षित नहीं होने देना चाहते। इससे दो लाभ हुए प्रथम राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई, द्वितीय सामान्य जनता में भी शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई। इसके पश्चात प्रथम महायुद्ध हुआ और प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा।

प्राथमिक शिक्षा के इतिहास में १९२१ से १९३७ का समय तीव्र प्रसार का समय था परन्तु इसी बीच अनेकों कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। हर्टाग समिति (Hartog Committee) की व्यवस्था की गई और उसे प्राथमिक शिक्षा की वास्तविक स्थिति तथा समस्या को स्पष्ट करने के लिए कहा गया। समिति ने अपव्यय और अवरोधन के आंकड़ों से यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि प्राथमिक शिक्षा में केवलमात्र छात्रों की सख्या में वृद्धि ही हुई है परन्तु इससे कोई गुणात्मक लाभ नहीं हुआ है अतः समिति की सिफारिश के अनुसार पहले अपव्यय और अवरोधन को रोका जाये तत्पश्चात प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया जाये। इन सिफारिशों का प्राथमिक शिक्षा की प्रगति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और अनिवार्य शिक्षा का विचार फिर खटाई में पड़ गया। यद्यपि किन्हीं राज्यों में, इस समय तक, अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान हो चुका था।

१९३७ के पश्चात् प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में शनैः शनैः प्रगति हुई। परन्तु यदि १९३७ से १९४७ के कार्यकाल को देखा जाये तो प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु इस काल में प्रशंसनीय कार्य हुआ। अनेको प्रान्तों में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य भी किया गया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई। प्रथम पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा पर पर्याप्त धन राशि रक्खी गई।

एशिया क्षेत्रीय सभा[1] में प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये :—

---

1. Regional Meeting of Members, Primary & Compulsory Education, December 1959—January 1960.

(१) सीखने के सिद्धान्तों पर आधारित मौलिक शिक्षा प्रदान करना।

(२) बालक का शारीररिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक, सौन्दर्यात्मक, नैतिक विकास कर सर्वांग विकास करना।

(३) बालक मे देश सांस्कृतिक एवं परम्पराओं के प्रति प्रेम जाग्रत कर आदर्श नागरिक बनाना।

(४) बालक में अन्तर्राष्ट्रीय चेतना का विकास कर विश्व भ्रातृत्व की भावना का विकास करना।

(५) बालकों मे श्रम की महत्ता विकसित करना।

(६) बालकों को क्रियात्मक अनुभव प्रदान कर, भावी जीवन के लिए तैयार करना।

उपरोक्त उद्देश्यों का निर्धारण प्राथमिक शिक्षा को वास्तविक रूप प्रदान करने के लिए किया गया जिससे बालको को आदर्श नागरिक बनाया जा सके।

भारत में अनिवार्य शिक्षा के प्रयास
Efforts for Compulsory Education in India

जैसा कि पहले कह चुके है कि पराधीन भारत में अनिवार्य शिक्षा के अनेकों प्रयास हुए और कुछ प्रान्तों में अनिवार्य शिक्षा के लिए अधिनियम पास भी हुए। सर्वप्रथम १८४० मे हमारे नेताओं ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा बनाने के लिए प्रयास आरम्भ किये। परन्तु इस ओर हमे कोई भी सफलता प्राप्त न हो सकी। १८८२ मे, राजनैतिक नेताओं ने अनिवार्य शिक्षा के लिए अपनी मांगें पुनः प्रस्तुत की और हन्टर आयोग के सम्मुख अनिवार्य शिक्षा को प्रारम्भ करने के लिए कहा। इगलैंड में १८७० में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम पास कर दिया गया था और वहाँ प्रत्येक बालक के लिए अनिवार्य शिक्षा योजना क्रियान्वित कर दी गई थी। इसी भावना से भारतीय नेताओं ने अनिवार्य शिक्षा के लिए मांग प्रस्तुत की परन्तु हन्टर आयोग ने इसे उपेक्षित दृष्टि से देखा और इस बिल को प्रस्तावित ही नहीं होने दिया। धीरे-धीरे परिस्थितियाँ बदलती गई। भारत के पुनः जागरण से भारतवासियों की चेतना जाग्रत हुई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय चेतना के लिए भरसक प्रयत्न करे। देश में राजनैतिक चेतना आई। पराधीन राष्ट्र ने जन-जागरण के लिए अनिवार्य शिक्षा को महत्व प्रदान किया और अनेकों बार असफल प्रयास किये। १९१२ में गोखले ने केन्द्रीय विधान सभा में अनिवार्य शिक्षा हेतु बिल प्रस्तुत किया। अंग्रेजी सभा ने उसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह जनताओं को शिक्षित करने में अपनी हानि समझती थी। इसके पश्चात् प्रथम विश्वयुद्ध हुआ जिसके कारण अंग्रेजी सभा ने

अनिवार्य शिक्षा के व्यय को वहन करने में असमर्थता प्रदर्शित की। बड़ौदा नरेश ने अपने राज्य में अनिवार्य शिक्षा हेतु प्रशंसनीय प्रयास किये कुछ स्थानों पर बालकों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी, परन्तु इससे सम्पूर्ण राष्ट्र की आवश्यकता की पूर्ति न हो सकी और अनिवार्य शिक्षा हेतु आन्दोलन जारी रहा। अंग्रेजी सत्ता इस मांग को ठुकराती रही और सदैव यह दलील देती रही कि प्रशासनिक तथा आर्थिक आधार पर अनिवार्य शिक्षा करना सम्भव नहीं है। अन्त में राष्ट्र स्वतन्त्र हुआ और अनिवार्य शिक्षा को वास्तविक रूप प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान की धारा ४५ में यह स्पष्ट किया गया कि संविधान लागू होने से दस वर्षों में चौदह वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी।[1] परन्तु यह प्रतिज्ञा केवल मात्र प्रतिज्ञा ही रही और इस दृष्टि में अभी तक असफल प्रयास ही रहे। कुछ राज्यों जैसे पंजाब, मध्यप्रदेश, आसाम, मैसूर, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश आदि ने अनिवार्य शिक्षा विधेयक पास किया। अन्य राज्यों में अभी तक प्रयास जारी है परन्तु अनिवार्य शिक्षा को लागू करने में असमर्थ रहे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सरकार ने इस ओर काफी ध्यान दिया और अनेकों प्रयास किये परन्तु आर्थिक अड़चनों के कारण तथा दो युद्धों (चीन एवं पाकिस्तान) के कारण हमें सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। जब तक हम सम्पूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य रूप नहीं देंगे तब तक हम शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पायेंगे। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाकर ही हम देश में समृद्धि और खुशहाली ला सकते हैं। अभी हमें अपनी अनपढ़ जनता को साक्षर बनाना है, साक्षरता के पश्चात् ही गुणात्मक शिक्षा के विषय में सोचा जा सकता है। गोखले के शब्दों में जनसाधारण की शिक्षा का मूल उद्देश्य निरक्षरता को भारत भूमि से समाप्त करना है, शिक्षा का गुणात्मक रूप भी महत्वशाली है परन्तु यह निरक्षरता को समाप्त करने के पश्चात् ही सम्भव है।[2]

Q. No. 2

What are the significant problems of Primary Education in India ?

---

1. "The state shall endeavour to provide free and Compulsory education for all children upto the age of fourteen years within ten years from the date on which the constitution comes into force."

Indian Constitution 1950, Article—45.

2. The primary purpose to mass education is to banish illiteracy from the land, the quality of education is a matter of importance that comes only after illiteracy has been ...

Gokhale's speech,

भारत में प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएँ कौन-कौन-सी हैं ?

OR

"The state should strive to provide free and Compulsory education for all children up to the age of fourteen years."

(Indian Constitution—Article 45)

What are the reasons that we have not achieved this target by now i. e. 1969. ?

What effctive and deliberate steps should be taken regarding equality in educational opportunity ?

"देश में संविधान लागू होने के दस वर्षों में चौदह वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा।"

(भारतीय संविधान, धारा ४५)

क्या कारण है कि अभी तक अर्थात् १९६८ तक हम इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सके हैं ? समानता के शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए हमें कौन-कौन से प्रभावशाली कदम उठाने चाहिए ?

Answer.

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्, संविधान निर्माताओं ने संविधान की धारा ४५ में स्पष्टतः यह लक्ष्य निर्धारित किया था कि संविधान लागू होने से दस वर्षों में चौदह वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी। इस लक्ष्य की प्राप्ति करने में असमर्थ रहे हैं।

शिक्षा आयोग[1] (१९६४–६६) ने इस लक्ष्य की प्राप्ति न होने के संदर्भ में कुछ कारणों पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि अनेकों कठिनाईयों के कारण जैसे वांछित स्रोतों की कमी, जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि, लड़कियों की शिक्षा के प्रति उपेक्षित रुख, पिछड़ी हुई जातियों के बच्चों की अत्यधिक संख्या, गरीबी और माता-पिता की निरक्षरता के कारण प्राथमिक शाला के विकास में तथा संवैधानिक नीति-निर्देशक तत्व द्वारा निर्धारित लक्ष्य पूर्ण करने में असमर्थ रहे हैं।'

---

1. But in view of the immense difficulties involved such as lack of adequate resources, tremendous increase in population, resistances to the educatian of girls, large numbers of Children of the backward classes, general poverty of the people and the illiteracy and apathy of parents, it was not possible to make adequate progress in primary education and the constitutional directive has remained unfulfilled."

'School Education : Problems of Expansions,' Report of the [illegible] Commission 1964-66, Ministry of Education, Govt. of [illegible] 1966, p. 151

इसमें कोई सन्देह नही कि इस लक्ष्य की प्राप्ति हमे शीघ्रतिशीघ्र करनी चाहिए। यदि हम साक्षरता चाहते है और देश को प्रगतिशील पथ पर चलाना चाहते हैं तो यह नितान्त आवश्यक है कि हम सविधान में लिखित धारा ४५ के लक्ष्य को शीघ्र पूर्ण करें। कोठारी आयोग[1] ने भी इस विचार के प्रति हमदर्दी प्रदर्शित करते हुए कहा है कि इस मांग के प्रति हमें पूर्ण सदभावना है और हमें विश्वास है कि निःशुल्क और सभी के लिए शिक्षा का प्रावधान सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक उद्देश्य है, केवल मात्र सामाजिक न्याय और प्रजातन्त्र के कारण ही नही, बल्कि औसत श्रमिक की क्षमता तथा राष्ट्रीय उत्पादकता की वृद्धि के लिए यह आवश्यक है।' इससे यह स्पष्ट होता है कि देश के हित के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि प्राथमिक शिक्षा के अवसर प्रत्येक बालक को प्रदान किये जायें। इसी मे राष्ट्र की उन्नति निहित है। इन समस्त तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य रूप प्रदान करने के क्षेत्र में अनेकों समस्याएं सम्मुख आई और कुछ समस्याएं अब भी अपने विराट रूप में प्रस्तुत हैं।

प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं
Problems of Primary Education

(१) शैक्षिक सुविधाओं में असमानता
Inequality of Educational Opportunities

चतुर्थ राष्ट्रीय गोष्ठी (१९६४), पुरी[2] ने अनिवार्य शिक्षा के प्रसार पर विचार किया। गोष्ठी के सदस्यों का मत था कि शैक्षिक सुविधा की असमानता के कारण प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य रूप प्रदान नहीं किया जा सका है। कुछ राज्यों में तो इस क्षेत्र मे इतनी कम प्रगति हुई है कि वह राष्ट्रीय लक्ष्यों को देखते हुए बहुत ही कम है। जिन राज्यों में अनिवार्य शिक्षा के लिए अनेकों वर्षों से प्रयास हो रहे हैं वहां बालिकाओं की संख्या में काफी कमी है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे देश मे शैक्षिक सुविधाओं में समानता नहीं है। मुख्य रूप से हम इन कारणों को निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं :—

---

1. 'We are in sympathy with this demand and we believe that the provision of free and universal education for every child is an educational objective of the highest pri.rity, not only on grounds of social justice and democracy, but also for raising the competence of the average worker and for increasing national productivity.'

Education Commission 1964-66, ibid., p. 151

2. The Fourth National Seminar on Compulsory Primary E-tion, 1964.

* आर्थिक सुविधाओं में असमानता

Inequality in Economic Opportunities

हमारे देश में सभी राज्यों के अन्तर्गत आर्थिक सुविधा समान नहीं है। कुछ राज्य आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न हैं, जबकि कुछ राज्य आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ राज्यों में शिक्षा सम्बन्धी योजनाएँ भिन्न हैं।

** मनोवैज्ञानिक कारण

Psychological Causes

हमारे देश में अब भी इस प्रकार की जातियाँ हैं जो अपने लड़के लड़कियों को स्कूल भेजना नहीं चाहते। कहीं पर परदा प्रथा इतनी अधिक है कि लड़कियों को घर के बाहर निकलने भी नहीं दिया जाता। कुछ आदिवासियों की परम्पराएँ बिल्कुल पृथक हैं और वे अपने लड़कों को नि:शुल्क शिक्षा भी दिलवाना नहीं चाहते। इस क्षेत्र में यदि मनोवैज्ञानिक अध्ययन किये जायें तो इस सम्बन्ध में और भी तथ्य प्राप्त हो सकते हैं।

*** सामाजिक विघटन

Socially Disintegration

अनिवार्य शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का विघटन हो चुका है। आज हमारा समाज अनेकों वर्गों में विभाजित है जैसे पिछड़ी हुई जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ, निम्नवर्ग उच्चवर्ग आदि।

उपरोक्त सभी समस्याओं के हल की आवश्यकता है। यदि हम अनिवार्य शिक्षा बनाना चाहते हैं तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि उपरोक्त असमानताओं को समाप्त किया जाये। जिन राज्यों की आर्थिक दशा ठीक नहीं है और जो शिक्षा पर अधिक व्यय करने मे असमर्थ हैं, वहाँ केन्द्रीय सरकार अधिक से अधिक सहायता प्रदान करे जिससे सम्पूर्ण भारत के नागरिक किसी राज्य विशेष की आर्थिक कठिनाई के कारण इस अधिकार से वंचित न रह सकें। जिन जातियों अथवा सामाजिक व्यवस्थाओं मे लड़कियों को शिक्षा को ठीक नहीं समझा जाता, वहाँ उन्हें वस्तु स्थिति की वास्तविकता से परिचित कराना नितान्त आवश्यक है। इसका हल थोड़े समय में नहीं होगा परन्तु परिवर्तित सामाजिक व्यवस्था तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रयत्न इस क्षेत्र मे शनैः शनैः प्रगति प्राप्त कर सकते हैं।

(२) प्रशासकीय समस्याएँ

Administrative Problems

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों प्रशासकीय समस्याएँ हैं। सर्वप्रथम निरीक्षकों की संख्या तो कम है और शालाओं की संख्या अधिक है। यदि ईमान-

दारी के साथ निरीक्षण किया जाये तो पूरे महीने दौरे करने पर भी उपनिरीक्षक सभी स्कूलों का निरीक्षण नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त जहाँ पर प्राथमिक शिक्षा पंचायत समितियों के आधीन है वहाँ तो स्थिति और भी गम्भीर है। स्कूल सरपंचों तथा पंचों के आधीन होने से राजनैतिक दावपेचों का अखाडा मात्र बन कर रह गये हैं। गाँवों में अध्यापकों को सरपंचों का दास बनकर रहना पड़ता है—यदि अध्यापक आज्ञा का उल्लंघन करता है तो उसे प्रशासनिक यातनाएँ सहन करनी पड़ती हैं। हमारे कहने का अर्थ यह नही कि सभी स्थानो पर इस प्रकार होता होगा परन्तु इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि प्राथमिक शाला को पंचायत समिति में देने के स्थान पर यदि जिला निरीक्षक कार्यालय के अधीन रक्खा जावे तो वह अधिक उपादेय हो। इसके अतिरिक्त इससे सबसे बड़ा लाभ यह भी है कि शिक्षा से सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा किया गया प्रशासन अन्य की अपेक्षा सन्तोषप्रद ही रहेगा। इस क्षेत्र मे यदि अनुसन्धान किया जावे तो और भी वस्तुनिष्ठ फलो की प्राप्ति हो सकती है तथा अन्य प्रशासकीय समस्याओं तथा उनके निराकरण के सम्बन्ध मे स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

इस समय सम्पूर्ण भारत में प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन मुख्यत. तीन प्रकार है। तालिका १.१ मे प्राथमिक शिक्षा प्रशासन की रूपरेखा स्पष्ट की गई है।

तालिक १·१

१	२	३
जम्मू काश्मीर मैसूर	केरल पश्चिमी बंगाल आसाम मध्य-प्रदेश बिहार	उत्तर प्रदेश राजस्थान आंध्र प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र मद्रास उड़ीसा

न० १ मे वे राज्य हैं जहाँ पंचायत राज को लागू नही किया है।

न० २ मे वे राज्य हैं जहाँ पंचायत राज अधिनियम को लागू तो कर दिया गया है परन्तु शिक्षा को पंचायत राज के अधीन स्थानान्तरित नही किया गया है।

न० ३ मे वे राज्य हैं जहाँ पंचायत राज अधिनियम को लागू करके शिक्षा को पंचायत राज में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

(३) अध्यापकों की समस्या

Problem of Teachers

अध्यापकों की समस्या को हम निम्नलिखित भागों में विभाजित सकते हैं:—

(i) अध्यापकों के प्रशिक्षण की समस्या
Problem of Teachers Training

(ii) अध्यापकों के वेतन की समस्या
Problem of Teachers Salaries

(iii) आदिवासियों एवं बालिकाओं के लिये अध्यापकों की समस्या
Problem of Teachers for Tribals & Girls

उपरोक्त समस्त समस्याएं अनिवार्य शिक्षा के मार्ग में विकट रूप में उपस्थि रही हैं। संक्षेप में ये समस्याएं निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत की जा सकती हैं:—

(i) अध्यापकों के प्रशिक्षण की समस्या
Problem of Teacher's Training

बहुत से राज्यों में अप्रशिक्षित अध्यापकों की अधिकता है। जब तक प्रशि क्षित अध्यापक की व्यवस्था नहीं होगी तब तक न तो शिक्षा का स्तर ही ऊपर उ सकता है और न प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्यता ही प्रदान की जा सकती है इसके लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि आगामी चार वर्षों में सभी प्राथमिक शालाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था हो। इसके लिये यह आवश्यक होग कि प्राथमिक शाला के प्रशिक्षण विद्यालय अधिक से अधिक खोले जायें। प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये न्यूनतम योग्यता मेट्रिक/हायर सेकेण्डरी रखी जावे। कुछ राज्यों में अभी तक भी यह स्थिति है जहाँ मिडिल पास अध्यापक पढ़ा रहे हैं; इस प्रकार के अध्यापकों को शीघ्र से शीघ्र हायर सेकेंडरी पास करने के लिए प्रेरित किया जावे। जो प्रशिक्षित अध्यापक प्राथमिक शालाओं में कार्य कर रहे हैं उन्हें अधिक से अधिक तीन वर्ष मे एक बार नवीनीकरण (Refreshes) करना आवश्यक कर दिया जाये जिससे उन्हें प्राथमिक शिक्षा में हो रहे नवीन अनुसन्धानों से परिचित कराया जा सके। प्राथमिक शालाओं के अध्यापकों पर यह उत्तरदायित्व डाला जावे कि वे शाला के आस-पास गाँवों के बालकों को प्राथमिक शाला प्राप्त करने के लिये प्रेरित करें। इसके लिये यह भी आवश्यक है कि वर्ष मे एक बार अध्यापक अभि-भावक सम्मेलन हो और जो माता-पिता अपने बालकों के शैक्षिक विकास में रुचि नहीं रखते उन्हें इसके प्रति सचेत किया जावे।

(ii) अध्यापकों के वेतन की समस्या
Problem of Teachers' Salaries

अध्यापकों के वेतन सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण अत्यन्त आवश्यक है।

जब तक अध्यापकों के वेतन क्रम मे सुधार नहीं किया जायेगा तब तक अच्छे अध्यापकों का इस व्यवसाय की ओर आकर्षित होना कठिन होगा। कोठारी कमीशन द्वारा प्राथमिक शाला के उन अध्यापकों का, जो सेकेन्डरी पास हैं—और प्रशिक्षित हैं उनका न्यूनतम वेतन १०० रु० मासिक होना चाहिए और पांच वर्षों में १२५ रु० कर देना चाहिए जिसमें उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना आवश्यक है। वे अध्यापक जो सेकेन्डरी पास हैं तथा प्रशिक्षित हैं, उनका न्यूनतम वेतन १२५ रु० होना चाहिए तथा पांच वर्षों में १५० रु० हो जाना चाहिए। कोठारी कमीशन ने अध्यापकों के वेतन क्रम को बढाना अत्यन्त आवश्यक बताया है और पांचवीं योजना के प्रथम वर्षों तक निम्नलिखित वेतन क्रम को लागू करने की सिफारिश की है जिससे प्राथमिक शिक्षा को स्तर प्रदान किया जा सके तथा अधिक से अधिक व्यक्तियों को इस ओर आकर्षित किया जा सके। कोठारी कमीशन[1] के अनुसार प्राथमिक शालाओं के अध्यापकों के लिए निम्नलिखित वेतन क्रम की व्यवस्था की गई है :—

* न्यूनतम वेतन··· ··· ··· ···· ··· ··· ··· ··· ··· १५० रु०
  (Starting salary)
* अधिकतम वेतन ·· ··· ··· ··· ··· ··· ••• ··· २५० रु०
  (Maximum salary, to be reached in a period of 20 years.)
* निर्वाचित वेतन शृंखला··· ··· ··· ··· · २५० से ३०० रु०
  (Selection grade available for 15 percent of the Cadre)

उपरोक्त वेतन शृंखला सभी प्रकार की प्राथमिक शिक्षा (Pre-primary, lower primary, higher primary) के अध्यापकों के लिए निश्चित की गई है।

(iii) आदिवासियों एवं बालिकाओं के लिए अध्यापकों की समस्या

Problem of Teachers for Tribals and Girls

प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के मार्ग मे दो समस्याएं प्रमुख हैं। सबसे पहली समस्या आदिवासियों के बालकों को शिक्षा प्रदान करने की है। इस समस्या का मूल कारण अध्यापकों की कमी है। प्रत्येक अध्यापक आदिवासियों को शिक्षा प्रदान नहीं कर सकता, इसके लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि उनकी भाषा को तथा संस्कृति को समझा जावे। कोठारी आयोग ने इस समस्या के समाधान के विषय मे अपने विचार स्पष्ट करते हुए बताया है कि उन व्यक्तियों के लिए जो आदिवासियों को शिक्षा प्रदान कर सकें, भवन एवं अधिक वेतन की व्यवस्था करनी चाहिए। अध्यापकों को आदिवासी भाषा और संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए तथा उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इनके लिए विशेष स्थान होना चाहिए।

1. 'Teacher Status', Report of the Education Commission 1964 66, p. 54.

इन पाठशालाओं के कार्यक्रमों में भी आदिवासी जीवन की झलक होनी चाहिए।[1] यदि आदिवासियों के लिए उचित अध्यापकों की व्यवस्था हो जावे तो निश्चित रूप से अनिवार्य शिक्षा की कमी में एक बहुत बड़ी पूर्ति हो सकती है।

अनिवार्य शिक्षा बनाने के प्रयासों में एक अन्य समस्या स्त्री शिक्षकों की कमी भी रही है। हमारा देश रूढ़िवादी देश है और इसके लिये अत्यन्त आवश्यक है कि शिक्षा कार्यक्रमों को इस प्रकार का बनाया जावे जिसमें सामाजिक मूल्यों को ठेस न पहुँचे। हमारे देश में इस प्रकार के माता पिताओं का अभाव नहीं है जो अपनी बालिकाओं को लड़कों के स्कूल में पढ़ने के लिए भेजना नहीं चाहते अन्य कारणों में से एक कारण यह भी है जिसके कारण हम अभी तक अनिवार्य शिक्षा के लक्ष्यों की पूर्ति नहीं कर पाये हैं। एक तो प्रत्येक गाँव में बालिका विद्यालय खोलना सम्भव नहीं है, यदि खोल भी दिया जावे तो कोई भी अध्यापिका इन शालाओं में कार्य करने को तैयार नहीं होती क्योंकि स्त्री शिक्षकों की अपनी कुछ सीमाएँ होती हैं। यही कारण है अध्यापिकाओं की संख्या, अध्यापकों की तुलना में बहुत कम है। यदि सच पूछा जावे तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि प्राथमिक स्तर पर अध्यापक की तुलना में अध्यापिका अच्छा पढ़ा सकती है। इसीलिए शैक्षिक दृष्टि से यदि महिला अध्यापकों का प्रावधान हो सके तो

तालिका १·२

राज्य	पुरुषों की तुलना में महिला अध्यापकों की प्रतिशत संख्या
केरल	४५%
मद्रास	३३%
मैसूर	२५%
पश्चिमी बंगाल	१०%
राजस्थान	१०%
उड़ीसा	५%

अधिक उत्तम हो परन्तु महिला अध्यापकों की संख्या बहुत कम है जैसा कि तालिका नं० १·२ में स्पष्ट किया गया है। तालिका में [illegible] के

1. "The obvious remedy seems to be in providing better scales of pay and adequate housing facilities for those who are prepared to take up the task of teaching in tribal areas. The teacher must know the tribal language and culture, and a study of these also be included in their training programmes. The programme of the school will have to be related to such tribal life."

राज्यों के आँकड़े ही प्रदर्शित किये गये हैं और इसका एक मात्र कारण सबसे प्रगतिशील राज्य तथा पिछड़े राज्य की प्रतिशत संख्या प्रदर्शित करना है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में अभी बहुत कुछ करना शेष है। यद्यपि अभी हमने आशातीत प्रगति की है तथापि अनिवार्य शिक्षा के लक्ष्य को पूर्ण करने में अभी बहुत कुछ करना बाकी है।

संविधान की धारा ४५ मे वर्णित अनिवार्य शिक्षा की प्रतिज्ञा के विषय मे कोठारी आयोग का मत है कि संवैधानिक नीति निर्देशक तत्व की सबसे बड़ी समस्या बालिकाओं को शिक्षित करने की है। कोठारी आयोग [1] के द्वारा समस्या के समाधान हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं —

* बालिका शिक्षा के विषय में परम्परागत धारणा को समाप्त कर जनमत शिक्षित करना ;
* स्त्री अध्यापकों की नियुक्ति;
* मिश्रित प्राथमिक शालाओं को लोकप्रिय बनाना, और जहाँ पर लड़कियों के लिए पृथक शाला खुलना सम्भव है वहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर पर खुलने का प्रावधान हो;
* पुस्तकें, अन्य सामग्री और आवश्यकता पड़ने पर वस्त्रों की मुफ्त व्यवस्था; और
* ११ से १३ वर्ष की उन लड़कियों के लिए, जो पूर्ण समय शाला मे न पढ़ सकें, कम समय की शिक्षा व्यवस्था का प्रावधान।

यदि उपरोक्त समाधानों को कार्यान्वित किया जा सके तो महिला अध्यापकों की समस्या का बहुत कुछ हल सम्भव हो सकता है।

---

1. Educating public opinion to overcome traditional prejudices against girls education;

—appointing women teachers;

—popularising mixed primary schools; and wherever possible and demanded, opening separate schools for girls at the higher primary stage.

—providing free books and writing materials and, where needed even clothing; and

—providing part time education for girls in the ... 11-13 who cannot attend schools on a wholetime basis because ... are required to work at home."

Ibid, p. 164

(४) अपव्यय और अवरोधन
Wartage and Stagnation

प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्यता का रूप तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक अपव्यय और अवरोधन को समाप्त नहीं किया जाता। इस समस्या की ओर सर्वप्रथम १६२६ में हर्टाग महोदय ने ध्यान आकर्षित किया। अपव्यय का अर्थ है

बालक को प्राथमिक शिक्षा के पूरा करने से पूर्व किसी भी कक्षा से हटा लेना।[1]

अर्थात् यदि बालक को प्राथमिक शिक्षा स्तर पूर्ण करने पूर्व स्कूल से हटा लिया जाता है तो बालक की शैक्षिक उपलब्धि पर बुरा प्रभाव पड़ता है और अपूर्ण प्राप्त ज्ञान का कोई भी लाभ नहीं होता। अतः अपव्यय को रोकना नितान्त आवश्यक है।

अवरोधन का अर्थ है बच्चे का एक कक्षा में एक वर्ष से अधिक समय तक रहना।[2] ये दोनों ही समस्याएं प्राथमिक शिक्षा के मार्ग में बहुत बड़ी बाधाएं हैं।

संक्षेप में अपव्यय और अवरोधन के निम्नलिखित कारण हैं:—

(i) गरीबी
Poverty

माता पिता की गरीबी के कारण बालक के लिये यह सम्भव नहीं हो पाता कि वह अपनी शिक्षा जारी रख सके। एक गरीब किसान अथवा मजदूर से यह आशा करना कि उसमें बालक को पढ़ाने की क्षमता है, भूल होगी। इस अवस्था में गरीब माता पिता के समक्ष एक ही रास्ता रहता है—वह यह कि बालक को एक अथवा दो कक्षा पढ़ाने के पश्चात् स्कूल से हटा ले और उसके बाद परिवार पालन में उसकी क्षमताओं का उपयोग करे।

(ii) अध्यापकों का अनुचित व्यवहार
nudesirable Behaviour of Teachers

अध्यापकों के अनुचित व्यवहार भी प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में बाधक है। कुछ राज्यों में, जहां पंचायत राज है और प्राथमिक शिक्षा का स्थानान्तरण पंचायत

---

1. "By wastage we mean the premature withdrawal af children from school :t any stage before the completicn of the primary course."

—Hartog Committee Report.

2. "By stagnation we mean the retention in a lower class of for more than one year."

Ibid. p. 47

समितियों के आधीन कर दिया गया है, वहाँ आशातीत प्रगति नहीं हो पाई है और इसका एक मात्र कारण यही है कि अध्यापक अपने उत्तरदायित्वों को पूर्ण रूप से नहीं निभाता है। कुछ शालाओं की स्थिति तो यहाँ तक गिर गई है जहाँ अध्यापक महीने में दस दिन ही स्कूल जाते हैं और बालकों के साथ अनुचित व्यवहार करते हैं। यदि यहाँ तक कह दिया जाये कि गन्दी राजनीति का प्रारम्भ शालाओं से होता है तो अतिशयोक्ति न होगी। इसका बालकों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है।

(iii) अध्यापक-अभिभावक सम्पर्क की कमी
Lack of Teacher-Parental Contacts

अपव्यय और अवरोधन का एक कारण यह भी है कि अध्यापकों तथा अभिभावकों का सम्पर्क नहीं हो पाता। अध्यापकों द्वारा यदि बालकों की प्रगति और समस्याओं की चर्चा उनके अभिभावकों से होती रहे तो निश्चित रूप से अपव्यय और अवरोधन में कुछ कमी हो सकती है। शाला के प्रभावशाली कार्यक्रमों द्वारा अभिभावकों को बालकों की शिक्षा के लिये प्रेरित किया जा सकता है। अध्यापक जितना अधिक सम्बन्ध अभिभावकों से रक्खेगा उतना ही अवरोधन कम होगा क्योंकि इससे बालक की शैक्षिक प्रगति का ज्ञान होता रहेगा और बालक को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा।

(iv) एकशिक्षक—शालाओं का होना
Sinlge-Teacher Schools

शाला में एक ही शिक्षक का होना बिलकुल व्यर्थ है। क्योंकि शाला में छात्रों की संख्या अधिक होती है। इससे अपव्यय और अवरोधन होना स्वाभाविक है क्योंकि माता पिता समझते हैं कि बालक को स्कूल भेजने से कोई लाभ नहीं। एक निश्चित आयु तक तो माता पिता भी यही समझते हैं कि बालक को स्कूल भेजना ही श्रेयस्कर है परन्तु जब बालक माता पिता के कार्य में हाथ बटाने योग्य हो जाता है तब उसे स्कूल से हटा लिया जाता है क्योंकि माता पिता समझते हैं कि एक ही अध्यापक सारे स्कूल के बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ होगा-और उनका यह सोचना भी किसी हद तक सही है।

(v) अयोग्य और अप्रशिक्षित अध्यापक
Unqualified and untrained Teachers

अपव्यय और अवरोधन का कारण अयोग्य और अप्रशिक्षित अध्यापक भी हैं। विशेष रूप से कक्षा १ लिए इन अध्यापकों का होना प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में एक बाधा है क्योंकि ये अध्यापक बालकों की मानसिक और शारीरिक ५ को जानने में असमर्थ होते हैं।

(vi) अभिभावकों द्वारा बालिका शिक्षा की उपेक्षा
Neglect of Girls Education by Parents

अपव्यय का सबसे प्रमुख कारण यह है कि माता पिता लड़कियों की शिक्षा के प्रति बहुत उपेक्षित भाव रखते हैं। अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य हम तभी पूर्ण कर सकते हैं जबकि माता पिता बालिका शिक्षा की ओर जागरूक हों।

(vii) दूषित परीक्षा प्रणाली
Defective Examination System

परीक्षा प्रणाली के दोषपूर्ण होने से अवरोधन की मात्रा में अति वृद्धि होती है। कोठारी आयोग[1] के अनुसार भी अपव्यय और अवरोधन का एक कारण दूषित परीक्षा पद्धति है।

(viii) अध्यापकों द्वारा खेल विधि का प्रयोग न करना
Inability of the Teachers to Use Playway Techniques

कोठारी आयोग के अनुसार अपव्यय और अवरोधन का अन्य कारण अध्यापकों द्वारा बालसुलभ शिक्षण विधियों का प्रयोग न करना है। अनेकों मनोवैज्ञानिक अध्ययन इस बात के साक्षी हैं कि प्रारम्भिक कक्षाओं में बालक को खेल द्वारा शिक्षित करना चाहिए परन्तु दुर्भाग्य से हमारे देश में इस जागरूकता का अभाव है। यही कारण है कि बालक शाला के कार्य में रुचि नहीं लेता।

(ix) शाला में शैक्षिक सामग्री की कमी
Lack of Educational Equipment in School

कोठारी आयोग ने अपव्यय और अवरोधन का कारण यह भी बताया है। हमारे देश में अधिकतर विद्यालय इस प्रकार के हैं जहाँ शैक्षिक सामग्री की बहुत कमी है, यही कारण है कि बालकों की शिक्षा व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं हो पाती।

अपव्यय और अवरोधन को दूर करने के उपाय
Remedy for Wastage and Stagnation

प्राथमिक स्तर पर अपव्यय और अवरोधन को दूर करना अत्यन्त आवश्यक है। यदि शिक्षा को अनिवार्यता प्रदान करना है तो राष्ट्रीय स्तर पर इस भीषण समस्या का समाधान नितान्त आवश्यक है। कोठारी कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा और अवरोधन को रोकने के लिए निम्नलिखित तीन सुझाव प्रस्तुत किए हैं :—

(i) प्रथम दो वर्ष (यदि सम्भव हो तो चार वर्ष) को एक इकाई माना जाये और इन वर्षों में कोई भी परीक्षा न ली जाये। कोठारी कमीशन द्वारा यह सिफारिश

---

1. Ibid p. 157

मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक है। यदि यह व्यवस्था सारे राष्ट्र में लागू कर दी जावे तो ... ही अपव्यय को बढ़ने से रोका जा सकता है।

(ii) कक्षा १ में खेल द्वारा सीखने की पद्धति अपनायी जाये। मनोवैज्ञानिक .. के द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि इस आयु में बालक सुखद अनुभव प्राप्त . चाहता है। यदि बालक को स्वस्थ वातावरण में खेल द्वारा शिक्षा प्रदान की . तो बहुत उपादेय हो।

(iii) अपव्यय और अवरोधन को रोकने के लिए आर्थिक स्थिति में सुधार होना आवश्यक है। कोठारी आयोग[1] के अनुसार ६५% अपव्यय का कारण गरीबी है। इस समस्या के सुधार के लिए पृथक समय में शिक्षा (Past Time Education) की योजना भी काफी सहायक सिद्ध हो सकती है।

(iv) जहाँ तक सम्भव हो, प्राथमिक शालाओं में प्रशिक्षित अध्यापकों को रखा जाये।

(v) जो अध्यापक प्रशिक्षित नहीं हैं, उन्हें शीघ्रातिशीघ्र प्रशिक्षित किया जावे।

(iv) एक कक्षा में अधिक छात्रों को न रक्खा जावे।

(vii) मध्यान्तर के अन्तर्गत प्रत्येक छात्र को शाला द्वारा भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे बालकों में सामुदायिकता की भावना भी आयेगी तथा निर्धन छात्रों की सहायता भी होगी।

उपरोक्त सुझावों के आधार पर अपव्यय और अवरोधन को रोका जा सकता है।

(५) पाठ्यक्रम की समस्या
Problem of Curriculum

प्राथमिक शिक्षा के मार्ग में पाठ्यक्रम की बहुत बड़ी समस्या है। सम्पूर्ण देश में प्रारम्भिक स्तर पर एक समान पाठ्यक्रम के न होने से अनेकों कठिनाईयाँ हैं। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत पाठ्यक्रम देश की आवश्यकतानुसार तथा प्रभावशाली नहीं है। केवल मात्र शिक्षा को अनिवार्य करने से काम नहीं चल सकता इसके लिए हमें विद्यमान पाठ्यक्रम को इस प्रकार का बनाना होगा जिससे बालकों का सर्वांगीण विकास हो तथा वे आदर्श नागरिक बन सकें।

---

1. "The few studies conducted on the subject have shown that about 65% of the wastage is due to poverty.
—Ibid, p. 157.

कोठारी आयोग[1] के अनुसार निश्चित समय तक शिक्षा को अनिवार्य करना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं है बल्कि उसके लिए शिक्षा का गुणात्मक विकास करना होगा जिससे आदर्श एवं उत्तरदायित्वपूर्ण नागरिक बन सकें। प्राथमिक स्तर पर क्रियात्मक अनुभव प्रदान करना भी नितान्त आवश्यक है।

(९) अन्य समस्यायें

Other Problems

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अनेक समस्यायें और भी हैं जैसे भवन की समस्या, माता-पिता का निरक्षर होना, सम्पूर्ण आँकड़ों की उपलब्धि का न होना, सामाजिक कुरीतियाँ आदि। इन सभी समस्याओं को दूर करना नितान्त आवश्यक है। कोठारी आयोग ने आशा व्यक्त की है कि १९८५ तक प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर देना अत्यन्त आवश्यक है। हमें आशा है कि यदि परिस्थितियाँ समान रहीं तो इस क्षेत्र में आशातीत उन्नति होगी।

---

1. "Expansion of facilties at the Primary stage and the universal enrolment of children and their retention in school till the end of the compulsory period is only one aspect of the fulfilment of the Constitutional Directive. An equally important aspect is qualitative improvement so that the instruction imparted becomes good education and helps children to grow into useful and responsible citizens. The most crucial programme for this point of view is the improvement in the quality of primary teacher. Another equally significant programme is the introduction of work experience as an integra. part of primary education."

—Ibid, p. 165I

अध्याय २

माध्यमिक शिक्षा

Secondary Education

Q. No. 1.

With reference to the nature and type of the social order tha a envisage for the future, what in your opinion are the new need: id requirements of the nation to which secondary education shoul : geared ?

भविष्य के सामाजिक स्वरूप की कल्पना करते हुए विवरण कीजिए कि पके विचार में राष्ट्र की कौन-सी नवीन आवश्यकताएं हैं जिनके अनुकूल माध्य क शिक्षा को होना चाहिए।

(राजस्थान १९६६)

OR

'The secondary school plays an important role in India to-day has not only to prepare youths to live in a contemporary society d face its probems, but has also a peculiar responsibility to develop :h free, independent and responsible citizens that free India gently requires.' Discuss this statement in the light of problems of condary Education in India.

आज भारतवर्ष में माध्यमिक शाला का महत्वपूर्ण कार्य है ; इसे नवयुवकों , केवल समाज मे रहने तथा समस्याओं का सामना करने के लिए ही तैयार नहीं ता बल्कि इसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी स्वतन्त्र और उत्तरदायित्वपूर्ण नागरिक ाना है जिसकी स्वतन्त्र भारत को आज आवश्यकता है।

OR

"The Secondary Schools are the backbone of a country's tional life, for here are trained the nation's potential leaders and perts in all walks of life."

How would you like to reorganize the present system of condary Education to fulfill this purpose ?

'माध्यमिक शालाएं देश के राष्ट्रीय जीवन की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि यहाँ ष्ट्र के भावी नेता तथा जीवन के समस्त क्षेत्रों के प्रवीण प्रशिक्षित होते हैं।'

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप वर्तमान माध्यमिक शिक्षा को किस प्रकार पुनर्संगठित करना चाहेंगे ? (बी० टी० १९५५)

Answer

भारत की बदलती हुई परिस्थितियों को देखते हुए यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम माध्यमिक शिक्षा पर पुनः दृष्टि डालें और यह देखें कि राष्ट्र की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार आज की माध्यमिक शिक्षा है अथवा नहीं। हमारे देश की समृद्धि, सफलता और प्रजातन्त्र भविष्य माध्यमिक शिक्षा पर ही अवलम्बित करता है। माध्यमिक स्तर के पश्चात् ही व्यक्ति अपने भावी जीवन का स्वप्न साकार करता है। आज माध्यमिक शालाओं में पढ़ रहे बालक कल के भावी नागरिक होंगे जिनके कन्धों पर देश का भार होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि माध्यमिक शिक्षा का भारत में अत्यधिक महत्व है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् हमने प्रजातान्त्रिक शासन पद्धति को अपनाया है। इस पद्धति के अनुसार ही हमें अपने विद्यार्थियों की अभिवृत्ति को परिवर्तित करना होगा और यह उत्तरदायित्व माध्यमिक शालाओं का है। इन्हीं शालाओं के माध्यम से प्रजातन्त्र की नींव को दृढ़ कर भावी महल का निर्माण करना होगा जो देश के परिवर्तित मूल्यों के अनुसार सुसमायोजित एवं सगठित नागरिकों के योगदान पर निर्भर है।

सम्पूर्ण शिक्षा प्रक्रिया में माध्यमिक शिक्षा का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह प्राथमिक और उच्च शिक्षा के बीच की कड़ी है। माध्यमिक स्तर को पार करने के पश्चात् हमारे नवयुवकों एवम् नवयुवतियों में स्वावलम्बन का आना अत्यन्त अनिवार्य है, परन्तु यदि हम सूक्ष्म रूप से देखने का प्रयास करें तो इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आज भी माध्यमिक शिक्षा परिवर्तित सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं हैं क्योंकि इससे हमें उस फल की प्राप्ति नहीं हो रही है जो कि अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। इसका एक मात्र कारण यही है कि हमारी माध्यमिक शिक्षा में अनेकों दोष विद्यमान हैं और इसी कारण अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं।

माध्यमिक शिक्षा की समस्याएं
Problems of Secondary Education

माध्यमिक शिक्षा में दोष होने के कारण अनेकों समस्याएं उपस्थित हो गई हैं जो इस प्रकार है :—

(१) पाठ्यक्रम
Curriculum

माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम दोषपूर्ण है। जैसा कि हम पीछे कह आये हैं

कि माध्यमिक स्तर के पश्चात् जीवन यापन करने की क्षमता का आना नितान्त आवश्यक है। परन्तु दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि हमारे देश मे माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को वास्तविक जीवन अनुभवों से दूर रक्खा गया है और यही कारण है कि माध्यमिक कक्षा उत्तीर्ण छात्र जीवन के किसी भी क्षेत्र मे समायोजित नही हो पाता। माध्यमिक शाला में पुस्तकीय ज्ञान को ही महत्ता प्रदान की जाती है और दैनिक अनुभवों से दूर रक्खा जाता है। इस दोष के भागी माध्यमिक शालाएँ नहीं हैं बल्कि पाठ्यक्रम निर्माता हैं जिन्हें बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास का कोई ध्यान नही है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के मतानुसार जो शिक्षा हमारी शालाओं मे दी जाती है वह जीवन से पृथक् है। पाठ्यक्रम को जिस परम्परागत शिक्षण विधियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उससे बालक को विश्व घटनाओं का ज्ञान नही हो पाता और न ही अन्तर्दृष्टि विकसित हो पाती है[1]। यही कारण है कि बालक में *सृजनात्मक चिन्तन और मौलिक विचार* उत्पन्न नही हो पाते।

कोठारी आयोग[2] ने शाला पाठ्यक्रम को उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिये कुछ

---

1. "The education given in our schools is isolated from life. The curriculum as formulated and as presented through the traditional methods of teaching does not give the students insight into the everyday world in which they are living When they pass out of school, they feel ill-adjusted and can not take their place confidently and competently in the community."

—Secondary Education Commission 1953, P. 22.

2. For upgrading the school curriculum, a number of important steps have to be taken. The more important of these have been indicated below :—

(i) Research Curriculum :—The first is the need for systematic curricular research so that the revision of the curriculum may be worked out as a well coordinated programme of important on the basis of the finding of experts instead of being rushed through hapazardly and in a piecemeal fashion.

(ii) Preparation of Text books and other Teaching:—Basic to the success of any attempt at curriculum *improvement is the preparation* of suitable textbooks, teachers guides and other teaching and learning material. These define the goals and the con tent of the new programmes in terms meaningful to the school.

(iii) In-service Education of Teachers :—In addition to this, it is necessary to make the teacher understand the chi f features of the new curriculum *with a view to developing improved teacher competence*, better teaching skills, and a move sensetive awareness of the teacher-learning process *in the changed situation.*

—Report of the Education Commission 1964-66, Loc. cit, P. 18

महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। पाठ्यक्रम को अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु तीन मुख्य बातों को आवश्यक रूप प्रदान किया है।

१. पाठ्यक्रम में अनुसन्धान (Research in Curriculum)

२. पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण सामग्री एवम् पाठ्यपुस्तकें (Preparation of Testbooks & Teaching aids)

३. शाला के अध्यापकों से पाठ्यक्रम का परिचय (Inservice Education of Teachers)

(२) अनुशासनहीनता

Indiscipline

छात्रों में माध्यमिक शिक्षा स्तर पर अनुशासन की बहुत कमी है। पिछले कुछ वर्षों से छात्रों ने अनुशासनहीनता के अनेकों नग्न प्रदर्शन किये हैं। छात्रों द्वारा हिंसा, परीक्षा में असंवैधानिक कार्य, पुलिस के साथ झगड़े, राष्ट्रीय सम्पत्ति को आग लगाना, अध्यापकों को पीटना एवम् अनेकों असामाजिक कार्य करना आज के छात्रों का दैनिक कार्यक्रम बन गया है। आज हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि इस अभद्र व्यवहार का कारण क्या है। यदि ध्यान से देखा जाये तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में कमी है। अनुपयुक्त पाठ्यक्रम सबसे प्रमुख कारण है क्योंकि यह पाठ्यक्रम छात्रों की भावी व्यावसायिक समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ है। इससे छात्रों में अनाशा आती है और वे असामाजिक कार्य कर सन्तुष्टी प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान शिक्षा प्रक्रिया में छात्रों के लिए चेतावनीपूर्ण क्रिया-कलापों की कमी है।

इस समस्या के समाधान हेतु कोठारी आयोग ने सर्वप्रथम यही बताया कि इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है जबकि शैक्षिक प्रक्रिया में सुधार किया जाये। शिक्षा का उद्देश्य, छात्रों में आत्म-अनुशासन प्रदान करना होना चाहिए। यह तभी हो सकता है जबकि छात्रों को अधिक से अधिक शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान की जायें और छात्रों में रुचि जागृत की जाये। इसके लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि शिक्षा के सभी स्तरों में सुधार किया जाये। जब तक यह सब नहीं किया जाये तब तक इस समस्या का समाधान असम्भव है।[1]

---

1. Urgent steps are, therefore, needed to curb these trends and to ensure that, whatever else education may or may not aim at doing, it should at least strive to enable young men and women to learn and practise civilized norms of behaviour and commit themselves honestly to social values of significance.

The first of these measures, the improvement of the educational cess, is the heart of the problem. The discipline which

) शिक्षा प्रणाली

Examination System

अभिभावकों तथा अध्यापकों को समय-समय पर यह जानना आवश्यक
कि उनके छात्रों की प्रगति क्या है। समाज के लिये भी यह आवश्यक है कि वह
ला के कार्य को देखें कि विद्यार्थी वांछित स्तर के अनुसार ठीक प्रकार की शिक्षा
कर रहे हैं अथवा नहीं। यदि समय-समय पर यह मालूम होता रहे तो इससे
त्रों, अध्यापकों, माता-पिता और सम्पूर्ण समाज का लाभ है।[1]

परन्तु परीक्षा प्रणाली के दोषों से आज सभी अवगत हैं। माध्यमिक शिक्षा
अन्त में जब बालक को असफलता मिलती है तो उसके ऊपर इसका कुप्रभाव
ता है और यही कारण है कि आज प्रत्येक माता-पिता और अभिभावक के हृदय
परीक्षा प्रणाली के सम्बन्ध मे एक टीस है। माध्यमिक स्तर पर पिछले पाँच वर्षों
परीक्षाफल से ज्ञात होता है कि लगभग ५५% विद्यार्थी माध्यमिक स्तर की
क्षा में बैठते हैं जिसमें से ४०% प्रतिवर्ष असफल रहते हैं। प्राइवेट विद्यार्थियों के
असफल होने की संख्या तो ७० % से भी अधिक है। इतनी अधिक मात्रा में विद्या-
र्थियों का परीक्षा मे असफल होना, जबकि इससे पूर्व विद्यार्थी ने प्रतिवर्ष परीक्षाएँ

---

ducation cultivates should aim at self-discipline directed from with-
n, which does not depend primarily on external control. Moreover
such discipline can grow only if it is deeply related to the pursuit of
deeper goals in life and rises out of interest and devotion to
scholarship. In other words, the incentives to positive discipline
have to come from the opportunities that the institution presents and
the intellectual and social demands it makes on the students. For
this point of view, the need to improve standards in institution at
all stages of education. We have also stressed the need, side by side,
for providing a better standard of student services. Unless this is
done, a radical cure to the problem is not possible,

—Loc cit., P. 297.

1. "It is necessary for parents and teachers to know from time to time how the pupils are progressing and what their attainments are at any particular stage. It is equally necessary for society to assure itself that the work entrusted to its school is being carried on satisfactorily and that the children studying there are receiving the right type of education, and attaining the expected standard. Th kind of check up is essential in the interests of all concerned-pupil teachers, parents and the pupils."

—Secondary Education Commission, 1953, P. 144.

उत्तीर्ण की हैं, फिर भी बोर्ड/विश्वविद्यालय की परीक्षा में असफलता हमारी शिक्षण विधियों तथा परीक्षा प्रणाली का प्रतिबिम्ब रूप है जो अत्यन्त दुःखद है।[1]

इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी परीक्षा प्रणाली अत्यन्त दोषपूर्ण है और इससे राष्ट्र को हानि होती है। वर्तमान शिक्षा-पद्धति से सबसे बड़ी हानि यह है वह विद्यार्थियों के ज्ञान को संकुचित करती है और बालकों का स्वतन्त्र चिन्तन नष्ट हो जाता है।[2]

अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि माध्यमिक स्तर पर परीक्षा पद्धति को परिवर्तित किया जाये जिससे अधिक से अधिक छात्र सफलता प्राप्त कर सकें। माध्यमिक शिक्षा आयोग (Secondary Education Commission) ने भी माध्यमिक शिक्षा स्तर पर अनेकों दोष लगाये थे और मूल्यांकन की नवीन पद्धति पर प्रकाश डाला था, जिसके कारण आन्तरिक और बाह्य-परीक्षाओं के सुधार के लिये कुछ समय के लिए आन्दोलन आया जिसके फलस्वरूप भारतीय सरकार ने १६५८ में केन्द्रीय परीक्षा यूनिट की स्थापना की। इससे पिछले सात वर्षों में काफी सफलता प्राप्त हुई है। मूल्यांकन नवीन धारणा से माध्यमिक शिक्षा स्तर पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। मूल्यांकन यूनिटों ने १२ राज्यों तथा एक केन्द्रीय प्रदेश में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। कोठारी आयोग[3] के अनुसार यह कार्य अत्यन्त कठिन है और नवीन साधनों को अपनाने में समय लगेगा, तत्पश्चात ही माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, सीखने के अनुभव तथा मूल्यांकन प्रक्रिया में प्रभावित हो सकेंगे। कुछ माध्यमिक शिक्षा बोर्डों ने, जिन्होंने बाह्य परीक्षाओं (External Examination) की दिशा में काफी प्रगति की है, अभी तक सम्पूर्ण दोषों को दूर करने में असमर्थ रहे हैं।

---

1. An analysis of the results of the different Board examinations for the last five years show that about 55% of the candidates appearing for the high school examination and about 40% of those appearing for the higher secondary school examination fail regularly every year In case of the private condidates the percentage soars up to 70% or even more. Failure often has a demoralizing effect on the unsuccessful candidate. The failure of such large numbers of students, particularly after they have been screened year after year by means of annual and other school examination, is a sad reflection on our methods of education as well as on our system of examination.
—Loc. cit. P. 246.

2. They are forced to attend to what can be examined, and to do that with success, they often have to 'spoon feed' their pupils rather than encourage habit of independent study.
—Secondary Education Commission, Ibid.

3. "But the task is a stupendous one, and it will take considerable time for the new measures to take their impact on objectives, learning experiences and evaluation procedures in school education."
—Report of the Education Commission, Loc. cit. P. 243.

(६) प्रशिक्षित अध्यापक

Trained Teachers

माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक ये अप्रशिक्षित अध्यापक ही पढ़ाते रहेंगे। माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम की सफलता प्रशिक्षित अध्यापकों पर ही निर्भर करती है। यद्यपि तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुविधाओं को बढ़ाने के प्रयत्न किये गये हैं तथापि माध्यमिक शिक्षा की आवश्यकतापूर्ति करने में असमर्थ रहे हैं। वास्तविकता यह है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा को उपेक्षित दृष्टि से देखा गया है जबकि विभिन्न आयोगों जैसे विश्वविद्यालय आयोग १९४९ माध्यमिक शिक्षा आयोग १९५३ तथा अनेकों संगोष्ठियों, सम्मेलनों ने अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये अनेकों सुझाव प्रस्तुत किये थे परन्तु इस दिशा में बहुत कम कार्य ही हो सका है। जब तक अध्यापकों के प्रशिक्षण पर ध्यान नहीं दिया जायेगा तब तक माध्यमिक शिक्षा स्तर का ऊँचा उठना असम्भव है।

देश की बदलती हुई सामाजिक व्यवस्था के लिये यह अत्यन्त अनिवार्य है कि विज्ञान और वाणिज्य अध्यापकों को अधिक से अधिक प्रशिक्षित किया जाये जिससे वे विद्यार्थियों को समुचित रूप से पढ़ा सकें। आज हमें, प्रमुख रूप से उन छात्रों की आवश्यकता है जो विज्ञान के क्षेत्र में दक्ष हों तथा जिनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, यह तभी सम्भव है जबकि हमारे छात्रों को प्रशिक्षित अध्यापकों से समुचित शिक्षा प्राप्त हो सके। कोठारी आयोग ने इसके महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिये अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा का स्थूल कार्यक्रम अत्यन्त अनिवार्य है। अध्यापक शिक्षा पर व्यय करने से अधिक लाभ हो सकता है क्योंकि इसके लिये कम आर्थिक साधनों की आवश्यकता होती है और इससे लाखों व्यक्तियों की शिक्षा को सुधारा जा सकता है।[1] आयोग ने वर्तमान अध्यापक शिक्षा में निम्नलिखित दोष बताये हैं :—

१. पाठ्यक्रम में सजीवता एवं वास्तविकता का अभाव।
२. प्रशिक्षण महाविद्यालयों में योग्य शिक्षकों का अभाव।
३ परम्परागत प्रशिक्षण का होना।
४ शिक्षण विधियों की वर्तमान शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में असमर्थता।

---

1. A sound programme of professional education of teachers is essential for the qualitative improvement of education. Investment in teacher education can yield very rich dividends because the financial resources required are small when measured against the resulting improvements in the education of millions.

—Kothari Commission, Loc. cit P. 67.

५. पाठ्यक्रम का शिक्षा समस्याओं से सम्बन्ध न होना।

कोठारी आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिये हैं :—

१. अध्यापक शिक्षा में सुधार

२. प्रशिक्षण काल में अभिवृद्धि

३. प्रशिक्षण संस्थाओं के कार्यक्रमों में सुधार

४. प्रशिक्षण महाविद्यालयों का विश्वविद्यालयों से सम्बन्ध

५. अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का शिक्षा समस्याओं से सम्बन्ध

(५) एकरूपता का अभाव
Lack of Uniformity

माध्यमिक शिक्षा स्तर में एक रूपता का अभाव है। उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट की व्यवस्था है जबकि अनेकों राज्यों में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रभाव पड़ा है। इसके लिये यह नितान्त आवश्यक है कि समस्त देश में एकरूपता हो। इस विषय में कुछ शिक्षा शास्त्रि का विचार है कि माध्यमिक स्तर को ११ वर्ष के स्थान पर १२ वर्ष का कर दि जाये, इसके विपरीत कुछों का विचार है कि १२ वर्ष करना निरर्थक है और आर्थि दृष्टि से अनुचित है। कोठारी शिक्षा आयोग ने इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझा प्रस्तुत किये हैं :—

१. एक वर्ष से तीन वर्ष तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा

२. आठ वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा जिसमे प्रारम्भिक प्राथमिक स्तर ४ य ५ वर्ष की हो और उच्चतर प्राथमिक स्तर ३ अथवा २ वर्ष का हो।

३. प्रारम्भिक माध्यमिक स्तर ३ अथवा २ वर्ष

४. सामान्य शिक्षा के रूप में उच्चतर माध्यमिक स्तर को २ वर्षों का रक्खा जाये अथवा १ से ३ वर्षों तक व्यावसायिक शिक्षा।

५. माध्यमिक शालाएं दो प्रकार की हों, उच्च शालाएं जिसमें १० वर्ष का शिक्षाक्रम हो और उच्चतर माध्यमिक शाला जिसमें ११ अथवा १२ वर्ष का शिक्षाक्रम हो।

विभिन्न राज्यों के शिक्षामन्त्रियों, उपकुलपतियों, मर्मज्ञ शिक्षा शास्त्रियों की बैठक में जो नवम्बर १९६३ में हुई थी उसने १२ वर्षीय शिक्षाक्रम को मान्यता प्रदान की। विभिन्न राज्यों के शिक्षा मन्त्रियों के सम्मेलन १९६४ में समस्त देश के लिये माध्यमिक शिक्षा स्तर एकरूप शिक्षा व्यवस्था पर बल दिया गया। अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा सम्मेलन १९६३ ने भी राष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता के

लए सिफारिश की और बताया कि अन्तिम चार वर्षों को माध्यमिक स्तर माना जाये।

कहने का तात्पर्य यह है कि माध्यमिक स्तर को एकरूपता प्रदान करना नेतान्त आवश्यक है, चाहे वह १० वर्षीय हो अथवा १२ वर्षीय। माध्यमिक शिक्षा कितने वर्ष की हो? यह एक विवादग्रस्त प्रश्न है। शिक्षा आयोग[1] की सिफारिशों तो ध्यान में रखते हुए यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आयोग ने भी मस्त देश में एकरूपता पर बल दिया है।

माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं पर विचार करने के पश्चात अब हमें यह वेचार करना है कि राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा की क्या विशेषताएँ होनी चाहिए जिनको प्राप्त कर हमारे भावी नागरिक नवीन राष्ट्रीय आवश्यकताओं के नुसार अपना योग प्रदान कर सकें।

राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा की विशेषताएँ

Charactersitics of Secondary Education on National Level

राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का सम्बन्ध व्यक्तियों के जीवन, उनकी आवश्यताओं एवम् महत्वकांक्षाओं से होना चाहिए। इसके लिये शिक्षा को साधन के रूप स्वीकार करना होगा। हमारे राष्ट्रीय विकास की गति क्षीण होती जा रही है। सका एक मात्र कारण यह है कि वर्तमान शिक्षा के उद्देश्य एवम् हमारा पाठ्यक्रम राष्ट्रीय विकास के विषयों से कोई सम्बन्ध नहीं रखता। यही कारण है कि हमें ारों ओर निराशा, असन्तोष, वैमनस्यता और आक्रोष दृष्टिगत हो रहा है अतः ह आवश्यक है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक विशेषताओं पर विचार करें।

संक्षेप में, राष्ट्रीय स्तर माध्यमिक शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं :—

शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय एकता पर बल

Emphasis on National Unity by Education

राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा की सर्वप्रथम विशेषता यह होनी चाहिए

---

1 "The commission has shown great wisdom in keeping the first degree stage at the present 3 years.... The abolition of the one year Pre-University cource is the most urgently needed reform but its replacement by the 2 year Higher Secondary course will not yield the expected benefit if this is done in secondary course which has already 10 classes. Even from the psychological point it is wrong to have a mixed age group from 6 to 16 in one institution. We would all have welcomed a clear and forthright recommendation that this should be entrusted to independent junior college or to existing under *graduate colleges rather than to Secondary schools*"

—Dr D. S. Reddi, Deccan Chronicle, July 17, 1966.

कि जो समस्त राष्ट्र को एक सूत्र में बांध सके। भूतपूर्व केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री श्री छागला[1] ने राज्य शिक्षा मन्त्रियों के सम्मेलन में शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय एकता पर बल देते हुए कहा था कि शिक्षा को राष्ट्रीय एकता पर बल देना चाहिए। समस्त भारतीय शिक्षा संस्थाओं को जातीयता और साम्प्रदायिकता की भावना को दूर करना चाहिए।

माध्यमिक शिक्षा स्तर में छात्र एवम् छात्राओं की आयु इस प्रकार की होती है जबकि उनमें अच्छे संस्कारों को भरा जा सकता है। यही वह समय है जिसमें *भावी जीवन की आदतों का निर्माण होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण* से भी इस आयु का विशेष महत्व है अतः यह आवश्यक है कि इस आयु में राष्ट्रीय चरित्र की भावना प्रत्येक विद्यार्थी में हो। यही हमारे देश की सबसे पहली और महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

शिक्षा द्वारा प्रजातान्त्रिक भावनाओं का विकास

Development of Democratic Feelings by Education

माध्यमिक शिक्षा अधिकांश नागरिकों के लिए शैक्षिक जीवन का अन्त होता है। राष्ट्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह नितान्त आवश्यक है कि हमारे प्रत्येक विद्यार्थी में आदर्श नागरिक-सुलभ गुणों का विकास, प्रजातान्त्रिक भावनाओं पर आधारित हो। प्रजातान्त्रिक मूल्यों की अभिवृद्धि केवल शिक्षा माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से ही सम्भव है। शिक्षा द्वारा बालकों में चिन्तन करने की शक्ति, नवीन विचारों को ग्रहण करने की शक्ति, सहनशीलता, न्याय करने की और देश-भक्ति आदि अनेक गुणों का विकास किया जा सकता है।

शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय पद्धति का विकास

Emergence of National System by Education

शिक्षा की अन्य विशेषता राष्ट्रीय पद्धति का विकास है। हमारी शिक्षा में यह बल होना चाहिए जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति यह कह सके कि भारतीय शिक्षा-प्रणाली (Indian system of Education) का भी अस्तित्व है। राजा

---

1. "What do I mean when I talk of a national system of education? In the first place I think of education that emphasises the unity of our country. I think of all—India institutions—the more *the better for our country—institutions which will get over differences* of caste and community."

—*M. C. Chagla's, Inaugural Address of the State Education Minister's Conference, New Delhi.*

रायसिंह[1] के शब्दों में "ब्रिटिश शिक्षा पद्धति अमरीकन शिक्षा पद्धति अथवा सोवियत शिक्षा पद्धति का अन्तर आसानी से देखा जा सकता है। वह क्या है जो हमें उस अन्तर को स्पष्ट करने में सहायक होता है ? क्या हम यह कह सकते हैं कि भारतीय शिक्षा पद्धति भी अपनी भिन्नता के कारण अस्तित्व रखती है ?" इस प्रश्न का उत्तर उस समय मिल सकता है जबकि हमारी शिक्षा राष्ट्रीय पद्धति का विकास कर सके।

---

1. "Though we cannot precisely define the term, we recognise what it stands for. For example, we can readily disting the British system of education from the American system, Soviet system of education from both. What is it that gives their hall mark, their distinction ? Can we say that the system of India carries its own distinction on its own signature

—Raja Roy Singh, 'Emerging

अध्याय ३

तकनीकी एवम् व्यवसायिक शिक्षा

Technical and Vocational Education

). No. '.

What are the general principles and aims of technical and ocational education ? What important problems are we facing in he field of technical and vocational education ? How can these roblems be solved ?

तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा के सामान्य सिद्धान्त और उद्देश्य क्या ? तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र में हम कौन कौन सी समस्याओं का ामना कर रहे हैं ? इन समस्याओं का समाधान किस प्रकार हो सकता है ?

nswer

किसी भी राष्ट्र समृद्धि मानवीय तथा भौतिक स्रोतों की उपलब्धि पर निर्भर रती है । उद्योगीकरण हेतु मानवीय स्रोतों का प्रयोग विज्ञान की शिक्षा और कनीकी कौशल के प्रशिक्षण की मांग करता है । उद्योग द्वारा व्यक्ति की आशाओं पूर्ति होती है । भारतवर्ष की मानवशक्ति आधुनिक विश्व में तभी योग प्रदान सकती है जबकि उसको प्रशिक्षित कर दिया जावे[1] ।

कनीकी और व्यवसायिक शिक्षा के सिद्धान्त और उद्देश्य

inciples and Aims of Technical & Vocational Education

तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा के सिद्धान्त और उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

) मानवीय श्रम की महत्ता

Dignity of Manual Labour

तकनीकी और व्यावसायिकी शिक्षा, सभी स्तरों पर मानवीय श्रम को महत्ता न करती है तथा वर्तमान उद्योगीकरण प्रक्रिया में मानवीय श्रम स्थान निश्चित ती है ।

---

1. "The wealth and prosperity of a nation depends on the ctive utilization of its human and material resources through istrialization. The use of human material for industrilization ands its education in science and training in technical skills. istry opens up possibilities of greater resources of manpower can become an asset in the modern world, when tr.ined .and ated."

—*Kothari Commission Report, P. 369.*

(२) शारीरिक एवम् मानसिक दोषयुक्त व्यक्तियों की सहायता करना
To help Physically and Mentaly Handicapped Persons

तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा का उद्देश्य उन व्यक्तियों की सहायता करना भी है जो मन्द बुद्धि हैं अथवा शारीरिक दोषों से युक्त हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों को मालूमी तकनीकी कार्यों का प्रशिक्षण देकर समाज में व्यवस्थित किया जा सकता है।

(३) समाज के परिवर्तित स्वरूप में तकनीकी ज्ञान आवश्यक
Necessity of Technical knowledge for Changing Nature of Society

आज समाज के परिवर्तित स्वरूप के कारण तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता है। इसके लिए केवल मात्र सामान्य ज्ञान ही आवश्यक नहीं है बल्कि विशेष वैज्ञानिक ज्ञान का विकास होना आवश्यक है। समाज के परिवर्तित स्वरूप के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा की सुविधाएं अधिक से अधिक प्रदान की जायें जिससे अधिकतम तकनीकी विशेषज्ञ, अभियन्ता तथा हस्तकौशल प्राप्त विशेषज्ञों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। इसके लिए आवश्यक है कि नवीन शिक्षण विधियों पर अनुसन्धान किये जायें और भारत में अधिक से अधिक सम्बन्धित शिक्षण संस्थाएं खोली जायें।

तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की समस्याएं
Problems of Technical and Vocational Education

भारतवर्ष में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की अत्यन्त आवश्यकता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं परन्तु इस क्षेत्र मे कुछ समस्याओं के कारण हम निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति करने में असफल रहे हैं। यद्यपि यह सही है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा सगठन १९४५ (All India Council for Technical Education 1945), वैज्ञानिक मानवशक्ति समिति (Scientific Mainpower Committee 1947) स्नातकोत्तर इन्जीनियरिंग शिक्षा और अनुसन्धान समिति १९६१ (Postgraduate Engineering Education and Research Committee 1961) आदि के द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये और उनके अनुसार तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अथक प्रयत्न भी किये गये हैं तथापि इस क्षेत्र में अभी बहुत कुछ करना शेष है। कोठारी आयोग[1] के अनुसार यह दुर्भाग्य है कि

1. "Despite repeated exhortation, it is unfortunately st[ill] widely felt that vocational education at the school level is an infer[ior] from of education and the last choice of parents and students."

Kothari Commission Report 1964-66, P. 369.

स्कूल स्तर पर तकनीकी शिक्षा बहुत निम्न कोटि की है और इसका कारण यह है कि माता-पिता और विद्यार्थी इसको अन्तिम प्रावधान के रूप में स्वीकार करते हैं।" इससे यह ज्ञात होता है कि प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों प्रयास होने के बावजूद भी इस क्षेत्र मे हम बहुत पिछड़े हुए हैं और इसका प्रमुख कारण अनेकों समस्याएं हैं :—

(१) मानवशक्ति का उपयोग
Utilization of Man Power

भारत में तकनीकी मानव शक्ति की अत्यन्त आवश्यकता है। यद्यपि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार नये तकनीकी व व्यावसायिक शालाओं, बहुउद्देशीय शालाओं, औद्योगिक स्कूलों आदि की स्थापना की गई, द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ होने से पूर्व छात्रों की प्रवेश संख्या तथा स्नातकों की संख्या में ५० प्रतिशत वृद्धि हुई और दूसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर इन्जीनियरिंग कालेजों की संख्या ६७, पॉलीटेक्नीकल संख्या १६७ हो गई और इनसे निकलने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः ११५०० तथा १८६०० थी तथापि देश की आवश्यकतानुसार यह मानव शक्ति कम है।

परन्तु पिछले कुछ दिनों से समाचार पत्रों में यह देखने को मिल रहा है कि इन्जीनियरिंग कालेज से निकलने वाले स्नातकों की संख्या आवश्यकता से अधिक है क्योंकि स्नातकों को नौकरी की सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाई हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि प्राप्त मानव शक्ति का सदुपयोग कर भविष्य के लिये वांछनीय कार्यक्रम बनाये जावें। इससे सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि विद्यार्थियों में मनाशा नहीं होगी और माता-पिता सहर्ष ही अपने बच्चों को प्राविधिक शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रेरित करेंगे।

(२) प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षा में भिन्न व्यवस्थाओं की कमी
Lack of Different Patterns of Technical & Vocational Education

एक ही प्रकार की प्राविधिक और व्यवसायिक शिक्षा व्यवस्था से देश का लाभ होना अत्यन्त कठिन है। इसका प्रमुख कारण आर्थिक कठिनाई है। प्रत्येक माता पिता अथवा अभिभावक अपने बालकों को प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षा दिलाने मे समर्थ नहीं है। इसके लिये नितान्त आवश्यक है कि इस क्षेत्र में भिन्न व्यवस्थाएं हों उदाहरणार्थ मजदूरों के लिए सप्ताह में एक दिन के लिये शिक्षा व्यवस्था हो, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (Industrial Training Institutions) मे विशेष प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान कर नियमित रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों को शिक्षण की अन्य सुविधाएं प्रदान की जायें, पत्र-व्यवहार द्वारा [illegible] एवं प्राविधिक शिक्षा की व्यवस्था की जाय और उनके लिए क्रियात्मक [illegible] अधिक से अधिक व्यवस्था की जावे।

(३) व्यावहारिक प्रशिक्षण में उद्योगों का सहयोग
Cooperation of Industry in Practical Training

अभी हमारे देश में व्यवहारिक प्रशिक्षण में उद्योगों के सहयोग की अधिकता नहीं है। अन्य देशों जैसे इंगलैंड में औद्योगिक विकास धाराएं कार्य कर रही हैं। भारतवर्ष में विभिन्न उद्योगों को प्रशिक्षण सुविधाओं के लिये प्रेरित किया जाये। हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि विद्यार्थियों में सैद्धान्तिक शिक्षा का ज्ञान तो होता है परन्तु व्यावहारिक ज्ञान नहीं होता। शालाओं और उद्योगों में काफी अन्तर होता है और यही कारण है कि विद्यालयों से निकले हुए छात्र व्यावहारिक रूप से कार्य करने में असमर्थ होते हैं। अतः कोठारी आयोग[1] द्वारा प्रस्तावित सुझाव अत्यन्त ग्रहणीय है।

(४) अध्यापकों का अभाव
Lack of Teachers

जैसा कि हम पहले कह आये हैं कि तीन पंचवर्षीय योजनाओं में प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षा की काफी उन्नति हुई है, परन्तु इन संस्थाओं के लिये सुयोग्य अध्यापकों का मिलना कठिन हो गया है। इसका प्रमुख कारण यह है कि अध्यापकों को कम वेतन मिलता है और उनका सामाजिक स्तर भी कम होता है। इन कारणों से नवीन पाठ्यक्रमों को खोलने में कठिनाइयाँ उपस्थित हो गई हैं। इसके लिये आवश्यक है कि अध्यापकों को अधिक वेतन दिया जाये। जिससे वे औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने की अपेक्षा शिक्षा संस्थाओं में कार्य करना पसन्द करें। अधिक वेतन के अतिरिक्त उन्हें और भी सुविधायें प्रदान की जायें। इस समस्या का एक और समाधान यह भी हो सकता है कि शिक्षकों को विभिन्न उद्योगों में भी आंशिक रूप से कार्य करने की छूट दी जाये।

(५) पाठ्य पुस्तकों का अभाव
Lack of Text Books

तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की अन्य समस्या यह भी है कि सम्बन्धित पाठ्य पुस्तकों का अभाव है। इस समस्या के समाधान हेतु यह नितान्त आवश्यक है कि अच्छी पुस्तकों का अनुवाद हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं में किया जाये। शिक्षा मंत्रालय इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है और अच्छे स्तर की पुस्तकों का

---

1. While reemphasizing the need for cooperation between industry and educational authorities in the development of training facilities, we feel it may not be necessary in the early stage to such legislation in India. In its place industry should be to start training schemes and a central scheme of subsidy to *total concerns providing training facilities may be usefully started."*

Ibid, 383.

अनुवाद भी किया जा रहा है। अमरीकी सरकार ने पी. एल. ४८० के अधीन कुछ अच्छी पुस्तकें भारत सरकार को दी हैं और भारत सरकार द्वारा उन्हें कम मूल्य पर प्रकाशित किया गया है।

(९) उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की कमी

Lack of Vocational Education in Secondary Level

हमारे देश में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की कमी है। कोठारी आयोग [1] ने सिफारिश की है कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था हो तथा वाणिज्य, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था इसी स्तर के साथ हो। लड़कियों के लिये गृह विज्ञान, नर्सिङ्ग और सामाजिक कार्यों की व्यवस्था शैक्षिक कार्यक्रमों के साथ ही हो। माध्यमिक शिक्षा की दृष्टि से भी यह सिफारिश बहुत महत्वपूर्ण है। माध्यमिक शिक्षा स्तर को व्यावसायिक रूप प्रदान करना आर्थिक दृष्टि से तथा देश की वर्तमान आवश्यकताओं की दृष्टि से बहुत सुन्दर है।

(६) राज्यों में पारस्परिक सहयोग की कमी

Lack of Cooperation in Different States

तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की उन्नति के मार्ग में एक सबसे बड़ी बाधा यह है कि राज्यों में पारस्परिक सहयोग की कमी है। इंजीनियरिंग तथा पोलीटेकनिक संस्थाओं में हड़तालों के होने का यही कारण है। यदि राज्यों में पारस्परिक सहयोग हो तो विद्यार्थियों के आन्दोलनों को रोका जा सकता है। उदाहरणार्थ राजस्थान के इंजीनियरिंग स्नातकों तथा डिप्लोमा प्राप्त छात्रों को उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में नौकरी के लिए भेजा जा सकता है। परन्तु यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम अपने को भारतीय न समझ कर प्रान्तीयता की भावना से अधिक प्रभावित हैं और इसी कारण अन्य राज्यों के छात्रों को नौकरी में नहीं लेते जिसके कारण इन संस्थाओं के छात्रों में असन्तोष व्याप्त है। यदि हम तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को अधिक लोकप्रिय बनाना चाहते हैं तो राज्यों में पारस्परिक सहयोग का होना नितान्त आवश्यक है।

---

1. We have recomm nded a far greater diversification of courses at higher secondary level. It is at this level, alongside the polytechnics, that the greatest effort can be made to vocationalize and specialize our educational system A great range of courses in commercial, scientific and industrial trades can be offered. Terminal courses leading to certificates and diplomas in these areas, and in areas of special interest to girls as domestic science, nutrition, nursing, social work etc. can be of one, two three or four years duration and be offered in schools or special institutes."

Ibid, p. 375.

(८) अनुसन्धान की कमी
Lack of Research

देश की वर्तमान श्राश्यकताश्रो की पूर्ति न होना श्रौर छोटी श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति के लि ये विदेशों का मुँह ताकना इसी कारण से है कि हमारे देश मे अनुसन्धान की कमी है। इसके लिए आवश्यक है विभिन्न राज्यो मे अनुसन्धान केन्द्र खुलें जिनसे तकनीकी श्रौर व्यावसायिक शिक्षा को विशेष रूप प्रदान किया जा सके।

(९) सैद्धान्तिक श्रौर व्यवहारिक शिक्षा में असन्तुलन
Lack of Coo.dination between Theoritical & Practical Education

शिक्षण विधियों की कमी के कारण सैद्धान्तिक श्रौर व्यवहारिक शिक्षा में सतुलन का अभाव है। हमारे देश मे सैद्धान्तिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है जिसके कारण टेक्नीकल शिक्षा पुस्तकीय ही हो जाती है। जबकि अन्य देशो मे शिक्षण व्यवस्था श्रौद्योगिक एव वैज्ञानिक है वहाँ क्रियात्मक पक्ष पर अधिक जोर दिया जाता है इसलिये यह नितान्त आवश्यक है कि हमारे देश मे भी क्रियात्मक अनुभव (Work Experience) को अधिक महत्ता प्रदान की जावे जिससे सैद्धान्तिक श्रौर व्यावहारिक पक्ष में समन्वय श्रौर संतुलन हो सके।

सक्षेप मे हम यह कह सकते हैं कि हमारे देश मे प्रावधिक श्रौर व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है परन्तु फिर भी अनेको समस्याएँ विद्यमान हैं। यदि केन्द्रीय श्रौर राज्य सरकारें प्रयत्न करें तो समस्याश्रों का समाधान संभव है।

समाज शिक्षा

Social Education

Q. No. 1

"India was more illiterate in 1961 than in 1951, with an addition of about 36 million illiterates than in 1961. This has happened despite unprecedented expansion of primary education and despite many literacy drives and programmes."

Explain this statement, bringing out the aims and problems of Social Education."

"भारत १९६१ में १९५१ की अपेक्षा अधिक निरक्षर था और निरक्षरों की संख्या ३६० लाख थी। १९६६ में इसमें २०० लाख की और वृद्धि हो गई। प्राथमिक शिक्षा के द्रुतगति से विकास और साक्षरता के लिये अनेकों कार्यक्रमों के पश्चात् भी स्थिति यह है।

इस कथन की व्याख्या करते हुए सामाजिक शिक्षा के उद्देश्य और समस्याओं पर प्रकाश डालिये।

Answer

भारतवर्ष में निरक्षरता की समस्या बहुत गम्भीर है। हमारे देश में निरक्षरों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है और इसके कारण प्रत्येक पग पर असफलता का मुख देखना पड़ रहा है। यदि हमें देश में प्रजातन्त्र की जड़ों को मजबूत करना है तो निरक्षरता को समूल नष्ट करना होगा अन्यथा हम योजनाओं के लक्ष्यों को पूर्ण करने में असमर्थ रहेंगे।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात निरक्षरता को समाप्त करने के लिए अनेकों प्रयास हुए। राज्य सरकारों को समाज शिक्षा हेतु धन राशि प्रदान की गई। केन्द्रीय सरकार ने जनता कालिजों की स्थापना हेतु मर्यादानुसार पर्याप्त व्यय किया। राज्य सरकारों ने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु अनेकों प्रयास किये। तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में समाज शिक्षा के कार्य को प्राथमिकता प्रदान की गई। समाज सेवकों एवम् सेविकाओं द्वारा समाज शिक्षा का प्रसार किया गया। इस समाज शिक्षा की योजनाओं में शिक्षा प्रणालियों में सुधार किये गये। इस ग्रन्थ सामग्री की व्यवस्था की गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना में समाज शिक्षा में ५ करोड़ रुपये तथा राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास योजनाओं

द्वारा समाज शिक्षा के लिए १० करोड रुपये निश्चित किया गया। ।
पंचवर्षीय योजना में भी वयस्क साक्षरता के विकास हेतु अनेको प्रयास हुए
स्थिति गम्भीर ही होती चली गई। यद्यपि साक्षरों की संख्या मे १६५
१९६१ तक की अवधि मे ७ प्रतिशत की वृद्धि हुई है और १९६१ से १९६६
की अवधि में ४ प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथापि निरक्षरों की संख्या मे
होती जा रही है और इसका सबसे प्रमुख कारण जनसंख्या की वृद्धि है।[1]

प्रौढ़ शिक्षा की परिभाषा

Definition of Adult Education

सामान्य बोलचाल में प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ हम प्रौढ़ो को शिक्षित करने से
हैं। विस्तृत रूप मे प्रौढ शिक्षा की परिभाषा में सभी निर्देश नियमित और अनिय
हैं, सम्मिलित होते है। भारतवर्ष मे प्रौढ़ शिक्षा के दो पक्ष हैं। प्रथम उन प्रौढ
साक्षर करना जिन्होने कभी भी शिक्षा प्राप्त नहीं की। दूसरे साक्षर प्रौढ़ो
अनवरत रूप से शिक्षित करना। [2]

समाज शिक्षा की परिभाषा

Definition of Social Education

∴ समाज शिक्षा का अर्थ है वह शिक्षा जिसके द्वारा वह साक्षरता
कर सामाजिक वातावरण मे समायोजित हो, एव आर्थिक रूप से उन्नति
कर आदर्श नागरिक के रूप मे अपने अधिकार और कर्त्तव्य का समुचित उ
कर सके तथा स्वय के साथ-साथ समाज को भी सुखी रख सके।

समाज शिक्षा के उद्देश्य

Aims of Adult Education

समाज शिक्षा का अर्थ केवलमात्र प्रौढो को साक्षरता प्रदान करना

---

1. Though the percentage of literacy has risen from 16 6
cent in 1951 to 24 percent in 1961 and 28 6 percent in 1966, a f
growth of population has pushed the country further behind i
attempts to reach universal literacy.
—*Kothari Commission, P. 423.*

2. "Adult education may be defined very broadly so a
include all instructions, formal or informal imparted to adults.
India adult education has two aspects :—

(1) Adult literacy, education to those adults who never
any schooling, and

(2) Continuation education of the adult literate "

S N. Mukerjee, Education in India Today and T
Baroda, P.

की शिक्षा तथा उन्नत कृषि की शिक्षा प्रदान करना भी है। इसीलिए आजकल प्रौढ़ शिक्षा के आधार पर हम "समाज शिक्षा" प्रयुक्त करते हैं।

संक्षेप में समाज शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:—

(१) नागरिकों को साक्षरता प्रदान करना।

(२) नागरिकता पाठ पढ़ा अधिकार एवं कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक करना।

(३) व्यवसायिक अवसर प्रदान करना।

(४) प्रजातान्त्रिक मूल्यों का ज्ञान प्रदान कर उन्हें उनमें प्रजातान्त्रिक ढंग से रहने की क्षमता का विकास करना।

(५) सामूहिकता एव सहयोग की भावना का विकास करना।

(६) जीवन में अच्छे स्वास्थ्य का महत्व बताकर, व्यक्तिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ्य रहने की योग्यता प्रदान करना।

(७) स्वयं तथा समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप मनोरन्जन करने की सामर्थ्य प्रदान करना।

(८) राष्ट्रीयता की भावना का विकास कर अन्तर्राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाना।

समाज शिक्षा की समस्याएँ
Problems of Social Education

समाज शिक्षा की अनेकों समस्याएँ हैं क्योंकि प्रौढ़ों को शिक्षित करना बहुत ही कठिन कार्य है। एक बालक को पढ़ाने में और एक प्रौढ़ को पढ़ाने में बहुत अन्तर है क्योंकि दोनों का मनोविज्ञान पूर्णरूपेण भिन्न होता है, फिर भी समाज शिक्षा की निम्नलिखित समस्याएँ हैं:—

(१) प्रशासन में एकरूपता का अभाव
Lack of uniformity in Administration

समस्त देश में समाज शिक्षा का प्रशासन भिन्न-भिन्न रूप में है। समाज शिक्षा और साक्षरता के असफल होने का मुख्य कारण यही है इस कार्यक्रम का उत्तरदायित्व एक अंग के पास नहीं है, प्रशासन में अनेक रूपता के कारण कोई भी कार्य नहीं हो पाता।

इस समस्या का एक मात्र समाधान यही है कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय इस कार्य को अपने हाथ में ले। इसके अतिरिक्त समाज शिक्षा एक शैक्षिक कार्य है और शैक्षिक कार्य का उत्तरदायित्व शिक्षा मंत्रालय पर होना चाहिये।

(२) शिक्षण विधियाँ
Methods of Teaching

जैसा कि हम ऊपर कह आये हैं कि प्रौढ़ों को पढ़ाना सरल कार्य नहीं है क्योंकि प्रत्येक प्रौढ़ का अपना जीवनदर्शन होता है। इनका मनोविज्ञान भी बाल मनोविज्ञान की अपेक्षा भिन्न होता है। जीवन मे व्यवस्तता होती है। अतः इन समस्त बातों को ध्यान में रखते हुए यह कहना कठिन है कि प्रौढो को किन किन शिक्षण विधियों से शिक्षा प्रदान की जाये।

इस समस्या के समाधान हेतु यह आवश्यक है कि विभिन्न आयु स्तरों के अनुसार शिक्षण विधियो को निश्चित किया जाये। ६–११ वर्षों तक के बालकों को तो प्राथमिक शिक्षा द्वारा शिक्षित किया जा सकता है परन्तु १४–४५ वर्ष के प्रौढ़ों की समस्या मूल रूप से है। अतः १४–४५ आयुस्तर (Age Level) के प्रौढ़ों को भिन्न-भिन्न शिक्षण विधियों की आवश्यकता है। यदि इस आयुस्तर के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियों पर अनुसन्धान कार्य हो तो इस समस्या का समाधान हो सकता है।

(३) कार्यकर्ताओं और उनके प्रशिक्षण का अभाव
Lack of Workers and Their Training

समाज शिक्षा के क्षेत्र में एक अन्य समस्या कार्यकर्ताओं का अभाव है। समाज सेवकों की व्यवस्था तो हो जाती है परन्तु समाज सेविकाओं की समस्या बहुत कठिन है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र मे कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की बहुत बड़ी समस्या है। यद्यपि सरकार द्वारा समाज शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र (Social Education Training Centres) खोले गये हैं तथापि निरक्षरता की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए इन प्रशिक्षण केन्द्रो की कमी है। अतः सरकार को इस ओर ध्यान देना आवश्यक है।

(४) महिलाओं के निरक्षरता की समस्या
Problem of Illiteracy of Women

समाज शिक्षा की समस्या का मूल कारण महिलाओं का निरक्षर होना है। १९६१ की जनगणना के अनुसार ग्रामीण महिलाओं की संख्या ३४·५% थी जिनमें से केवल ८·९% साक्षर थी। यह निर्विवाद सत्य है कि जब तक महिलाओं को साक्षर नहीं किया जायेगा तब तक समाज शिक्षा की सफलता असम्भव है।[1] महिलाओं की

---

1. "The state of literacy among w men is particularly ... tressing. The census of 1961 showed that 34·5 percent of the in urban areas and only 8 9 percent of them in rulral areas were literate. It is universally acknow edged that unless women become educated, there is little hope for social transformation."

—Kothari Commission, P. 429.

नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ उन्हें अच्छा स्वास्थ्य, सामाजिक चेतना, हस्तकौशल की शिक्षा तथा उन्नत कृषि की शिक्षा प्रदान करना भी है। इसीलिए आजकल प्रौढ़ शिक्षा के आधार पर हम "समाज शिक्षा" प्रयुक्त करते हैं ।

संक्षेप में समाज शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:—

(१) नागरिकों को साक्षरता प्रदान करना ।

(२) नागरिकता पाठ पढ़ा अधिकार एवं कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक करना ।

(३) व्यवसायिक अवसर प्रदान करना ।

(४) प्रजातान्त्रिक मूल्यों का ज्ञान प्रदान कर उन्हें उनमें प्रजातान्त्रिक ढंग से रहने की क्षमता का विकास करना ।

(५) सामूहिकता एव सहयोग की भावना का विकास करना ।

(६) जीवन में अच्छे स्वास्थ्य का महत्व बताकर, व्यक्तिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ्य रहने की योग्यता प्रदान करना ।

(७) स्वयं तथा समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप मनोरञ्जन करने की सामर्थ्य प्रदान करना ।

(८) राष्ट्रीयता की भावना का विकास कर अन्तर्राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाना ।

समाज शिक्षा की समस्याएं
Problems of Social Education

समाज शिक्षा की अनेकों समस्याएं हैं क्योंकि प्रौढ़ों को शिक्षित करना बहुत ही कठिन कार्य है । एक बालक को पढ़ाने में और एक प्रौढ़ को पढ़ाने में बहुत अन्तर है क्योंकि दोनों का मनोविज्ञान पूर्णरूपेण भिन्न होता है, फिर भी समाज शिक्षा की निम्नलिखित समस्याएं हैं :—

(१) प्रशासन में एकरूपता का अभाव
Lack of uniformity in Administration

समस्त देश में समाज शिक्षा का प्रशासन भिन्न-भिन्न रूप में है। समाज शिक्षा और साक्षरता के असफल होने का मुख्य कारण यही है इस कार्यक्रम का उत्तरदायित्व एक अंग के पास नहीं है, प्रशासन में अनेक रूपता के कारण कोई स्थूल कार्य नहीं हो पाता ।

इस समस्या का एक मात्र समाधान यही है कि केन्द्रीय शिक्षा कार्य को अपने हाथ में ले । इसके अतिरिक्त समाज शिक्षा एक शैक्षिक प्रत्येक शैक्षिक कार्य का उत्तरदायित्व शिक्षा मन्त्रालय पर होना चाहिं

* आयु स्तर (Age Range)
* रुचि (Interest)
* स्थानीय स्रोत (Local Resources)
* सम्बन्धित राज्य की विशेषताएँ (Characteristics of Concerned State)
* भारतीय दृष्टिकोण (Indian outlook)

प्रौढ़-शिक्षा पर कोठारी आयोग के सुझाव

Suggestion of Kothari Commission on Adult Education

आयोग के मतानुसार शिक्षा जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है। आज के प्रौढ़ को परिवर्तित विश्व का सामान्यज्ञान होना नितान्त आवश्यक है। [1]

आयोग ने प्रौढ़-शिक्षा के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम पर बल दिया है :—

* निरक्षरता का उन्मूलन
  Liquidation of illiteracy
* अनवरत शिक्षा
  Continuing education
* पत्र व्यवहार द्वारा शिक्षा
  Correspondence courses
* पुस्तकालय
  Libraries
* प्रौढ़-शिक्षा में विश्वविद्यालयों का कार्य
  Role of universities in adult education
* प्रौढ़-शिक्षा का संगठन एवम् प्रशासन
  Organisation and administration of adult education.

---

1. "Education does not end with schooling but it is a life long process. The adult to day has need of an understanding of the changing world and the growing complexities of society."

—Education Commission 1964-66, P. 422.

निरक्षरता के मूल रूप से तीन कारण हैं प्रथम सीखने में प्रेरणा की है, दूसरे सामाजिक वातावरण महिलाओं की साक्षरता के प्रतिकूल है, तीसरे महिलाओं के पास अवकाश की कमी है और उनके लिए यह निश्चित करना कि उन्हें कार्य से कब फुरसत मिलेगी, असम्भव है। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी समस्या, जैसा कि पहले कह चुके हैं, महिलाओं के लिए शिक्षकों की है¹। परन्तु यह निश्चित मत है कि समाज शिक्षा की सफलता महिलाओं की साक्षरता पर ही निर्भर है।

कोठारी आयोग ने महिलाओं के शिक्षकों की समस्या पर सुझाव देते हुए लिखा है कि प्रत्येक गांव में ग्राम बहिनों' (*Village sisters*) की नियुक्ति की जाये और स्थानीय ग्राम महिलाओं के लिए प्रौढ़-शिक्षा की व्यवस्था की जाये। जहाँ तक सम्भव हो 'ग्राम बहिन' स्थानीय महिला होनी चाहिए और उसे प्रौढ़ साक्षरता कार्य करने वाले का कुछ परिश्रम भी मिलना चाहिए। उसे प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए और समय-समय पर प्रौढ़-शिक्षा की नवीन विधियों से परिचित कराने हेतु उसे पुनः प्रशिक्षण देने की व्यवस्था होनी चाहिए[2]।

(५) पाठ्यक्रम की समस्या

Problem of Curriculum

शिक्षण विधियों के समान ही पाठ्यक्रम की भी समस्या है। प्रौढ़ों के लिए क्या पाठ्यक्रम हो, यह प्रश्न सदैव विवादस्पद रहा है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि प्रौढ़ शिक्षा के लिए १४–४५ वर्ष के व्यक्तियों की शिक्षा-व्यवस्था करनी होती है। इस शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार का पाठ्क्रम हो यह एक समस्या है। पाठ्यक्रम निर्धारित करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है :—

---

1. "It is well known that motivation to learn among women is weak; the social envir nment tends to be hostile for organizing *literacy compaign among women*; the women themselves have little leisure and they certainly cannot count on hours when they will be free to learn. The most difficult problem is to find teachers for women."

Loc. cit. P. 430.

2. "We also suggest appointment in the *villages* of 'Village sisters' for teaching village women and organizing adult education among local women As far as possible, the 'Village sisiter' showed be a local woman, paid a small salary to do *adult literacy* work. She should be trained and periodically retrained to keep her informed of the new techniques of adult education work."

* आयु स्तर (Age Range)
* रुचि (Interest)
* स्थानीय स्रोत (Local Resources)
* सम्बन्धित राज्य की विशेषताएँ (Characteristics of Concerned State)
* भारतीय दृष्टिकोण (Indian outlook)

प्रौढ़-शिक्षा पर कोठारी आयोग के सुझाव

Suggestion of Kothari Commission on Adult Education

आयोग के मतानुसार शिक्षा जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है। आज के प्रौढ़ को परिवर्तित विश्व का सामान्यज्ञान होना नितान्त आवश्यक है।[1]

आयोग ने प्रौढ़-शिक्षा के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम पर बल दिया है :—

* निरक्षरता का उन्मूलन
  Liquidation of illiteracy
* अनवरत शिक्षा
  Continuing education
* पत्र व्यवहार द्वारा शिक्षा
  Correspondence courses
* पुस्तकालय
  Libraries
* प्रौढ़-शिक्षा में विश्वविद्यालयों का कार्य
  Role of universities in adult education
* प्रौढ़ शिक्षा का संगठन एवम् प्रशासन
  Organisation and administration of adult education.

---

1. "Education does not end with schooling but it is a life long process. *The adult today has need of an understanding of the* changing world and the growing complexities of society."

—Education Commission 1964-66, P. 422.

शिक्षा आयोग[1] ने आशा व्यक्त की है कि सुव्यवस्थित कार्यक्रमों के द्वारा १९७१ में साक्षरता का राष्ट्रीय स्तर ६० प्रतिशत और १९७६ में ८० प्रतिशत हो जाना चाहिए। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अथक प्रयत्नों तथा संगठनों की आवश्यकता है इसलिए इन लक्ष्यों को अव्यवहारिक नहीं समझना चाहिए। देश से निरक्षता को दूर करने के लिए प्रत्येक उपाय को कार्य रूप में परिणत करना नितान्त आवश्यक है और २० वर्षों की अवधि में देश के प्रत्येक कोने से, चाहे — कितना भी पिछड़ा हुआ क्यों न हो, निरक्षरता को समाप्त कर दिया जावे।

---

1. Time is an essential factor in combating illiteracy and a delay of more than 10 or 15 years in liquidating the problem on a massive scale will defeat its very purpose. We think that with well planned efforts it should be possible to raise the national percentage of literacy to 60% by 1971 and to 8.% in 1976. These targets will no doubt require tremendous effort and organization; but there are not impracticable. We recommend that every possible effort should be made to eradicate illiteracy from the country as early as possible and that in no part of the country, however backward, should it takes more than 20 years to do so.

—Education Commission, P. 425.

अध्याय ५

पब्लिक स्कूल

Public Schools

Q. No. 1.

"The commission has correctly insisted that the merits and suitability alone should be the sole criterion for selection of candidates."

Explain this statement showing the characteristics and future of *public schools in India.*

"आयोग ने ठीक ही सुझाव दिया है कि छात्रों का चयन दक्षता और उपयुक्तता के आधार पर होना चाहिए।"

पब्लिक स्कूलों की विशेषताएं और भारत में उनका भविष्य बताते हुए उपरोक्त कथन की व्याख्या करो।

Answer

पब्लिक स्कूलों की धारणा
Concept of Public School

पब्लिक स्कूल का अर्थ वास्तव में पब्लिक स्कूल नहीं है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है, इसका अर्थ इसके बिलकुल विपरीत है। साधारणतया पब्लिक स्कूल का अर्थ उन स्कूलों से लगाया जाता है जो साधारण जनता के लिए हों परन्तु *वास्तविकता में ये स्कूल साधारण जनता के बालकों के लिए नहीं बल्कि विशिष्ट* जनता के बालकों के लिए हैं।

पब्लिक स्कूलों का प्रारम्भ
Begining of Public Schools

भारतवर्ष में पब्लिक स्कूलों की परम्परा का प्रारम्भ इङ्गलैंड की परम्परा का अनुकरण है। भारतवर्ष जब अंग्रेजों के आधीन था उस समय अंग्रेजों ने राजा-महाराजाओं के पुत्रों की शिक्षा के लिए कुछ स्कूलों की स्थापना की और इन्हीं स्कूलों की परम्परा का प्रारम्भ हुआ। तालिका ५·१ में वे पब्लिक स्कूल दिखाये गये हैं जो अंग्रेजों ने राजपरिवारों के लिए खुलवाये थे।

तालिका ५·१

पब्लिक स्कूल	स्थान	वर्ष	वार्षिक व्य
१. राजकुमार कालेज	राजकोट	१८६८	१२०० रु०
२. मेयो कालेज	अजमेर	१८७३	१७३० रु०
३. राजकुमार कालेज	रायपुर	१८८१	१८५० रु०
४. डेली कालेज	इन्दौर	१८८५	१८७५ रु०

इन कालेजों की स्थापना का एक मात्र उद्देश्य यही था कि इनमें पढ़ने व विद्यार्थी अंग्रेजों के वफादार बन सकें और इसीलिए इन कालेजों में राजघराने बच्चों को शिक्षित करने की व्यवस्था की गई। तत्पश्चात् १९३५ में दून-स्कूल स्थापना हुई। १९३६ में कुछ स्कूलों को पब्लिक स्कूलों में परिवर्तित किया गया औ इसके साथ इन स्कूलों में धनिकों के बच्चों का प्रवेश भी होने लगा।

पब्लिक स्कूलों की स्थापना

Categories of Public Schools

इस समय हमारे देश में चार प्रकार के पब्लिक स्कूल हैं :—

१. राजपरिवारों के लिए (For Princely Families)—इस श्रेणी के स्कूलों को तालिका ५·१ में प्रदर्शित किया गया है।

२. एंग्लो भारतीय परिवारों के लिए (For Anglo Indian Families) इन स्कूलों की स्थापना रंग-भेद की नीति के अनुसार की गई थी। ये स्कूल शिमला और दार्जिलिंग में हैं।

३. मिलट्री स्कूल (Military Schools)—पहले इन स्कूलों की स्थापना प्रतिरक्षा परिवार के बालकों के लिए की गई थी परन्तु आजकल सामान्य जनता के बालकों के लिए भी इन स्कूलों मे प्रवेश की व्यवस्था है। राजस्थान में इस प्रकार का स्कूल मिलिट्री स्कूल चित्तौड़गढ़ है।

४. भारतीय स्कूल (Public Schools for Indian Children)—इन स्कूलों की स्थापना कुछ बड़े-बड़े शहरों में हुई है। देहली मे देहली पब्लिक स्कूल इन्हीं स्कूलों का एक उदाहरण है। इन स्कूलों मे भारतीय पद्धति एवम् यूरोपीय पद्धति का समन्वित रूप शिक्षण पद्धति के रूप मे प्रयुक्त होता है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों का चयन भी बालकों की योग्यतानुसार होता है।

पब्लिक स्कूल की विशेषताएँ
Chacteristics of Public Schools

पब्लिक स्कूलों मे—

१. व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है।

२. खेल और शारीरिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

३. अध्यापकों के लिए अच्छे वेतन, निवास-स्थान तथा उनके बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाती है।

४. खेलने के मैदान, द्रव्य दृश्य सामग्री की पूर्ण व्यवस्था होती है।

५. बालकों के साथ समानता का व्यवहार होता है, सभी बालक एक ही साथ भोजन करते हैं तथा अन्य सामूहिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, जिससे बालकों में सामूहिकता की भावना का विकास होता है।

६. बालकों की चिकित्सा सम्बन्धी पूर्ण व्यवस्था होती है।

सामान्य रूप से प्रत्येक पब्लिक स्कूल में उपरोक्त विशेषताएँ होती हैं परन्तु फिर भी थोड़ी-बहुत भिन्नता सभी स्कूलों में मिलती है। इन स्कूलों में बच्चों के व्यक्तित्व विकास पर बहुत ध्यान रखा जाता है। हमारी यह निश्चित धारणा है कि यदि ये शालाएँ रूढ़िवादिता को छोड़कर बच्चों का चयन प्रतिभा के आधार पर करें और भारतीय संस्कृति के आधार पर राष्ट्रीय भावनाओं का विकास करें तो भारत के लिए अभूतपूर्व देन हो सकती है।

पब्लिक स्कूलों का भविष्य
Future of Public Schools

भारत में पब्लिक स्कूलों का क्या भविष्य होगा, इस विषय में उत्तर देना कुछ कठिन है। हमारी राय में यदि इन स्कूलों में प्रवेश के नियमों में परिवर्तन होना चाहिए तथा साथ-साथ निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए :

१. इन स्कूलों के कार्यक्रम भारतीय जीवन की पृष्ठ भूमि के अनुसार हो :—

२. हिन्दी व अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम हो तथा हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य हो

३. खर्चा कम हो जिससे साधारण व्यक्ति भी इन स्कूलों में अपने छात्रों को भेज सके।

४. गरीब परिवार के प्रतिभाशाली बालकों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था हो।

५. नेतृत्व की शिक्षा का प्रावधान हो।

६. समाज की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा व्यवस्था हो।

इन तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि पब्लिक स्कूलों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। कोठारी आयोग के अनुसार 'शिक्षा में पृथकता की वृद्धि हो रही है और वर्गों में दूरी होती जा रही है।' पब्लिक स्कूलों को शिक्षा की व्यवस्था वर्ग विशेष के लिए नहीं बल्कि समस्त जनता के लिए करनी है। पब्लिक स्कूलों में यदि सुधार किये जायें तो भारत के लिए यह अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होंगे।

तालिका ५·१

पब्लिक स्कूल	स्थान	वर्ष	वार्षिक खर्च
१. राजकुमार कालेज	राजकोट	१८६८	१५०० रु०
२. मेयो कालेज	अजमेर	१८७३	१७७० रु०
३. राजकुमार कालेज	रायपुर	१८६१	१८५० रु०
४. डेली कालेज	इन्दौर	१८८५	१८७५ रु०

इन कालेजों की स्थापना का एक मात्र उद्देश्य यही था कि इनमें पढ़ते विद्यार्थी अंग्रेजों के वफादार बन सकें और इसीलिए इन कालेजो मे राजघराने बच्चों को शिक्षित करने की व्यवस्था की गई। तत्पश्चात् १६३५ में दून-स्कूल स्थापना हुई। १६३६ में कुछ स्कूलों को पब्लिक स्कूलों में परिवर्तित किया गया। इसके साथ इन स्कूलों में धनिकों के बच्चों का प्रवेश भी होने लगा।

पब्लिक स्कूलों की स्थापना

Categories of Public Schools

इस समय हमारे देश में चार प्रकार के पब्लिक स्कूल हैं :—

१. राजपरिवारों के लिए (For Princely Families)—इस श्रेणी स्कूलों को तालिका ५·१ में *प्रदर्शित किया गया है।*

२. एग्लो भारतीय परिवारों के लिए (For Anglo Indian Familie: इन स्कूलों की स्थापना रंग-भेद की नीति के अनुसार की गई थी। ये स्कूल शिमल और दार्जिलिंग में हैं।

३. मिलट्री स्कूल (*Military Schools*)—पहले इन स्कूलो की स्थापन प्रतिरक्षा परिवार के बालकों के लिए की गई थी परन्तु आजकल सामान्य जनता के बालकों के लिए भी इन स्कूलों में प्रवेश की व्यवस्था है। राजस्थान में इस प्रकार का स्कूल मिलिट्री स्कूल चित्तौड़गढ़ है।

४. भारतीय स्कूल (Public Schools for Indian Children)—इन स्कूलों की स्थापना कुछ बड़े-बड़े शहरों मे हुई है। देहली मे देहली पब्लिक स्कूल इन्ही स्कूलो का एक उदाहरण है। इन स्कूलों मे भारतीय पद्धति एवम् यूरोपीय पद्धति का समन्वित रूप शिक्षण पद्धति के रूप में प्रयुक्त होता है। इसके अतिरिक्त *विद्यार्थियों का चयन भी बालकों की योग्यतानुसार होता है।*

पब्लिक स्कूल की विशेषताएँ
Chacteristics of Public Schools

पब्लिक स्कूलों में—

१. व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है।

२. खेल और शारीरिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

३. अध्यापकों के लिए अच्छे वेतन, निवास-स्थान तथा उनके बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाती है।

४. खेलने के मैदान, दृश्य श्रव्य सामग्री की पूर्ण व्यवस्था होती है।

५ बालकों के साथ समानता का व्यवहार होता है, सभी बालक एक ही साथ भोजन करते हैं तथा अन्य सामूहिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, जिससे बालकों में सामूहिकता की भावना का विकास होता है।

६. बालकों की चिकित्सा सम्बन्धी पूर्ण व्यवस्था होती है।

सामान्य रूप से प्रत्येक पब्लिक स्कूल में उपरोक्त विशेषताएँ होती हैं परन्तु फिर भी थोड़ी-बहुत भिन्नता सभी स्कूलों में मिलती है। इन स्कूलों में बच्चों के व्यक्तित्व विकास पर बहुत ध्यान रक्खा जाता है। हमारी यह निश्चित धारणा है कि यदि ये शालाएँ रूढ़िवादिता को छोड़कर बच्चों का चयन प्रतिभा के आधार पर करें और भारतीय संस्कृति के आधार पर राष्ट्रीय भावनाओं का विकास करें तो भारत के लिए अभूतपूर्व देन हो सकती है।

पब्लिक स्कूलों का भविष्य
Future of Public Schools

भारत में पब्लिक स्कूलों का क्या भविष्य होगा, इस विषय में उत्तर देना कुछ कठिन है। हमारी राय में यदि इन स्कूलों में प्रवेश के नियमों में परिवर्तन होना चाहिए तथा साथ-साथ निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए :

१. इन स्कूलों के कार्यक्रम भारतीय जीवन की पृष्ठ भूमि के अनुसार हो :—

२. हिन्दी व अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम हो तथा हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य हो

३. खर्चा कम हो जिससे साधारण व्यक्ति भी इन स्कूलों में अपने छात्रों को भेज सके।

४. गरीब परिवार के प्रतिभाशाली बालकों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था हो।

५. नेतृत्व की शिक्षा का प्रावधान हो।

६. समाज की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा व्यवस्था हो।

इन तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि पब्लिक स्कूलों का भविष्य उज्ज्वल हो सकता है। कोठारी आयोग के अनुसार 'शिक्षा में पृथकता की वृद्धि हो रही है और वर्गों में दूरी होती जा रही है।' पब्लिक स्कूलों की शिक्षा की व्यवस्था वर्ग विशेष के लिए नहीं बल्कि समस्त जनता के लिए करनी है। पब्लिक स्कूलों में यदि सुधार किये जायें तो भारत के लिए यह अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होंगे।